पंचम माला, खंड 58, अंक 2, मंगलवार, 9 मार्च, 1976/19 फाल्गुन, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVIII, No. 2, Tuesday, March 9, 1976/Phalguna 19, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 58 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/Contents

अंक 2, मंगलवार, मार्च 9, 1976/19 फाल्गुन, 1897 (शक)

No.2, Tuesday, March 9, 1976/Phalguna 19, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 25, 29 से 34, 36 से 39 और 21	Starred Questions Nos. 25, 29 to 34, 36 to 39 and 21	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 22 से 24, 26 से 28, 35 और 40	Starred Questions Nos. 22 to 24, 26 to 28, 35 and 40.	19—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 123 से 179 और 181 से 222	Unstarred Questions Nos. 123 to 179 and 181 to 222.	24—76
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	76—78
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	78—79
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	79—81
गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में बंगला देश सरकार द्वारा वार्ता के लिये रखी गई शर्तें	Bangladesh Government's pre-condition for talks on Sharing of Ganga Waters.	
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukerjee	80—81
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chauhan	81
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee	
59वां प्रतिवेदन	Fifty-ninth Report	81—82
पटना उच्च न्यायालय (रांची में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक—	High Court at Patna (Establishment of a Permanent Bench at Ranchi) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	82
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	82

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Hero	83
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	83
श्री वलायार रवि	Shri Vayalar Ravi	83
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri Arvinda Bala Pajanor . . .	84
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey . .	84
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	84
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	85
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . . .	87—89
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad . .	89
बाट और माप मानक विधेयक	Standards of Weights and Measures Bill	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George . . .	89-90, 93-94
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	90—91
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey . .	91
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	92
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty .	92
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . .	92
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . . .	93
खण्ड 2 से 85 और 1	Clauses 2 to 85 and 1	95
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . . .	
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	96
तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. President's . . Proclamation in relation to the State of Tamil Nadu	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy . .	96—97
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	97—102
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	102—104
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . .	104—106
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan . . .	107—107

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 9 मार्च, 1976/19 फाल्गुन, 1897 (शक)

Tuesday March 9 1976/Phalguna 19, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अंदुल स्टेशन के निकट हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस में डकैती

*25. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस के यात्री 10 फरवरी, 1976 को पूर्व रेलवे के अंदुल स्टेशन के निकट डाकुओं द्वारा लूटे गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) अपराधियों को पकड़ने और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। लेकिन 8/9-2-76 की अर्धरात्रि को पूर्व रेलवे के दुर्गापुर और रानीगंज स्टेशनों के बीच 39 अप (हवड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस) में डकैती की एक घटना हुई थी।

(ख) 8/9-2-1976 की लगभग आधी रात को यात्रियों में से लगभग 11/12 व्यक्तियों ने 39 अप हवड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे की बोगी सं० 6823 में छुरों और घातक हथियारों की नोक पर 6 यात्रियों से कुल 85 0 रुपये मूल्य का कीमती सामान और नकदी लूट ली और जब गाड़ी रानीगंज स्टेशन पर पहुंची तो वे चलती गाड़ी से उतर गये। सरकारी पुलिस

स्टेशन, अंडाल में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन 10–2–76 को मामला सं० 5 दर्ज किया गया है।

19 अप मिथिला एक्सप्रेस गाड़ी के साथ चलने वाले पुलिस दल ने 14–2–76 को दुर्गापुर और अंडाल के बीच एक अन्य डकैती के मामले में 3 व्यक्तियों को अंडाल में गिरफ्तार किया और जुर्म स्वीकार कर लेने पर उपर्युक्त 10–2–76 के मामला सं० 5 के अधीन भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10–2–76 के मामला सं० 5 के अधीन 39 अप हवड़ा–दिल्ली जनता एक्सप्रेस गाड़ी में हुई डकैती के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों ने बाद में रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन लूट का कोई माल बरामद नहीं हुआ है और पुलिस की जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. सभी महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों में रात के समय पुलिस द्वारा मार्ग रक्षा की व्यवस्था रहती है।
2. सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाया गया है।
3. प्रभावित खण्डों पर समय-समय पर सशस्त्र पुलिस दस्ते तैनात किये जाते हैं।
4. राज्य खुफिया विभाग के कर्मचारी जघन्य किस्म के अपराध के मामलों की छान-बीन करते हैं ताकि ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार गिरोह के सदस्यों को पकड़ा जा सके।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विवरण में कहा गया है कि अदंल स्टेशन पर पहले डाके के बाद जिसके लिए मामला संख्या 5, 10 फरवरी, 1976 को दर्ज किया गया, उसके बाद ही उसी क्षेत्र तथा उसी लाइन पर एक और डाका डाला गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जिन डाका निवारक कदमों का उल्लेख विवरण में किया गया है, क्या उनके परिणामस्वरूप वहां होने वाली डकैतियों की संख्या काफी हद तक कम हो जायेगी ?

श्री बूटा सिंह : हमारा ऐसा विश्वास है कि जिन कदमों का उल्लेख हम ने किया है और जो हम उठाने जा रहे हैं उनके परिणामस्वरूप भारतीय रेलगाड़ियों में होने वाली डकैतियों आदि की संख्या निश्चय ही कम हो जायेगी। परन्तु फिर भी मुख्य रूप से यह कानून और व्यवस्था से सम्बद्ध प्रश्न है। अतः जब तक राज्य सरकारें इसके लिए अपना पूर्ण समर्थन नहीं देतीं तब तक अधिक कुछ कर पाना संभव नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मुझे कुछ समाचार मिले हैं जिनमें डकैतियों सम्बन्धी सूचनाएं हैं. . .

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यात्रियों को गाड़ियों में सफर करते समय अधिक धनराशि साथ रखनी ही नहीं चाहिए। ऐसा करना अपराध है . . . .

श्री दीनेन भट्टाचार्य : 29 फरवरी के समाचारपत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि देहरादून एक्सप्रेस में डकैती हुई और डाकू खतरे को जंजीर खींचने के बाद लूट का माल लेकर भाग निकले।

मेरे पास एक विवरण भी है जिसमें यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेलवे सुरक्षा दल के लोगों का हाथ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा दल के लोगों के कार्यकरण की जांच की जायेगी क्योंकि अधिकांश मामलों में यह लोग न केवल डकैतियों आदि की घटनाओं से ही सम्बद्ध हैं अपितु यह अन्य शरारतें करने वाले लोगों के साथ भी सम्बद्ध रहते हैं। इस सदन में तथा इससे बाहर अनेक इस प्रकार के मामलों का उल्लेख किया जा चुका है। समाचारपत्रों में भी अनेक मामले प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु अभी तक रेलवे सुरक्षा दल के भ्रष्ट लोगों तथा वहां विद्यमान गुंडा-गर्दी के विरुद्ध कोई ठोस तथा कड़े कदम नहीं उठाये गये हैं।

श्री बूटा सिंह : यह ठीक है कि जिस व्यक्ति के नाम का उल्लेख विवरण में किया गया है, वह रेलवे सुरक्षा दल का कर्मचारी है और उसका इस मामले में हाथ है। उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस समय तो मैं इसके बारे में केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि अधिकांश मामलों में रेलवे सुरक्षा दल के लोगों का हाथ रहता है। परन्तु हां, कुछ मामलों में उनका हाथ अवश्य है। यह निदेश जारी कर दिये गये हैं कि ऐसे मामलों से सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

Shri Narsingh Narain Pandey : In all the attempts of dacoities and thefts in the Railways, mostly R. P. F. people are involved in it and their conspiracy has been established....

Mr. Speaker But he has said that it is not so.

Shri Narsingh Narain Pandey : In view of all this I want to know from the hon. Minister if his department is going to make some sort of pruning with regard to such elements of RPF who heve been charged with such like activities. May I know if they will be thrown out of service ?

Shri Buta Singh : Yes Sir, the services of a good number of such employees have already been terminated and this exercise is still continuing. Just now I stated in English language that stern action will be taken in such cases.

श्री वी० शंकर गिरि : क्या मंत्री महोदय उन व्यक्तियों का व्यौरा देंगे जो इस मामले से सम्बद्ध हैं? क्या वह व्यक्ति व्यवसायिक है, कर्मचारी है या अन्य किसी प्रकार के लोग हैं?

श्री बूटा सिंह : यदि इस प्रश्न के अन्तर्गत पूछी गई जानकारी प्रश्न संख्या 25 की जानकारी तक ही सीमित है, तो उसका उल्लेख तो विवरण में किया जा चुका है।

मामला दर्ज किया जा चुका है। जिन नामों का उल्लेख इस मामले में किया गया है, वह इस प्रकार है :

(1) बर्दवान जिले के सपवान के परमल डे

(2) हावड़ा के सूरज सिंह

(3) बर्दवान जिले के अंडाल के परीवत रबी

(4) रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक दरोगा सिंह जिनका उल्लेख श्री दीनेन भट्टाचार्य ने किया है।

रेलवे में दुमंजिली रेलगाड़ियां चलाना

*29. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में दुमंजिली रेल गाड़ियां चलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पैरम्बूर में एक दुमंजिला रेल यात्री डिब्बा तैयार किया जा रहा है और क्या नियमित रेलगाड़ियों के साथ उसे चला कर वास्तविक परीक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) क्या "ट्रैक क्लियरेंस" के लिए पर्याप्त बैठने की जगह, ऊंचाई तथा यात्री सुविधाओं का अनुमान लगाया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). केवल एक प्रोटोटाइप दुमंजिले सवारी डिब्बे के खोल का निर्माण किया गया है और सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर में इसकी स्थैतिक जांच की जा रही है। स्थैतिक जांच और इस जांच के परिणामस्वरूप आवश्यक आशोधन और साज-सज्जा पूरी हो जाने के बाद इसे परीक्षण के तौर पर चलाया जायेगा। दुमंजिले सवारी डिब्बे को जनता के इस्तेमाल के लिए चलाना, इसके फेरे समय तथा इस प्रकार के और डिब्बों का निर्माण, कार्यक्रम का फैसला परीक्षण के परिणामों और यात्रियों की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अतः फिलहाल इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यात्रियों के बैठने की पर्याप्त क्षमता, ऊंचाई, आदि तथा यात्री सुविधाओं से सम्बन्धित अनुमान और अभिकल्प तैयार कर लिये गये हैं।

Shri Rajdev Singh : Sir, what are the reasons for introducing the double decker train ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We are trying to check over-crowding. About 146 passengers will be accommodated in a double decker coach.

Shri Rajdeo Singh : The hon. Minister has replied that it is a test and trial run. May I know by what time this test and trial run will be completed ? May I know whether proper precautions have been taken in regard to the over-bridges at every railway station, bridges on rivers and head wires, etc. ?

Shri Mohd. Shafi Quareshi : Yes Sir, Every aspect has been considered. I have personally seen the arrangements. These coaches will be used for public only after all the tests have been completed.

रेल भाड़े की छूट में वृद्धि

*30. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलभाड़े की छूट में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लाभ होगा ?

ल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या रेलवे ने कोई नई योजना फ्रेट फारवर्डर्स स्कीम (भाड़ा प्रेषक योजना) भी चालू की है। यदि हां, तो उसके क्या कार्य हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : यह योजना संविदा और परिवहन कार्यों में लगे लोगों के लिए है। वे रेलवे के लिए माल के छोटे पार्सल (स्मालज) एकत्र करते हैं और माल प्रेषक का माल परेषिती को भेजते हैं। हम उनके लिए मालडिब्बे और लोड़ की व्यवस्था करते हैं।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या जोनल अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे भाड़े की दर में छूट दे सकते हैं ताकि माल भेजने का कार्य बढ़ाया जा सके। यदि हां, तो किन शर्तों पर?

श्री बूटा सिंह : हम ने जोनल अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार दिये हैं ताकि वे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए भेजे जाने वाले माल की किस्म को देख कर भाड़े की दर तय कर सकें।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मेरे प्रश्न के उत्तर में 'जी नहीं' कहा गया है। इसका क्या कारण है? क्योंकि मेरे प्रश्न से और भी कई प्रश्न निकल आये हैं।

श्री बूटा सिंह : आप प्रश्न को पढ़िये। उसमें पूछा गया है कि क्या सरकार ने रेल भाड़े की छूट में वृद्धि की है? हम ने ऐसा नहीं किया है।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में वैगनों का निर्माण

*31. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के कारखानों को 15,555 वैगनों के निर्माण का क्रयादेश दिया है तथा उनकी डिलीवरी तीन वर्षों के भीतर होगी; और

(ख) इससे सरकारी क्षेत्र के कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का प्रयोग करने में तथा वर्तमान संकट से उबरने में उन्हें कहां तक सहायता मिलेगी?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) माल डिब्बा निर्माण उद्योग में सक्रिय कारखानों को कुल 15,555 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की खरीद की पेशकश की गयी है जिनकी सपुर्दगी 31-12-1976 तक की जानी होगी। इनसे सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी प्रबन्धाधीन कारखानों के लिए 7286 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) शामिल हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी प्रबन्धाधीन छः कारखानों की वार्षिक संस्थापित क्षमता चौपहियों के हिसाब से 15746 माल डिब्बों के निर्माण की है। लेकिन इनकी वर्तमान वास्तविक क्षमता केवल लगभग 6000 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की है क्योंकि इनमें से चार कारखाने रुग्ण थे और उन्होंने हाल ही में ही सरकारी प्रबन्ध के अधीन उत्पादन में तेजी लानी शुरू की है। 1-4-1976 को इन छः कारखानों के पास कुल निर्माण-कार्य अर्थात पिछला बकाया काम और अतिरिक्त आर्डर मिलाकर 15786 माल डिब्बे होगा। अतः सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी प्रबन्धाधीन कारखानों के लिए अपनी संस्थापित क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करना सम्भव हो जायेगा।

श्री अर्जुन सेठी : क्या यातायात में होने वाली वृद्धि को देखते हुए इन डिब्बों का आर्डर दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि 1979-80 में प्रतिदिन प्रति डिब्बे में औसतन कितना माल ले जाया जायेगा और इस से सरकारी क्षेत्र के माल डिब्बा बनाने वाले एककों में कितना अधिक सुधार होगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : महोदय हमने यह अनुमान लगाया है कि इन 15,555 माल-डिब्बों की सहायता से जिनका आर्डर दिया गया है रेलवे 25 करोड़ मीट्रिक टन क्षमता का भार वहन कर सकेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में वास्तविक क्षमता 6000 माल डिब्बे हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र की स्थापित क्षमता तो 15,746 माल डिब्बे हैं। क्या कुछ रुग्ण एकक हैं। पूरी क्षमता तक माल डिब्बे तैयार करने में क्या दिक्कतें हैं? उक्त अन्तर होने के क्या कारण हैं?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : सरकार ने जितने एकक अपने अधिकार में लिए हैं वे सभी रुग्ण थे। इसीलिए हमने इन एककों की वास्तविक क्षमता को देखते हुए माल डिब्बों का यह आर्डर दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने जिन 4 रुग्ण एककों का जिक्र किया है उनके नाम क्या हैं? दूसरे सरकारी क्षेत्र को इन रुग्ण एककों के पास माल डिब्बों के पिछले आर्डर कितने थे और कितने माल डिब्बों के आर्डर अब दिये गये हैं, क्योंकि मंत्री जी ने कुल आर्डर के बारे में ही बताया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने हाल ही में एक भाषण के दौरान कहा था कि उन्होंने सुना है कि पश्चिम बंगाल एककों की कई हजार अतिरिक्त माल डिब्बों का आर्डर मिला है। लेकिन मुझे पता लगा है कि इन इककों को अभी तक कोई आर्डर नहीं मिला है। पता नहीं वस्तुस्थिति क्या है?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : इन माल डिब्बों की संख्या लगभग 10,623 होगी जो पिछले आर्डर के अधीन तैयार किये जाने हैं। अतिरिक्त आर्डर 15,555 माल डिब्बों के लिए है। इससे कुल आर्डर 26,173 माल डिब्बे का हो जाएगा। विभिन्न एककों के पिछले कार्य को देखते हुए और उनकी वास्तविक क्षमता को दृष्टि में रखते हुए ये आर्डर दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन चार रुग्ण एककों के नाम बताइये ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : एक एकक था आर्थर बटलर जिसे 1974 में सरकारी अधिकार में लिया गया था । दूसरा एकंक था ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग वह भी 1974 में लिया गया था । 1973 में दो एकंक बर्न एण्ड कं० और आई० एस० डब्ल्यू० को सरकारी अधिकार में लिया गया ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग पिछले छ: साल से बंद पड़ा है । उसे सरकारी अधिकार में नहीं लिया गया ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : हमने कुछ आदेश दिये हैं ।

Shri Ramavtar Shastri : May I know whether the Ministry of Railways have entered into any agreement with the Ministry of Industries so far as the production of wagons is concerned; and if so, the details thereof ?

Shri Mohd. Shafi Quareshi : There is no question of agreement. We had to fix the cost of wagons and it was fixed after consultation.

बर्मा शैल द्वारा कच्चे तेल का आयात

*32. **श्री रानेन सेन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा शैल के सरकारीकरण के पश्चात् किन-किन देशों द्वारा भारत को बर्मा शैल के माध्यम से कच्चे तेल की सप्लाई की जाएगी और किस मूल्य पर तथा कितनी मात्रा में ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : भारत रिफाइनरीज को वर्तमान वर्ष के लिए आयात किये जाने वाले अशोधित तेल से अशोधित तेल आवंटित किया जा रहा है । 1976 के दौरान अशोधित तेल के आयात के लिए व्यवस्थाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

इस वर्ष के दौरान भारत रिफाइनरीज आयतित अशोधित तेल के अलावा बम्बई हाई से अशोधित तेल को भी साफ करेगी ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि बर्मा शैल रिफाइनरीज के जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया है साथ वार्ता के फलस्वरूप बर्मा शैल को जिन स्रोतों द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई होती थी उनका उपयोग भारत रिफाइनरीज़ द्वारा किया जा रहा है । यदि हां, तो उस कच्चे तेल की मात्रा कितनी है ?

श्री के० डी० मालवीय : महोदय, यह प्रश्न एक न होकर दो हैं । बर्मा शैल को सरकारी अधिकार में लेना और उसे भारत रिफाइनरीज को सौंपना । बर्मा शैल का जिन कम्पनियों से कच्चे तेल के सम्बन्ध में कोई समझौता था उसे मानने के लिए हम बाध्य नहीं है । राष्ट्रीयकरण के पश्चात् स्थिति बदल गई है । फिर भी जिन स्रोतों से पहले कच्चा तेल मिलता था उनसे हम भी खरीद सकते हैं । कच्चे तेल की सप्लाई की दिक्कत को देखते हुए ऐसा किया गया है ।

डा० रानेन सेन : कच्चे तेल की वर्तमान कठिनाई को देखते हुए भारत तेल रिफाइनरीज को क्षमता का पूरा उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने यह नहीं कहा कि कच्चे तेल की सप्लाई उपयुक्त नहीं है मेरा मतलब है कि कच्चे तेल की अधिक कीमत के कारण कठिनाई आ रही है इस पर लम्बी वार्ता चल रही है ।

श्री राम सहाय पाण्डे : बर्मा शैल ने कच्चे तेल की सप्लाई के लिए विभिन्न कम्पनियों से समझौते कर रखे थे । क्या उन समझौतों का लाभ उठाया जा सकेगा जिससे कच्चा तेल मिल सके ।

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, जहां तक भारत रिफाइनरीज का सम्बन्ध है, हम किसी अगाऊ समझौते से बंधे नहीं हैं । बर्मा शैल ने कई समझौते कर रखे थे । हम उन कम्पनियों से कच्चा तेल खरीदने को बाध्य तो नहीं हैं लेकिन हमने वार्ता का द्वार बंद नहीं किया है । हम जहां से चाहें तेल ले सकते हैं ।

क्षतिपूर्ति की तुरन्त अदायगी के लिए रेल सुरक्षा आयुक्त के सुझाव

*33. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने रेल सुरक्षा आयुक्त से अनुरोध किया था कि वे उपायों का ऐसे सुझाव दें जिनसे रेलवे अधिकारियों को आजकल की अपेक्षा अधिक शीघ्र क्षतिपूर्ति अदा करने में सहायता मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो रेल अधिकारियों का वर्तमान अनुभव क्या है और क्षतिपूर्ति की राशि की शीघ्र अदायगी करने में उनके मार्ग में क्या रुकावटें हैं, और

(ग) आयुक्त के सुझाव क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मैं जान सकता हूं कि दुर्घटना होने पर क्लेम अधिकारी की नियुक्ति करने के बजाय क्या विलम्ब को समाप्त करने और रेल दुर्घटनाओं की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थायी क्लेम अधिकारी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : हमने न्यायिक अधिकारी को क्लेम अधिकारी नियुक्त किया है क्योंकि इस पदधारी को दावेदारों के दावों पर गहराई से विचार करना होता है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : जब से मुआवजे की राशि 30,000 रुपये से बढ़ा कर 50,000 रुपये की गई है तब से अब तक कितने दावे रेलवे के विचाराधीन पड़े हुए हैं । दूसरे, माटुंगा—सिओन दुर्घटना, जो 12 फरवरी, को हुई थी, के बारे में दावों की क्या स्थिति है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : इस समय यह सब ब्योरा मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं । मैं इसकी अलग से जानकारी दूंगा ।

औषध उद्योग का सरकारी क्षेत्र में विस्तार

*34. श्री अजीत कुमार साहा :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास औषध-उद्योग के सरकारी क्षेत्र में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). प्रस्तुत की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट के आधार पर सरकारी क्षेत्र के औषध यूनिटों का विस्तार करने की परिकल्पना निम्न रूप में की गई है :—

भारतीय औषध और भेषज लि०

(i) सिन्थेटिक औषध संयंत्र, हैदराबाद का विस्तार करने में 21.79 करोड़ रुपये का निवेश निहित है जिससे उस का उत्पादन क्षमता 1988 से बढ़ कर 3886 मी० टन तक हो जाएगी ।

(ii) बिहार में निकोटिनामाइड संयंत्र की स्थापना के लिए 8.58 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी परिव्यय निहित है ।

(iii) गुड़गांव हरियाणा में नवीन सूत्रयोग एकक की स्थापना करने के लिए 8.10 करोड़ रुपये की पूंजी परिव्यय निहित है ।

(iv) एन्टीबायोटिक्स संयंत्र ऋषिकेश का विस्तार करने के लिये लगभग 15.69 करोड़ रुपये का निवेश निहित है ।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० :

(i) पेन्सिलीन संयंत्र की क्षमता का विस्तार करने के लिये 2.92 करोड़ रुपये का अनुमानित पूंजी परिव्यय निहित है ।

(ii) स्ट्रेप्टोमाइसीन संयंत्र का विस्तार करने के लिये 2.91 करोड़ रुपये का अनुमानित लागत है ।

(iii) अर्धसिन्थेटिक संयंत्र का विस्तार करने के लिए 1.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है ।

(iv) इरिथ्रोमाइसिन संयंत्र की स्थापना करने के लिये 4.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है ।

(v) नए सूत्र संयंत्र की स्थापना करने के लिये 4.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है ।

श्री अजीत कुमार साहा : क्या यह सच है कि औषध उद्योग में बहु-राष्ट्रीय निगमों का कतिपय मुख्य औषधियों पर एकाधिकार है ? यदि हां, तो हमारे औषध उद्योग पर उनका प्रभाव कम करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री सी० पी० माझी : हम सरकारी क्षेत्र के औषध उद्योग को अधिक महत्व दे रहे हैं। वास्तव में, भारत में औषध उद्योग का महत्वपूर्ण विकास हुआ है और दरअसल कुछ औषधियां गैर-सरकारी क्षेत्र के औषध कारखानों द्वारा उत्पादित की जाती हैं ।

श्री अजीत कुमार साहा : मैंने मुख्य औषधियों के बारे में पूछा था ।

श्री सी० पी० माझी : जब तक मुख्य औषधियों का नाम नहीं बताया जाता तब तक मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या इनका उत्पादन विदेशी बहु राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नियंत्रित है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस बारे में हाथी समिति का प्रतिवेदन है ।

श्री अजीत कुमार साहा : मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं दिया गया है । क्या सरकार विदेशी औषध कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके सरकारी-क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि इन कम्पनियों द्वारा कमाया जा रहा अधिक लाभ सरकारी क्षेत्र द्वारा कमाया जा सके ।

श्री सी० पी० माझी : हमने अभी तक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने पर कोई विचार नहीं किया है । हम इस समय सरकारी क्षेत्र के औषध उद्योग का विस्तार कर रहे हैं । धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र के औषध उद्योग को प्रधान भूमिका दी जाएगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रश्न विदेशी एकाधिकारी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में है ।

श्री सी० पी० माझी : हमने बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

श्री के० एस० चावड़ा : डाक्सीसाइक्लिन 5—मीटरी टन क्षमता के उत्पादन के लिए एक आशय-पत्र आई० डी० पी० एल० को दिया गया है । डाक्सीसाइकिलीन 2.5 मीटरी टन क्षमता के उत्पादन के लिए एक भारतीय फर्म को भी एक आशय-पत्र दिया गया है । हमारा देश एन्टी-बाइटिक्स में आत्मनिर्भर ही हुआ है । औषध उद्योग में प्रमुख कम्पनी के स्तर पर आना और उससे स्पर्धा करना सम्भव नहीं है । इस बात को ध्यान में रखकर क्या मंत्री सभा को आश्वासन देंगे कि डाक्सीसाइक्लिन के लिये लाइसेंस किसी विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी को नहीं दिया जाएगा ?

श्री सी० पी० माझी : हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैं जानना चाहुंगी कि सरकार द्वारा आरम्भ की जा रही विस्तार योजना देश में आवश्यक औषधियों की कमी को कहां तक पूरा करेगी । यह प्रश्न केवल एन्टी-

बायोटिक्स का नहीं है, परन्तु समूचे देश में आवश्यक तथा जीवनरक्षक औषधियों की कमी है और ये बहु-राष्ट्रीय निगम इन औषधियों को भूमिगत करके देश को हानि पहुंचा रहे हैं।

श्री सी० पी० माझी : यह प्रश्न पूछे गये मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : जी नहीं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या विस्तार में इस बात को ध्यान में रखा गया है? यह कैसे सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : यह संगत प्रश्न है। क्या विस्तार करते समय इस बात पर ध्यान दिया गया है?

पेट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। यह तथ्य है कि आवश्यक औषधियों की कमी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। आवश्यक औषधियों की समूची उत्पादन प्रणाली के कारण आवश्यक औषधियों की कमी होने की सम्भावना है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। यह भी तथ्य है कि हम 'बहक' औषधियों के स्रोत को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों को तेज कर रहे हैं। इसमें कुछ समय लगेगा। कम समय में सभी समस्यायें हल नहीं हो सकती।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या उड़ीसा में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का एक एकक बनाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो यह कब शुरू किया जाएगा?

श्री सी० पी० माझी : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकारी क्षेत्र में तथा ऋषिकेश में उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चार वर्ष पहले कलकत्ता, में स्मिथस्टेनी-स्ट्रीट एक छोटी फर्म को सरकार ने अपने हाथ मैं लिया था और यदि हां, तो क्या सराकार का विचार प्रवन्ध घी अपने हाथ में लेने की बजाय समूचे उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है?

श्री सी० पी० माझी : इस समय ऐसा काई कार्यक्रम नहीं है; हमने कुछ ऋण दिये हैं।

विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

*36. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार विवाह का रजिस्टर किया जाना विधि के अधीन अनिवार्य करने के उद्देश्य से विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करने का है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : इस समय भी विशेष विवाह अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित सभी विवाहों को इस प्रयोजन के लिए रखी गई विवाह-प्रमाण-पत्र पुस्तक में दर्ज कराना होता है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या पंजीकरण अनिवार्य है और क्या शादियों के अनिवार्य पंजीकरण के बारे में वर्ष 1962 के आसपास संयुक्त राष्ट्रों की परम्परा को यहां लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न विशेष विवाह अधिनियम के बारे में है । सम्भवतः माननीय सदस्या के मन में हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण की बात है । विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह का पंजीकरण होता है । जहां तक हिन्दू विवाह अधिनियम का सम्बन्ध है, हम अनिवार्य पंजीकरण सहित अन्य कई संशोधनों के बारे में सोच रहे हैं । लेकिन वर्तमान अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है और राज्य सरकारें इसे कर सकती हैं । अधिकांश राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं किया । हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और तलाक आदि से सम्बन्धित कई मुख्य परिवर्तन विचाराधीन है । मुझे आशा है कि शीघ्र ही हम विधि आयोग तथा महिलाओं को सामाजिक स्थान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये संसद् में कानून पेश करेंगे ।

Shri Bibhuti Misra : As far the question of amendments in Hindu Marriage Act and dowry is cancerned, various governments have determined different limits. So far as I know in Uttar Pradesh the limit of expenditures has been fixed at Rs. 5,000. Similarly, in Bihar, the limit is two thousand. It has also been said that whatever will be done according to the religious rites will not come within the ambit of this law. If a marriage is solemnized in a way other than Hindu religious rites and if anything is given by the father to his daughter a year before or after the marriage he can be apprehended. I would like to know whether the hon. Minister is contemplating to formulate an All India Act in this regard which would be applicable uniformly and no discrimination is made.

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य का प्रश्न दहेज तथा विवाह में व्यय के बारे में है जिसका हिन्दू विवाह अधिनियम के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है । यह सच है कि विभिन्न राज्य विवाहों में दहेज देने तथा व्यय करने के बारे में कानून बना रहे हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारा कानून एक जैसा होना चाहिये । हम केन्द्रीय स्तर पर दहेज तथा विवाह व्यय के बारे में कानुन लाने पर विचार कर रहे हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मंत्री महोदय ने कहा है कि एक समान कानून लाने पर विचार किया जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेने और उनसे हिन्दू विवाह अधिनियम के संदर्भ में अनिवार्य बनाने का अनुरोध करने के लिये कार्यवाही कर रही है ?

श्री एच० आर० गोखले : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यह राज्य सरकार से सम्बन्धित है । लेकिन जब हम समूचे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, तो केन्द्रीय सरकार ही केन्द्रीय अधिनियम बनाएगी । इस बीच हम राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुये हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आवश्यक नियम बनाना सरकार की जिम्मेदारी है । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अधिकांश राज्यों ने नियम नहीं बनाये हैं ।

श्री के० गोपाल : मंत्री महोदय ने बताया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है । जो लोग उच्च शिक्षा के लिये अथवा रोजगार के लिये अपनी

पत्नियों के साथ विदेश चले गये हैं, उन्होंने दुबारा शादी कर ली है। क्या हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत इसकी अनुमति है ?

श्री एच० आर० गोखले : विवाह के पंजी करण का विवाह की वैधता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां भी पंजीकरण अनिवार्य है और पंजीकरण नहीं कराया जाता, वहां सम्बन्धित व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन इस विशिष्ट मामले में, मुझे इस बात की जानकारनहीं हैं कि क्या किया जाना चाहिये। प्रस्तावित विधान में इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा।

जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य में कमी

*37. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में कमी करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10388/76]।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अधिकांश औषधियां बड़े एकाधिकार गृहों द्वारा तैयार की जाती हैं और वे इसके लिये काफ़ी ऊंचे दाम ले रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को जीवन रक्षक औषधियां सप्लाई करने के लिये कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या सरकार जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में कमी करने पर विचार कर रही है ?

श्री सी० पी० माझी : हाथी समिति ने अपनी सिफ़ारिशें दे दी हैं। और सरकार औषधियों के मूल्यों में कमी करने पर विचार कर रही है। वस्तुतः, कुछ औषधियों पर विचार किया जा रहा है और कुछ औषधियों के मूल्यों में कमी की गई है। लेकिन अभी भी सरकार इस पर ध्यान दे रही है और मंत्रालय यह यह विचार कर रहा है कि औषधियों के मूल्यों में किस प्रकार कमी की जाये ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या सरकार समस्या का हल करने के लिये राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? हाथी समिति की सिफ़ारिशें क्या हैं और सरकार ने कौन सी सिफ़ारिशें मान ली हैं ?

श्री सी० पी० माझी : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि मंत्रालय इस पर ध्यान दे रहा है और शीघ्र ही सिफ़ारिशों पर निर्णय करेगा। राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जीवन रक्षक औषधियों आम आदमी के लिये काफ़ी महंगी होती हैं ; क्या उन्हें सरकारी क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री सी० पी० माझी : जी हां ।

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : क्या यह सच है कि आपात स्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने सरकार की जानकारी के बिना जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य बढ़ा दिये हैं और क्या यह भी सच है कि जब सरकार को इस बात का पता चला तो उसने इसको रोकने के लिये कुछ नहीं किया ? क्या यह भी सच है कि आपात स्थिति से पूर्व के जिस अनुपात में दवायें बना रहे थे, आपात स्थिति के बाद उस अनुपात में दवायें नहीं बना रहे हैं ?

श्री सी० पी० माझी : हमें बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मूल्य बढ़ाने का पता नहीं चला । लेकिन सरकार इस पर निगरानी रख रही है । वस्तुत: दवाओं के मूल्य पर सांविधिक नियंत्रण है और जब कभी ऐसी बातें होती हैं, हम इन पर ध्यान देते हैं और आवश्यक कार्यवाही करते हैं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : राष्ट्र में औसत आयु 27 वर्ष से बढ़ कर 54 वर्ष हो गई है और जीवन रक्षक दवाइयों के मूल्यों में कमी से इसके 60 वर्ष तक होने की सम्भावना हैं और यदि ऐसा है तो इसका जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री सी० पी० माझी : हम ऐसी आशा करते हैं ।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अधिकांश उत्पादों के मूल्य भारतीय फर्मों के उत्पादों के मूल्यों की तुलना में अधिक हैं ? यदि हां, तो सरकार मूल्यों को कम करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने पर लगभग एक वर्ष क्यों ले रही है । हाथी समिति ने पिछले वर्ष 8 अप्रैल को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और आज 9 मार्च है और सरकार अभी तक प्रतिवेदन पर विचार कर रही है । विदेशी कम्पनियां, जोकि भारतीयों से अधिक मूल्य वसूल कर रही है, के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती और उन्हें मूल्य कम करने के लिए क्यों नहीं कहा जाता ?

श्री सी० पी० माझी : हाथी समिति की सिफ़ारिशें काफी महत्वपूर्ण हैं और सरकार को इन सब जटिलताओं के बारे में जानकारी है । सरकार इस समस्या से पूर्णतया अवगत है । हम आशा करते हैं कि हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, जिनका कि कुछ दवाइयों के मामले में एकाधिकार है पर, अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अग्रगी बनाकर नियंत्रण पा लेंगे और तब स्थिति सुधर जायेगी ।

नई ईंधन पूर्ति व्यवस्था

+

*38. श्री पी० गंगादेव :
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय एक नई ईंधन पूर्ति व्यवस्था पर विचार कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) कृषि क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्र में फार्म ईंधन केन्द्र की स्थापना की है। जहां पेट्रोल मिट्टी तेल डीजल तेल तथा स्नेहक तेल की बिक्री के अतिरिक्त फालतू पुर्जों, कीटनाशी, उर्वरक आदि की बिक्री के साथ-साथ ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि मशीनरी के लिए मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है यह कार्यक्रम अब अन्य सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, समस्त सरकारी क्षेत्रीय कम्पनियां ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बहुत से अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों को बहु-उद्देशीय ग्रामीण वितरण केन्द्रों में बदल रही है। जहां विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों तथा ग्रामीण जनता द्वारा अपेक्षित सेवाओं जैसे साइकिल के टायर एवं ट्यूब कन्ट्रोल का कपड़ा, वस्त्र, आम घरेलू दवाइयां, वनस्पति, तथा ईंधन, गैस (बन्द टिनों में) बीज एवं उर्वरक आदि भी बेचे जायेंगे। जनवरी, 1976 तक देश के विभिन्न भागों में 114 ऐसे केन्द्र स्थापित किये गये हैं। समस्त सरकारी क्षेत्रीय विपणन कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के अधिक केन्द्र खोले जाने की प्रक्रिया जारी है।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले कुछ वर्षों में ईंधन की कमी होगी और देश में ईंधन के मूल्य बहुत बढ़े हुए हैं मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसे परीक्षण किये गये जैसा कि अन्य देशों में ऐसे किये गये हैं जिससे कि ईंधन के रूप में ईंधन की पूर्ति की पद्धति निकाली जाये जो किसानों, उद्योगपतियों के लिये उत्पादन बढ़ाने के लिये समान रूप से उपयोगी हो, यदि हां, तो क्या हम जान सकते हैं कि इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० डी० मालवीय : क्या माननीय सदस्य ईंधन की चर्चा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उनका अभिप्राय उस पद्धति से है जिससे किसानों तथा उद्योगपतियों का सम्बन्ध हो।

श्री के० डी० मालवीय : यह संगत नहीं है। फिर भी ईंधन की वैकल्पिक स्रोत का अनुसन्धान और विकास करने के लिए सरकार सदा प्रयत्नशील रही है।

श्री पी० गंगादेव : मेरा दूसरा प्रश्न है : †मूल उत्तर में कहा गया है कि भारतीय तेल निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म ईंधन केन्द्रों की स्थापना की है तथा इस कार्यक्रम को अन्य सरकारी प्रति-

ष्ठानो में भी प्रारम्भ किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने सरकारी केन्द्र स्थापित किये गये हैं और इन केन्द्रों के प्रति जनता का क्या रवैया है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ऐसे ईंधन केन्द्रों को प्रोत्साहन दे रही है । डीजल आयल, पेट्रोलियम उत्पादन केन्द्रों को फार्म ईंधन केन्द्रों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है ताकि और वस्तुओं को भी ग्रामीण जनता को उचित अथवा घटे हुए मूल्यों पर दिया जा सके । जैसा कि मैंने पहले बताया है, पहले से विद्यमान 11000 केन्द्रों के अलावा 114 केन्द्र देश में स्थापित किये जा चुके हैं तथा देश में और अधिक केन्द्रों को फार्म ईंधन केन्द्रों के रूप में परिवर्तित किया जायेगा ।

श्री अमृत नाहाटा : ईंधन में घरेलू ईंधन भी सम्मिलित होता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि हमारे देश के मरुस्थल और सखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों में ईंधन उपलब्ध नहीं है ? यह क्षेत्र कोयला क्षेत्र से बहुत दूर के क्षेत्र हैं। उनके ईंधन का स्रोत मात्र लकड़ी है। इसका अर्थ है जंगलों का उन्मूलन। इससे मरुस्थल और बढ़ता है। क्या मंत्री महोदय सभा को विश्वास दिलायेंगे कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तथा मरुस्थल के सभी नगरों एवं उपनगरों में घरेलू गैस देने को प्राथमिकता दी जायेगी और गैस उदारतापूर्वक दी जायेगी ताकि प्राकृतिक पेड़ों आदि की रक्षा की जा सके ?

श्री के० डी० मालवीय : पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है जिसका उत्तर देना मैं नहीं चाहूंगा, परन्तु मैं उत्तर दूंगा। इस बारे में कोई आश्वासन देने में, अर्थात् मरुस्थल वाले स्थानों में गैस देने के बारे में स्पष्ट कठिनाइयां हैं। यह महंगा ईंधन है। इसे वहां पहुंचाना कठिन है। जहां तक कच्चे तेल के उपलब्ध किये जाने का प्रश्न है, यह महंगा ईंधन है और जितनी गैस का वितरण हम बढ़ाते हैं उतना कच्चा तेल हमें आयातित करना पड़ेगा। हमारे पास कच्चे तेल का अभाव है। इसलिये हम चूल्हे में इस्तेमाल होने वाली गैस के वितरण को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसलिये कुछ और करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में सस्ते मिट्टी के तेल के चूल्हे वितरित करने पर विचार हो रहा है और अगले कुछ सप्ताहों अथवा महीनो में हम माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में ऐसे मिट्टी के तेल के चूल्हे वितरित कर पायेंगे ।

श्री राम सहाय पाँडे : मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि घरेलु गैस की ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी मांग है। उस मांग को ध्यान में रखते हुए आप उसे कैसे पूरी करेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : हम अपनी पूरी चेष्टा कर रहे हैं। जब बम्बई हाई से गैस उपलब्ध होगी तब हम उससे चूल्हे में प्रयोग होने वाली गैस देने की चेष्टा करेंगे ।

आरा-ससाराम लाइट रेलवे का अधिग्रहण

+

***39. श्री समर मुखर्जी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनियन नेताओं को पहले दिये गये आश्वासन के अनुसार आरा–ससाराम की मार्टिन लाइट रेलवे को अपने अधिकार में लेने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री समर मुखर्जी : मंत्री महोदय को आरा-ससाराम की मार्टिन लाइट रेलवे के हालात का पता है । इस मामले की ओर न केवल मैंने अपितु श्रमिक संगठनों के नेताओं ने भी उनका ध्यान आकर्षित किया । इसे सभा में उठाया जा चुका है । मंत्री महोदय ने बार-बार कहा है और अभी हाल ही में मुझे लिखे अपने पत्र में उन्होंने बताया है कि ध्यान देंगे कि रेलवे चालू रहे और बन्द न हो। उन्होंने मुझे बताया है कि यदि कम्पनी इसे चलाने में विफल रहती है तो सरकार इसे अधिकार में ले लेगी ? परन्तु अब श्री कुरेशी इससे इन्कार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय भी इसी क्षेत्र के हैं । वह पूरी स्थिति जानते हैं। क्या स्थिति यह नहीं है तो अन्तः रेलवे सरकार को अधिकार में लेनी पड़ेगी क्योंकि कम्पनी इसे लम्बे अरसे तक नहीं चला पायेगी। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहे तथा गाड़ियों का चलना बन्द हो गया है । मैंने तथा श्रमिक संगठनों ने कई प्रतिवेदन दिये हैं। बिहार राज्य सरकार ने भी रेल मंत्रालय को इसे अपने अधिकार में लेने का निवेदन किया है । क्या इन सब प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए उसे अधिकार में लेने का निर्णय यदि नहीं किया गया तो क्या मंत्री महोदय अब इसे जितनी जल्दी हो सके अधिकार में लेने पर विचार करेंगे तथा रेलवे को दक्षतापूर्वक चलायेंगे तथा कर्मचारियों की इस विषम परिस्थिति में रक्षा करेंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है यह कम्पनी ससाराम जिला बोर्ड के साथ एक समझौते के अधीन कार्य कर रही है । जब कम्पनी भारी वित्तीय संकट में थी तब केन्द्रीय सरकार ने उसकी सहायता की थी। दिसम्बर, 1974 में रेलवे को पूरी तरह बन्द करने के लिये नोटिस दिया गया था । उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने इस मामले को सभा में उठाया था तथा रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था। हमने तुरन्त ही इस कम्पनी को 2.5 लाख रुपए अग्रिम राशि के रूप में दिये तथा वे अपनी प्राथमिक कठिनाइयों पर काबू पा सके । बाद में यह पता चला कि यह कम्पनी भविष्य निधि की अदायगी भी नियमित रूप से नहीं कर रही है । इस समस्या का एक और पहलु है। राज्य सरकार ने इस विशेष रूट पर बहुत से परमिट जारी किये जिससे यह लाइन अलाभकर हो गई । इसी लिये इसे चालू रखने पर हानि हो रही है । कम्पनी कर्मचारियों को दिसम्बर, 1975 और जनवरी, 1976 में वेतन और मजदूरी नहीं दे पाई और कर्मचारियों ने 6/7–2–76 से रेल सेवा का चलाना बन्द कर दिया । कम्पनी ने दिसम्बर, 1975 में रेलवे के बन्द करने का पुनः नोटिस दिया। हमने देखा कि कम्पनी को 3.61 लाख रुपए राज सहायता देय है । हमने तुरन्त इसकी अदायगी कर दी ताकि कम्पनी कर्मचारियों की मांगें पूरी कर सके। कम्पनी ने 27 फरवरी, 1976 को कर्मचारियों को कार्य पर आने तथा अपने दिसम्बर, 1975 और जनवरी, 1976 के वेतन लेने का नोटिस दिया । मंत्रालय ने कम्पनी के कार्यकरण का पुनः अध्ययन किया है । हमने निर्णय किया है कि कम्पनी को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिये कम्पनी की बैंकरों पर ओवर ड्राफ्ट की राशि 5 लाख से बढ़ा कर 10 लाख कर दी जाये । इससे उन्हें कर्मचारियों की मांगें पूरी करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी । एक निर्णय और किया गया है कि कम्पनी को राज सहायता थोड़े-थोड़े अन्तराल के बाद दी जाये ताकि कम्पनी अपने वायदों को

पूरा कर सके । कम्पनी ने अपने 1975-76 के बजट में नवीकरण तथा उपकरण आदि बदलने के लिये 2 लाख रुपये की व्यवस्था की है जिसकी रेल मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है । हमें उम्मीद है कि इस कदम से कम्पनी की वित्तीय स्थिति और कार्य क्षमता में सुधार होगा ।

श्री समर मुखर्जी : यह बातें बार-बार कही गई हैं परन्तु हम समझते हैं कि इस प्रकार की सहायता से इसे बनाये नही रखा जा सकता । सरकार द्वारा इसे अपने अधिकार में लिया जाना आवश्यक है । सरकार इसे अधिकार में क्यों नहीं ले रही ? क्या इसका कारण यह है कि यह लाभ में नहीं चल रही । कृपया इसका सीधा उत्तर दें ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : एक कारण यह भी है परन्तु मौलिक बात यह है कि कम्पनी जिला बोर्ड के साथ एक करार के अनुसार कार्य कर रही है । जिला बोर्ड हर सात वर्ष पश्चात् करार का नवीकरण कर सकती है अथवा इसे समाप्त कर सकती है । 1972 में यह विकल्प उपलब्ध था परन्तु उन्होंने इसे समाप्त नहीं किया । अब जबकि केन्द्रीय सरकार इस मामले में पड़ गई है, अधिकार में लिये जाने की शर्तों, आर्थिक तथा संचालन संबंधी दायित्वों आदि का अध्ययन किया जायेगा । हमें राज्य सरकार से भी परामर्श करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस रूट को आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बनाना पड़ेगा । ऐसा चल स्टाक तथा संचालन क्षमता के सुधार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये बस रूटों को कम करके किया जा सकता है । यदि एक समान्तर सड़क चलती है तथा अधिक यातायात सड़क परिवहन की ओर चला जाता है तो यह कम्पनी लाभ में नहीं चल सकती ।

श्री समर मुखर्जी : क्या आप उनके कार्य को कुछ समय तक देखकर पुनर्विचार करेंगे ? यदि उनका कार्य संतोषजनक नहीं होता तब क्या आप अपने हाथ में लेने की सोचेंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : नई प्रणालियों को लागू करके हम विचार करेंगे ।

Shri D. N. Tewari : Whatever efforts the Government might make the working of this company is not going to improve. The purpose of running trains is to provide a facility to the passengers. Here the speed of the train is so slow that even the pedestrians have it behind what to talk of cycles and tumtums. The people get down and board the moving trains at will. If the government has to operate this railway it ought to do it properly or else wind it up. The present state of affairs causes inconvenience to the travellers. The company is incurring loss and the government has to give subsidy. By spending a little more money the government can take it over. It is obvious that when the railway is taken over it would improve. The hon. Minister has stated that a parallel road and a lot of buses have been given permits due to which the railway run in loss. This is wrong. The company is running in loss due to mis-management. It is, therefore, necessary that the Government may take over the railway or else the present state of affairs could continue causing hardships to the passengers and loss to the company.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The passengers in this railway have two type of facilities. Due to the slow speed of train passengers can get in and get out as they wish and they travel without ticket. Due to this the railway is running in a loss. All these matters would have to be looked into before the government decides to take it over.

गहन महाद्वीपीय मग्ननट के अन्तर्गत तेल की खोज के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण

***21. श्री भान सिंह भौरा :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **पैट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **गहन महाद्वीपीय मग्नतट परियोजना के अन्तर्गत** समुद्र तट से दूर **तेल की खोज के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण** कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय इन सर्वेक्षणों से सामग्री तैयार की जा रही है । इन परिणामों का उस सामग्री के तैयार और व्याख्या किए जाने के बाद ही पता चलेगा ।

(ग) इन सर्वेक्षणों के परिणामों के निर्भर रहने पर इस वर्ष के दौरान गहरे महाद्वीपीय मग्नतट क्षेत्र में अन्वेषी व्यवधन कार्य हाथ में लिए जाने की योजना है ।

Shri B. S. Bhaura : I want to know from the hon. Minister by what time the results will be known ? Has the Government fixed some target date for processing the data ?

Shri K. D. Malaviya : It is very difficult to do it more speedily. This area is far off i.e. about 150—175 kilometers from Bombay and seismic survey etc. is conducted there and its interpretation is being done. It takes time. It is not worth while to spend 5 to 10 crores of rupees without proper investigations. So I have said that by the end of the year we shall complete the exploratory drilling.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Agreement with Algeria to import Crude Oil and Gas

***22. Shri Hari Singh :**
Shri C. K. Chandrappan :

Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state :

(a) whether Government have recently entered into an agreement with Algeria in regard to import of crude oil and liquified gas ; and

(b) if so, the terms and conditions on which the crude oil will be imported ?

The Minister of Petroleum (Shri K. D. Malaviya) (a) and (b) . Under the trade Agreement signed on 10-2-1976 between India and Algeria, crude oil and petroleum products have been identified as two of the items that could be considered for import by India.

रेलवे रियायत के लिए पर्वतीय स्टेशन

*23. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे रियायती टिकट जारी करने के लिए पर्वतीय स्टेशन का चयन करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या पहाड़ों में स्थित तीर्थ स्थलों को भी ऐसे पर्वतीय स्टेशनों की सूची में शामिल किया गया है ; और

(ग) क्या उक्त सूची में हरिद्वार, ऋषिकेश और कोटद्वार को शामिल करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे रियायती टिकट जारी करने के प्रयोजन से किसी स्टेशन विशेष को पर्वतीय स्टेशन निश्चित करने के लिए अब तक निम्नलिखित मानदंड अपनाये गये हैं :—

(i) कि पर्यटन की दृष्टि से स्टेशन का पर्याप्त महत्व है और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उसे ऐसा मान लिया गया है ।

(ii) कि स्टेशन ऐसा है जहां पर्यटक से भिन्न दूसरा यातायात अधिक नहीं है और रियायती वापसी टिकटें रेलों के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकारी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) हरिद्वार, ऋषिकेश और कोटद्वार के लिए पर्वतीय स्टेशन सम्बन्धी रियायत देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित औषधियों की बिक्री

*24. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को मेथिल डोपा के नियतन तथा सप्लाई की क्या नीति थी ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा विशिष्टतया आयातित मेथिल डोपा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत निर्धारित मूल्यों पर फर्मों को नहीं दिया गया था; और

(ग) विभिन्न औषध तथा भेषज वस्तुओं के स्वयं पार्टियों द्वारा आयात किये जाने के मुकाबले में, राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित विभिन्न औषध तथा भेषज वस्तुओं की अपेक्षाकृत अधिक वसूली मूल्यों से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) गत दो वर्षों में से डी०जी०टी०डी० एककें सभी सारणीबद्ध पदार्थ उपभोग किये जाने तक जिसमें मेथाइल डोपा भी शामिल है अथवा राज्य ड्रग नियंत्रक द्वारा सिफारिश की गई मात्रा जो भी कम हो दे रही है। लाइसेंसिकृत क्षमता के आधार पर प्रत्येक मामले में विशेषताओं पर अधिक मात्रा दिये जाने की सिफारिश की जाती है।

1975-76 के दौरान निम्नलिखित एककें जिसमें लघु पैमाने की एककें भी शामिल हैं, को मेथाइल डोपा दिये जाने की सिफारिश की गई थी।

1.	मैसर्स आई० डी० पी० एल० . . .	5 मी० टन
2.	मैसर्स मेर्क शार्प एण्ड डोमे . .	2 मी० टन
3.	डेज मेडीकल स्टोर	2 मी० टन
4.	थेमिस .	2 मी० टन
5.	सुनीता लेब्स .	2 मी० टन
6.	गुजरात फार्मास्यूटिकल्ज . .	200 कि०ग्रा०
7.	मैसर्स जगसा नेपाल एण्ड कम्पनी . .	200 कि०ग्रा०
8.	मैसर्स यूनिक कैमीकल्स	200 कि०ग्रा०
9.	मैसर्स काडिला लैब्स .	200 कि०ग्रा०

तथापि मैसर्स सुनिता ने बताया कि बाजार के सर्वेक्षण कर रहे हैं तथा बतायेंगे कि क्या वे मेथाइल डोपा के दिये जाने में रुचि रखते हैं या नहीं।

(ख) जैसे कि नीचे दिया गया है मेथाइल डोपा गोदाम के बाहर के 975 रुपये प्रति किलो अनुमोदित मूल्य पर आवंटन आदेश जारी किये गये हैं।

पार्टी का नाम	आवंटन आर्डर दिनांक	मात्रा
1. मैसर्स आई०डी०पी०एल०, नई दिल्ली	21-2-76	1000 कि०ग्रा०
2. मैसर्स थेमिस कैमीकल्स, वापी	,,	2000 कि०ग्रा०
3. मैसर्स डेज मेडीकल स्टोरज, कलकत्ता	,,	1000 कि०ग्रा०
4. मैसर्स गुजरात फार्मास्यूटिकल्स	,,	200 कि०ग्रा०

पार्टी का नाम	ग्रावंटन ग्रार्डर दिनांक	माता
5. मैसर्स ग्रहमदाबाद जागोसन पाल एण्ड कं०, फरीदाबाद	21–2–76	200 कि०ग्रा०
6. मैसर्स यूनिक कैमीकल्स, बम्बई	,,	200 कि०ग्रा०
कुल		4800 कि०ग्रा०
निम्नलिखित मात्रायें पहले दी गई हैं :		
1. मैसर्स मे शार्प एण्ड डोहमे, बम्बई	मई, 1975	2000 कि०ग्रा०
2. मैसर्स ग्राई०डी०पी०एल०, नई दिल्ली	विभिन्न ग्रावंटन ग्रादेश	4500 कि०ग्रा०
		11300 कि०ग्रा०

बाद में मैसर्स कैडिला लाइब्रोटेरीज़ प्राइवेट लि० को भी ग्रावंटन ग्रादेश जारी किया गया ।

(ग) राज्य व्यापार निगम वर्ष के लिए निर्धारित ग्रायात योजना के ग्रनुसार ग्रपनी खरीद के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए टेण्डर ग्रामंत्रित करता है। राज्य व्यापार न्याय के प्रबन्ध द्वारा विशेष स्रोत/स्रोतों से खरीदी का निर्णय उनके व्यापारिक नियम के ग्राधार पर किया जाता है। चाहे कुछ मामलों में रुपये में भुगतान का क्षेत्र कुछ ग्रधिक क्यों न हो। सरणीबद्ध ग्रौषध, ग्रौषध (मूल्य नियंत्रण) ग्रादेश 1970 की व्यवस्थाग्रों के ग्रन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर एस०टी०सी०/ग्राई०डी०पी०एल० द्वारा बेचे जाते हैं।

जम्मू-कश्मीर तथा केरल के बीच सीधी रेलगाड़ी का चलाया जाना

***26. श्री ए० के० गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू–काश्मीर ग्रौर केरल के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने का विचार कर रही है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम के सन्यन्त्रों को हुई हानि

***27. सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के छः संयंत्रों को कुल 20 करोड़ रुपये की हानि होने की सम्भावना है जबकि गत वर्ष कुछ लाभ हुग्रा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त हानि को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) उत्पादन में सुधार के बावजूद 1975–76 के दौरान निगम को 20.97 करोड़ रुपये की कुल हानि का अनुमान है। निगम के चल रहे 6 संयंत्रों में से 5 को हानि होगी। कच्चे माल जैसे कि नेप्था, ईंधन, तेल, कोयले, सल्फर, बिजली आदि की लागत मे वृद्धि और स्थायी लागत जैसे कि वेतन, मजदूरी, मरम्मत और रखवाली में वृद्धि आदि हानि के मुख्य कारण हैं। मेथानोल और एन०पी० के उर्वरक के मूल्य में कमी के कारण भी हानि हुई है। सरकार ने उर्वरकों के वर्तमान मूल्य के आधारों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो मूल्य नीति की सिफ़ारिश करेगी और स्थायी आधार पर लागत की उचित प्रतिपूर्ति को सुनिश्चित करेगी।

वैगनों के नये क्रयादेशों का समान वितरण

*28. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैगनों के नये क्रयादेशों के समान वितरण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 15,555 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के लिए अतिरिक्त आर्डर देने के सम्बन्ध में माल डिब्बा उद्योग के 10 सक्रिय यूनिटों को न्यायसंगत ढंग से पेशकश की गयी है जिससे कि पिछले बकाया आर्डरों तथा अतिरिक्त आर्डरों से, सभी यूनिटों को उनकी प्रत्याशित उत्पादन क्षमता के आधार पर लगभग तीन वर्ष के लिए बराबर-बराबर कार्यभार मिल जायेगा।

सकड़ी-हसनपुर नयी रेल लाइन का निर्माण

*35. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकड़ी–हसनपुर नयी रेल लाइन के निर्माण के लिए वर्ष 1975–76 के बजट में 5 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित या स्वीकृत की गई है; और

(ख) क्या फ़रवरी, 1974 में उस पर औपचारिक रूप से मिट्टी डालने का कार्य आरम्भ हो गया था;

(ग) भूतपूर्व रेल मंत्री की मृत्यु के तत्काल बाद वह काम बन्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह कार्य शीघ्र पुनः शुरू कराने का है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) 4.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सकरी–हसनपुर नयी रेलवे लाइन के निर्माण का काम 1974–75 के बजट मैं शामिल किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन रेलमंत्री स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने किया था। उद्घाटन के तुरन्त बाद प्रतीक के रूप मे मिट्टी संबंधी काम की शुरुआत की गयी थी लेकिन भूमि और मिट्टी संबंधी काम की 1.38 करोड़ की लागत वहन करने के बारे में बिहार राज्य सरकार की स्वीकृति न मिल पाने के कारण यह काम आगे जारी नहीं रखा जा सका। बिहार सरकार की स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

रेलवे में भोजन यानों को बन्द किया जाना

*40. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे मैं सभी मौजूदा भोजन यानों को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

123. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में कितने प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित और जनजाति के हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : 30–9–1975 को उत्तर रेलवे पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या तथा कुल कर्मचारियों से उनके प्रतिशत नीचे दिये गये हैं :—

सेवा श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
I	363	18	4.9	..	..
II	661	25	3.8	..	..
III	81573	8467	10.4	45	0.06
IV (सफाई वालों को छोड़कर)	105727	22,606	21.4	813	0.8
V (सफाई वाले)	12778	11,680	91.4	..	..

आर्थिक अपराधियों के लिए संक्षिप्त विचारण

124. **श्री शशि भूषण :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के 12वें सूत्र में आर्थिक अपराधियों को भयोपरत करने वाले दंड के लिये "संक्षिप्त विचारण" का उल्लेख है ;

(ख) क्या इस बीच इस बारे में विशेष कानून बनाये गये हैं और ऐसे मामलों के निर्णय के लिये विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Wages of casual labourers in Samastipur Division

125. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether minimum wages are being paid to the casual labour in Samastipur Division on the North Eastern Railway in Bihar State ;

(b) if so, the per day wages paid to each labourer ;

(c) whether Government are aware that the labourers working at Monghyr, Begusarai, Mansi and Thana Bihpur in Samastipur Division are not being paid the minimum wages fixed by the District Magistrate under the 20-point economic programme ; and

(d) if so, the steps proposed to ensure payment of the minimum wages there as fixed by the District Magistrate ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a), (b), (c) and (d). The policy is to pay casual labour at rates prescribed by the local District Magistrates. From 24-4-1974 casual labour employed at Monghyr, Mansi and Thana-Bihpur are being paid wages at Rs. 3.85 per day and those employed at Begusarai Rs. 3·50 per day, as fixed by the concerned District Magistrates. These District Magistrates have been contacted to ascertain whether any revision of the above rates is due.

पश्चिम बंगाल में तेल के लिए छिद्रण कार्य

126. **श्री समर गुह :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और इसके समवर्ती तटीय क्षेत्र में तट-पर और तट-दूर तेल छिद्रण कार्य से अनुकूल संकेत प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नंगल बाँध-भाखड़ा बाँध परियोजना रेलवे को रेल प्रशासन द्वारा लिया जाना

127. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर:** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेला (भाखड़ा बांध के समीप) में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना के परिणामस्वरूप माल यातायात में अत्यधिक वृद्धि की सम्भावना के संदर्भ में नांगल-बांध-भाखड़ा-बांध परियोजना रेल को अपने हाथ में लेने के बारे में रेल प्रशासन ने क्या निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो उक्त निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नेला में अखबारी कागज का एक कारखाना लगाने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है । यातायात की सम्भावनाओं का अनुमान लगाने के लिये उत्तर रेलवे ने विस्तृत जांच का काम शुरू किया है ।

(ख) उत्तर रेलवे द्वारा की जा रही जांच के पूरा हो जाने के बाद इस सम्बन्ध में विनिश्चय किया जाएगा । अभी से कोई निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है ।

मुगलसराय-लखनऊ यात्री गाड़ी और सुलतानपुर-वाराणसी पार्सल गाड़ी में टक्कर

128. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय-लखनऊ यात्री गाडी और सुल्तानपुर-वाराणसी के पार्सल गाडी के बीच 11 फरवरी, 1976 को जाफराबाद के निकट टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किन कारणों से हुई थी ;

(ग) उसमें कितने व्यक्ति घायल हुये और कितने व्यक्ति मरे ; और

(घ) दुर्घनाग्रस्त लोगों को कितना मुआवजा दिया गया और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मुगलसराय लखनऊ सवारी गाड़ी 7/2 डाउन माल गाड़ी से टकराई थी, न कि सुल्तानपुर-वाराणसी पार्सल गाड़ी से ।

(ख) दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई थी ।

(ग) इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन, 36 व्यक्तियों को मामूली सी खरोंच आदि लगी थी।

(घ) मुआवजे के लिये किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है और न ही किसी ने अभी तक कोई दावा किया है।

गाड़ियों के चालन सम्बन्धी काम में लगे हुये कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें या लाघव पद्धति न अपनायें, रेलों के संरक्षा संगठन सतत प्रयत्नशील रहते हैं। सभी दुर्घटनाओं की पूरी जांच की जाती है और इस प्रकार की दुर्घनटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये समुचित निवारक उपाय किये जाते हैं। जहां तक व्यावहारिक हुआ है सिगनल और अन्तर्पाश की बेहतर व्यवस्था, रेल-पथ परिपथन आदि के रूप में प्रौद्योगिक सुधार भी किये गये हैं। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है।

Production of Fertilizer in Madhya Pradesh

129. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the quantity of fertilizers produced in Madhya Pradesh and the quantity of fertilizers imported to meet the need of the State indicating the names of the countries from where they are imported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Shri C. P. Majhi) : During the period April, 1975 to February 1976, 5,000 tonnes of nitrogen was produced as by-product by the Bhilai Steel Plant, and a quantity of 3,400 tonnes of P. 205 was produced by Dharamsi Morarji Chemical Company, Kumhari located in Madhya Pradesh.

Following quantities of imported fertilizer were allotted to Madhya Pradesh during the Khariff 1975 and Rabi 1975-76 ;

	N	P	K
		(In tonnes)	
(a) Khariff 1975 (Feb.—July 1975)	21,762	6,929	5,155
(b) Rabi 1975-76 (August '75—January 1976) . .	59,642	26,605	7,862
TOTAL .	81,404	33,534	13,017

Allocation of imported fertilizers is made to the various States on the basis of their requirements and the overall availability of fertilizers. Such allocation is not linked with any country or shipment, but is made out of the total imported stocks available with the Central Fertilizer Pool.

Expansion of Diesel Shed at Ratlam

130. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the scheme for expansion of Diesel Shed at Ratlam in Ratlam Division of Western Railway has been approved;

(b) the outlay involved in the proposed expansion work ; and

(c) when is the work likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) 98% of the work under the approved scheme for expansion of Diesel Shed at Ratlam has already been completed. The balance work for fixing of side louvers to the heavy repair bay is in progress and is expected to be completed shortly. The outlay involved for this scheme is Rs. 39·42 lakhs.

Slow speed of trains in Malwa Region of Madhya Pradesh

131. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether most of the trains in Malwa region of Madhya Pradesh run at a slow speed which causes many difficulties for the passengers and traders in the entire region there; and

(b) if so, the remedial measures being taken by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) In the Broad Gauge section of Malwa region diesel hauled Mail/Express trains are running at the maximum permissible speed. However, in some sections of Broad Gauge and Metre Gauge, the booked speed of trains has to be reduced on account of adverse gradients, condition of track, mode of traction and the loads of the trains etc. Speeding up of these trains is, therefore, not fe sible at present.

बम्बई हाई के लिए रिग "सैनानडोह" की प्राप्ति

132. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई के लिये नया रिग 'सेनानडोह' कहां से प्राप्त किया गया था;

(ख) समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ग) बम्बई हाई तथा अन्य तटदूर क्षेत्रों में पहले से काम कर रहे रिगों की तुलना में इसकी परिचालन क्षमता कितनी है ; और

(घ) यह काम करना कब से आरम्भ करेगा ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) शेननदोह एक जैक-अप व्यधन रिग है जो मैसर्स एकबुड आसेनिक्स इंक, यू० एस० ए० से दो वर्षों की निर्धारित अवधि के लिये किराये पर ली गई है ।

(ग) रिग बम्बई हाई में 270 फीट की पानी की गहराई तक कार्य कर सकती है जब कि ओ० एन० जी० सी० का अपना सागर सम्राट जैक-अप रिग 255 फीट पानी की गहराई तक कार्य करने के लिये निर्धारित है । हैकन मैगनस और डालमाहोई जैक-अप रिगस नहीं है परन्तु तैरने वाले है जो ओ० एन० जी० सी० द्वारा बम्बई हाई में कार्य करने के लिये किराये पर लिये गये हैं और ये पानी की 600 फीट की गहराई तक खुदाई कर सकते हैं ।

(घ) शेननदोह की लगभग इस महीने के माध्यम से बम्बई हाई में खुदाई कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ।

Cases pending in Jabalpur High Court

133. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Law Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases pending in Jabalpur High Court for more than one year; and

(b) whether a large number of cases have been pending in this High Court for more than five years and whether the Central Government propose to issue any direction to the High Court for expeditions disposal of these cases within a stipulated period ?

The Minister of Law Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) 21,087 cases were pending for more than one year in the High Court on 31-2 -1975.

(b) 3,772 cases were pending for more than five years on 31-12-1975. Government cannot issue any directions to the Court. However, the State Authorities have been advised to review and refix the Judge-strength of the High Court from time to time taking into account institutions, disposals and pendency. The Chief Justice of the High Court is regularly reviewing the pendency of cases and by constituting special benches, taking up of group of cases involving similar points of law, disposal of cases is being expedited.

मेसर्स एब्बट (इण्डिया) लिमिटेड का कार्यकरण

134. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एब्बट (इण्डिया) लिमिटेड के सी० ओ० बी० आवेदन-पत्र में एरीथोमाइसिन उत्पादों के लिये कितनी क्षमताओं का उल्लेख है और इस देश में औषध निर्माण क्षेत्र में उनके द्वारा पहले से कौन से मूल क्रियाकलाप चल रहे हैं और गत तीन वर्षों में वर्षवार, उनके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा विदेशों में भेजी गई; और

(ख) मूल्य एवं मात्रा के रूप में उनकी मूल इक्विटी, वर्तमान, इक्विटीइ जमा तथा बल्क औषध क्रियाकलाप की प्रतिशतता क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) :(क) पार्टी द्वारा सी०ओ०बी० लाइसेंस के लिये दिये गये आवेदन पत्र में प्रपुंज एरिथोमाइसीन पर आधारित सूत्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित क्षमताओं की मांग की गई थी ।

क्रम सं०	सूत्रयोग का नाम	मांगी गई क्षमता
1	एरिथोमाइसीन 100 एम जी	8 मिलियन गोलियां
2	एरिथोमाइसीन 250 एम जी . .	17 मिलियन गोलियां

इस समय इस कम्पनी द्वारा किसी प्रपुंज औषध का निर्माण नहीं किया जा रहा है यद्यपि उनके पास प्रति वर्ष 4 टन एरिथोमाइसीन का निर्माण करने के लिये आशय पत्र है । वर्ष 1973 के दौरान उन्होंने लाभांश के रूप में 14.86 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बाहर भेजी । वर्ष 1974 और 1975 के दौरान कम्पनी द्वारा बाहर भेजी गई राशि के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(ख) इस कम्पनी का मूल साम्य पूंजी वर्तमान साम्य पूंजी और निधियों के बारे में आंकड़े पहले ही औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति की रिपोर्ट के अध्याय 5, परिशिष्ट I में दिये गये हैं, जिसकी एक प्रति 8-5-75 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी फ़र्म इस समय किसी प्रपुंज औषध का निर्माण नहीं कर रही है अतः इसके कार्य कलाप केवल सूत्रयोगों तक ही सीमित है ।

रेल वेगनों का कम उपयोग

135. श्री वसन्त सा े : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों के कम उपयोग का रेल वित्त पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले है क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधायें

136. श्री राम सहाय पाँडे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं । लेकिन, कुछ महत्वपूर्ण रेलवे टर्मिनलों पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Loss by Fertilizer Corporation of India

137. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) Whether a report on the loss of lakhs of rupees to the Fertilizer Corporation of India due to the Sales Manager, Madras was submitted in April, 1974 and if so, the action taken thereon and the names of the persons found guilty ; and

(b) the amount of the loss suffered by the Fertilizer Corporation of India on this account ?

The Deputy Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri C. P. Majhi) : (a) and (b) The Committee on Public Undertakings (1973-74) in its 50th Report had referred to a case, where the Sales Manager, Madras area office of the Fertilizer Corporation of India, extended credit to one of the Corporation's dealers against post-dated cheques and recommended that the entire deal should be investigated. Accordingly, the Fertilizer Corporation of India appointed a Committee to go into the case. The Committee found that the party's account had since been fully settled and nothing was outstanding against them, and that the Sales Manager had acted beyond his powers in extending the credit against post-dated cheques, although there was no *malafide* intention.

In the light of the findings of the Committee that no *mala fide* need be attached in this case and taking into consideration the explanation submitted by the officer, it was decided by the competent authority that a letter of caution should meet the ends of justice. Accordingly, a letter of caution has been issued to the officer.

विदेशी परामर्शदात्री सेवाओं का विस्तार

138. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे में विदेशी परामर्शदात्री सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें तथा उद्देश्य क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पिछले दस वर्षों में विकासशील देश रेल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय परामर्श को अधिकाधिक तरजीह देते दिखायी दिये हैं और भारतीय रेलों ने विभिन्न देशों के लिए अनेक निर्माण कार्य शुरू किये हैं। परामर्श देने के इस काम को तर्कसंगत आधार पर संगठित करने के लिए रेल मंत्रालय के तत्वावधान में स्वतंत्र कम्पनी के रूप में एक सार्वजनिक उपक्रम अर्थात "रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लि०" (संक्षेप में राइट्स) की स्थापना की गयी है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है।

यह कम्पनी (1) नयी लाइनों के निर्माण, दोहरी लाइनें बिछाने, आमान परिवर्तन और रैलवे बिजलीकरण के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण करने, (2) उत्पादन कारखाने स्थापित करने, (3) परियोजनाओं का मूल्यांकन करने (4) सभी रेल उपस्करों का अभिकल्प तैयार करने, विकास करने, चयन करने तथा निरीक्षण करने, (5) रेलों का परिचालन और (6) प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी परामर्श आदि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में विदेशी रेलों को सभी प्रकार की कार्रवाई परामर्श सेवा पेश करती है।

रेलों द्वारा देशी उद्योग से खरीदे जाने वाले उपस्कर का निरीक्षण करने और नयी साइडिगों तथा देश में नये औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए अपेक्षित सुविधाओं का सर्वेक्षण करने का काम भी राइट्स को सौंपा गया है।

काल्टैक्स तथा अन्य विदेशी तेल कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने के लिए बातचीत

139. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या पट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काल्टेक्स, आसाम आयल कम्पनी तथा आयल इंडिया लिमिटेड की परिसंपत्तियों तथा उनके कार्य संचालन को अपने अधिकार में लेने के बारे में बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) जबकि बातचीत चल रही है तब इस अवस्था में समय से पहले इसका ब्यौरा देना ठीक नहीं है ।

औषधियों के मूल्यों का पुनरीक्षण

140. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की क्रिपा करेंगे कि :

(क) तेल संकट के पश्चात् 1974 में औषधियों के मूल्यों की पुनरीक्षा की मुख्य कसौटी क्या थी; और

(ख) मूल्यों में दी गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और विभिन्न औषध निर्माता कम्तनियों को कम्पनी-वार कितने प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 में औषधों के मूल्यों में संशोधन करने के लिये एक प्रक्रिया की व्यवस्था है । 1973-74 के उत्तरार्ध के दौरान पेट्रोलियम की कमी के परिणामस्वरूप प्रपुंज औषधों सहित अनेक रसायनों और अन्य कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में संशोधन करने के लिये अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । जहां तक औषध सुत्रयोगों का संबंध है, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के पैरा 13 के अन्तर्गत मूल्यों में संशोधन करने के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने में लगने वाले समय को कम करने की दृष्टि से समस्या के समाधान के लिये एक अन्तरिम उपाय के रूप में सरकार द्वारा मार्ग दर्शन जारी किये गये थे । प्रपुंज औषधों के मूल्यों में भी वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी । मूल्यों में वृद्धि के लिये प्रमूख मानदण्ड, कच्चे माल की लागत और उपयोगिता में वृद्धि है ।

(ख) पेट्रोलियम समस्या के पश्चात् विभिन्न कम्पनियों को प्रपुंज औषधों लिये के मूल्य वृद्धि के लिये दी गई अनुमति और प्रत्येक मामले में प्रतिशत वृद्धि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

बम्बई हाई के अशोधित तेल का शोधन

141. **श्री एम० कतामुतु** : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से निकाले जाने वाले अशोधित तेल को भारत रिफ़ाइनरीज में शोधित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) : जी हां। क्योंकि भारत शोधनशाला को आयतित मिडिल ईस्ट क्रूड को साफ़ करने के लिये रूपांकित किया गया था, और बम्बई हाई के कच्चे तेल में ऐसी अनेक विशिष्टताएं हैं जो आयतित कच्चे तेल से भिन्न हैं अतः इस कच्चे तेल को इस शोधनशाला में साफ़ करने में कुछ कठिनाइयां होंगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये शोधनशाला के संचालन में कुछ समायोजन करने और कुछ अल्प वृद्धि करने मुख्य रूपसे भंडार करने और अधिक बहाव वाले कच्चे तेल का परिवहन करने और इसी प्रकार इस कच्चे तेल से उत्पादित अधिक बहाव वाले अवशिष्ट उत्पादों को लाने ले जाने के लिये सुविधाओं की आवश्यकता है । इन संशोधनों और परिवर्तनों पर इस समय कार्यवाही हो रही है । इस अवधि के दौरान बम्बई हाई के कच्चे तेल की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और जब संशोधन पूरे हो जायेंगे तब इस शोधनशाला में आयतित कच्चे तेल के अतिरिक्त बम्बई हाई के 2 मिलियन मी० टन कच्चे तेल को साफ़ करना सम्भव हो जायेगा ।

बिहार में निकोटीनेमाइड सन्यन्त्र की स्थापना

142. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री औषधियों, एन्टीबायोटिक्स दवाइयों तथा शल्य चिकित्सा उपकरणों में आत्म निर्भरता के बारे में 13 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 590 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में निकोटीनेमाइड संयंत्र की स्थापना स्थल, निर्माण सम्बन्धी समय सूची और उसके वास्तविक उत्पादन के बारे में मुख्य बातें क्या हैं और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की कितनी औषधियों, एंटीबायोटिक्स दवाइयों और शल्य चिकित्सा उपकरणों का आयात किया गया और भारत में विदेशी पूंजी निवेशकों द्वारा कितनी जराशि विदेश भेजी गयी तथा आयात रोकने एवं भारतीय कम्पनियों में विदेशी पुजों के राष्ट्रीयकरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० मझी) : (क). 8.58 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर उत्तर बिहार में बेतिया नामक स्थान पर इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फ़ार्मास्यूटिकल लि० द्वारा निकोटिनामाइड संयंत्र की स्थापना करने का विचार है। प्रायोजना की स्थापना के बारे में लोक निवेश बोर्ड ने तथा विदेशी सहयोग की शर्तों के बारे में विदेशी निवेश बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। स्वीडन के मैसर्स ए० बी० बोफ़र के साथ सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 24 महीने की अवधि के अन्तर्गत निर्माण एवं स्थापना कार्य पूर्ण हो जाने की

आशा है । 1978–79 के प्रारम्भ में संयंत्र के प्रारम्भ हो जाने की आशा है । संयंत्र निम्नलिखित का उत्पादन करेगा :—

	उत्पाद-मिक्स	वार्षिक क्षमता
1.	निकोटिनामाइड	300
2.	निकोटिनिक एसिड	500
3.	मेथाइल इथाइल पाइराइडीन	1200
4.	एसेटिक एसिड	4500
5.	एसिटोलडेहाइड	7500

(ख). औषध प्रतिजीवी तथा शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों के आयात के मूल्य तथा मात्रा को वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय विभाग, कलकत्ता द्वारा भारत के विदेश व्यापार नामक मासिक सांख्यिकी पत्रिका में प्रकाशित किया जा रहा है। लोक सभा के पटल पर 8 मई, 1975 को प्रस्तुत की गई औषध एवं भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट 5 में बाहर भेजे गये राशि के ब्यौरे बताये गये है।

औषध एवं दवाइयों के आयात को कम करने के लिए प्रपुंज औषधों तथा उनके सूत्रयोगों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे है । वर्ष 1975 के दौरान प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए काफ़ी संख्या में लाइसेंस जारी किये गये है तथा प्रपुंज औषधों एवं सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए 80 लाइसेंस/आशयपत्र फ़र्मों को जारी किये गये हैं । औषध एवं भेषज उद्योग समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों के आधार पर विदेशी साम्य पूंजी को कम करने का प्रश्न की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

रेल कर्मचारियों का बहाल किया जाना

143. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले शेष कर्मचारियों को बहाल करने के मामले में आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कुल कितने कर्मचारी बहाल किये गये है ; और

(ग) अभी कुल कितने कर्मचारी बहाल किये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क). मई, 1974 की हड़ताल के सन्दर्भ में बर्खास्त किये गये/हटाये गये/सेवा से समाप्त किये गये कुल 16,988 कर्मचारियों में से अब तक 16,804 कर्मचारियों को सेवा में वापस ले लिया गया है और केवल 814 व्यक्ति शेष हैं ।

त्रिवेन्द्रम से कन्या कुमारी तक रेल लाइन

144. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक रेल लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : इस रेल सम्पर्क की अब तक की कुल मिलाकर वास्तविक प्रगति 33 प्रतिशत है।

भारत रिफाइनरीज के "उद्घाटन समारोहों" पर हुआ खर्च

145. **श्री इराज्मु-द-सेक्वेरा :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रिफ़ाइनरीज द्वारा फ़रवरी, 1976 में "उद्घाटन समारोहों" में मनोरंजन पर कुल कितना खर्च किया गया ; और

(ख) इस खर्च का क्या औचित्य है ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) : बर्मा शैल आयल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ़ इण्डिया के उत्तरदायित्व और भारतीय परिसम्पत्तियों का 100 प्रतिशत संसद अधिनियम के जरिए 24 जनवरी, 1976 को प्राप्त की गई थी। उसी दिन बर्मा शैल रिफ़ाइनरी कम्पनी के 100% शेयर सरकार द्वारा प्राप्त किए गए थे। बर्मा शैल आयल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ़ इण्डिया की सरकार द्वारा प्राप्त की हुई,भारतीय परिसम्पत्तियां तथा उत्तरदायित्व सरकारी शोधनशाला में निहित की गई थीं। आज भारत में बर्मा शैल शोधनशाला एक बहुत बहुमुखी और बड़ी शोधनशाला है। 14 फ़रवरी, 1976 को कम्पनी का नाम भारत रिफ़ाइनरीज लि० में बदला गया था। इस महत्वपूर्ण घटना के उद्घाटन के लिए बम्बई प्रभागीय कार्यालय और डिप्पों में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया था। इन स्थानों के सभी कर्मचारियों, व्यापार, वाणिज्य तथा जनता के प्रतिनिधियों ने इन समारोहो में भाग लिया था। महत्वपूर्ण घटना कर्मचारियों की मनोदशा और जन सम्पर्क को ध्यान में रख कर 71,000/- रुपये मनोरंजन पर खर्च किए गए थे।

Contract for Parking Cars at New Delhi

146. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether contract for parking cars at New Delhi Railway Station has been given to a private individual ;

(b) if so, the period, value and terms and conditions thereof; and

(c) whether there is any difficulty in running it departmentally ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) The contract has been awarded for Rs. 3·11 lakhs for the period 1-7-1975 to 30-6-1977. These contracts are awarded after inviting open tenders with an earnest money of Rs. 5,000.

(c) It is not the policy of the Railways to run such contracts departmentally.

डी० एम० टी० की आवश्यकता तथा उत्पादन

147. श्री धामनकर : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोलिएस्टर फ़ाइबर फ़िलामेंट यार्न तथा रोजिन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में काम आने वाली डी० एम० टी० की कुल आवश्यकता इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, जो भारत में डी० एम० टी० के एकमात्र निर्माता है ; वास्तविक उत्पादन की तुलना में कितना है ;

(ख) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड अपनी अधिष्ठापित क्षमता कब तक प्राप्त कर लेगा तथा तब भी मांग तथा सप्लाई में कितना अन्तर होगा ; और

(ग) डी० एम० टी० की मांग और उसकी देश में निर्मित अनुमानित सप्लाई के बीच अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है बजाए इसके कि भारी लागत से देश में स्थापित पोलिएस्टर की अधिष्ठापित क्षमता के बड़े भाग को बेकार पड़ा रहने दिया जाये ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क). पोलिएस्टर फ़ाइबर, पोलिएस्टर फ़िलामेंट यार्न तथा पोलिएस्टर रेसिन के उत्पादन के लिए यूनिटों की वर्तमान कुल लाइसेंसीकृत तथा स्थापित क्षमता के सम्बन्ध में डी० एम० टी० की आवश्यकता प्रतिवर्ष 29,855 मी० टन है जब कि 100% की क्षमता पर आधारित आई०पी०सी०एल० का एरोमैटिक्स संयंत्र की डी०एम०टी० के उत्पादन हेतु लाइसेंसीकृत एवं स्थापित क्षमता 24,000 मी० टन थी। 1975 के दौरान वास्तविक उत्पादन 15,533 मी० टन था।

(ख). आई०पी०सी०एल० इस समय स्थापित क्षमता को प्राप्त करने में समर्थ है।

(ग). पैराजाइलीन, जो कि डी०एम०टी०के उत्पादन के लिए कच्चामाल है, की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए डी०एम०टी० के घरेलू उत्पादन में आयात से वृद्धि करके उपाय किये जा रहे है। देशीय उपलब्धता में और वृद्धि करने के लिए डी०एम०टी० के आयात करने की भी योजना है।

कालटैक्स द्वारा उत्पादों का विपणन

148. श्री कुमार मांझी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में केवल कालटैक्स को पूरी विपणन सुविधायें दी गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या काल्टैक्स के पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण की एजेन्सियां भारतीय तेल निगम के अन्तर्गत वर्तमान प्रणाली के आधार पर दी जाती है जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण किया जाता है ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिए डीलरशिप कालटेक्स द्वारा वाणिज्यक विचार पर दी जाती है, तथा उन के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है ।

गोहाटी उत्तर लखीमपुर जोराय के लिए सीधी गाड़ी

149. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोहाटी उत्तर लखीमपुर-जोराय के लिये सीधी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

स्मिथ स्टानिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी कलकत्ता के कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन

150. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्मिथ स्टानिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के कर्मचारियों से कम्पनी और उसके कर्मचारियों की स्थिति के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का उक्त कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ठोस प्रस्ताव क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो सरकार ने उक्त कम्पनी के एक हजार से अधिक कुशल कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क). जी, हां । कर्मचारियों में अन्य बातों के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया है कि मैसर्स स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता, आर्थिक रूप से एक नया एकक है अतः शीघ्र ही इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

(ख) और (ग). इन्डस्ट्रियल रिकनस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ़ इंडिया लि०, कलकत्ता, और इंडियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मास्यूटिकल लि०, जिन्होंने स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट कम्पनी लि०, कलकत्ता को पुनः स्थापित करने और उसका नवीकरण करने की गुंजाइश की जांच की थी, ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है । उनकी रिपोर्ट पर सरकार ध्यानपूर्वक विचार कर रही है ।

दहेज की परिभाषा

151. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार दहेज के सभी पहलुओं की स्पष्ट परिभाषा निश्चित करने के लिये कोई कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है और यदि हां तो कब तक ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) : सरकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यकरण में प्राप्त हुए अनुभव, राज्य सरकारों द्वारा किए गए संशोधनों और स्त्रियों की प्रास्थिति संबंधी समिति और अन्यों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न की साधारण तौर पर जांच कर रही है। अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किए गए हैं।

त्रिपुरा में तेल एवं प्राकृतिक गैस

152. **श्री दशरथ देब :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस की क्या संभावनाएं हैं ?

(ख) त्रिपुरा में तेल एवं प्राकृतिक गैस का वास्तविक संशोधन कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) त्रिपुरा में ड्रिलिंग कार्य कितने स्थानों पर चल रहा है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). त्रिपुरा के बारामुरा संरचना में खोदे गये प्रथम कुएं में वाणिज्यिक महत्व का गैस पाया गया है इस गैस संस्तर की सीमा का पता लगाने तथा गहन उद्देश्यों के लिए और अन्वेषण करने के लिए इस संरचना में 2 और कुओं का व्यधन कार्य प्रारम्भ किया गया है। क्षेत्र की सीमा के मालूम होने के बाद तथा भण्डारों की स्थापना के बाद ही उत्पादन प्रारम्भ किया जाएगा।

दिल्ली तथा फैजाबाद के बीच सीधी यात्रा सुविधाएं

153. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या रेल मंत्री किन्हीं गाड़ियों को फैजाबाद अथवा जौनपुर तक बढ़ाने की मांग के बारे में दिनांक 13 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा फैजाबाद के बीच सीधी यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करने के बारे में सर्वेक्षण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रस्ताव की जांच कब आरम्भ की गई थी, इस कार्य को कब पूरा किया जायेगा और जांच को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). 83/84 लखनऊ एक्सप्रेस को फैजाबाद/वाराणसी तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया है और इसे फैजाबाद/वाराणसी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अधिकारियों को "क्रम में ठीक अगला" नियम का लाभ

154. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अधिकारियों के प्रशिक्षण काल में यदि "क्रम में ठीक अगला" नियम के अन्तर्गत उनके कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति हो जाए तो उस अवस्था में प्रशिक्षण पर गए अधिकारियों को उक्त नियम का लाभ होता है ;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों में कुछ अधिकारियों को इस नियम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाने वाले अधिकारियों का वेतन उन से कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के संदर्भ में "क्रम में ठीक अगला" नियम के अधीन संरक्षित नहीं किया जाता ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे के लिए मशीनी उपकरण

155. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने गत दो वर्षों में मशीनी उपकरणों के लिए बहुत कम क्रयादेश दिए हैं या क्रयादेश बिल्कुल नहीं दिए हैं जबकि उनकी 50 करोड़ रुपए के मूल्य के क्रयादेश देने की योजना थी ; और

(ख) इस उद्देश्य की सहायता के उद्देश्य से रेलवे विभाग बड़ी मात्रा के क्रयादेश कब देगी ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पिछले दो वर्षों (1973-74 और 1974-75) में रेलों ने मशीन और संयंत्र पर लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च किये हैं । इस अवधि में मशीन और संयंत्र पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए रेलों ने कोई योजना नहीं बनायी थी ।

(ख) रेलें उपलब्ध निधि के भीतर नियमित रूप से मशीनों और संयंत्र के लिए आर्डर दे रही हैं ।

छुटपुट चोरियों एवं वैगनों की सील तोड़ने के कारण रेलवे को क्षति

156. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् से छुटपुट चोरियों तथा वैगनों की सील तोड़ने के कारण रेलवे को हो रही हानियों को रोकने की दिशा में कोई सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधार हुआ है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आपात स्थिति लागू होने के बाद से उठाईगीरी और मालडिब्बों की सील तोड़ने से रेलों को हो रही हानि रोकने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है :— .

	उठाईगीरी		मालडिब्बों की सील तोड़ना	
	26-6-1974 से 31-1-1975 के दौरान	26-6-1975 से 31-1-1976 के दौरान	26-6-1974 से 31-1-1975 के दौरान	26-6-1975 से 31-1-1976 के दौरान
मामलों की संख्या	19,083	12,853	2,899	1,567
चुराई गई सम्पत्ति	1,70,63,651 रु०	68,95,692 रु०	60,52,983 रु०	23,09,296 रु०

मैसर्स सैन्डोज द्वारा लाभांश का भुगतान रोकना

157. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सैन्डोज ने वर्ष 1974-75 में लाभांश का पुनः भुगतान रोक दिया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी को एल्जीकोन और ग्लाईकोसाइड्स की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने और विशेष स्तर तक निर्यात का वचन देने के लिए 10 लाख रुपए की निःशुल्क विदेशी ईक्विटी देने की अनुमति दी गई थी ;

(ग) क्या कम्पनी ने न तो इन मदों का कभी निर्माण किया और न ही इनका निर्यात किया ; और

(घ) यदि हां, तो लगाई गई शर्तों को पूरा न करने के लिए कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां ।

फरवरी 1974 में मैसर्स सैन्डोज (इंडिया) लि० से यह बताने के लिए पूछा गया था कि क्या उनके द्वारा ग्लाईकोसाइड फ्रेक्शन तथा एल्जीकोन फैक्शन का उत्पादन 1963 में उनको

जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस द्वारा अनुमोदित ढंग से किया गया था तथा क्या उन्होंने इन फैक्शनों पर आधारित आइसोलेट्स का उत्पादन करना शुरू किया। जब तक इसकी संवीक्षा नहीं की जाती वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) को इस परियोजना से सम्बन्धित तकनीकी फीस को रोक रखने के लिए कहा गया था। तदानुसार वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया को आदेश दिया।

मैसर्स सैन्डोज (इंडिया) लि० ने सूचित किया कि उन्होंने पोडोफाइलून के मुख्य दवाइयों के निर्माण के लिए अपने मुख्य कार्यालयों से तकनीकी जानकारी प्राप्त की है और औषधियों के पौधों की विधिवत खेती के लिए अनेक फार्मों की स्थापना की थी और उन्होंने पोडोफाइलून के मुख्य पदार्थ के निर्माण के लिए अग्र प्रायोजना का कार्य करना भी प्रारम्भ किया है। तथापि चिकित्सकीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के नये निष्कर्षों के तथा उत्पादों का बाजार में मांग न होने के पश्चात्, उन्होंने इनके तत्वों का निर्माण करना अनुचित माना। विधि मंत्रालय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, सी एल आई आर तथा डी जी टी डी के साथ परामर्श करके इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई है। गत पांच वर्षों के दौरान कम्पनी ने 4.36 करोड़ रुपयों के उत्पादों का निर्यात किया। विभिन्न निर्यात दायित्व के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्यात से वह अधिक था। सरकार द्वारा उनके निर्यात के संदर्भ में कम्पनी के कार्य निष्पादन का सम्पूर्ण विचार किया गया तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों को उनके द्वारा रोकी गई राशि को अदा करने की सलाह दी गई।

(ख) 52 लाख रुपए के शेयरों में से 10 लाख रुपए के शेयर सैन्डोज इण्डिया द्वारा मैसर्स सैन्डोज स्विटजरलैंड को उनके द्वारा योजना तथा विकास कार्यों पर किये गये व्यय के लिए दिये गये तथा पोडोफाइलस के निर्माण के लिए मैसर्स सैन्डोज लि०, बासले द्वारा तकनीकी सहायता/तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए दिये गये।

(ग) कुछ तकनीकी कठिनाइयों तथा अदृष्ट परिस्थितियों के कारण फर्म न तो इन पदार्थों का उत्पाद न ही निर्यात कर सकी।

(घ) जैसा उपरोक्त (क) में बताया गया है, विषय की भली-भांति जांच की गई है और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस फर्म के विरुद्ध उन पर लगाई गई शर्तों को पूरा न करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा गैर-औषध वस्तुओं का उत्पादन

158. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध निर्माण करने वाली किन-किन विदेशी फर्मों द्वारा गत तीन वर्षों में अपने कच्चे आयातित माल से रंग तथा रसायनों जैसी गैर-औषध वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी की अनुज्ञप्त क्षमता क्या है और प्रत्येक को कितने आयात लाइसेंस दिये गये ;

(ग) क्या रंग के कुछ सामान का औषधियों एवं गैर औषध वस्तुओं में प्रायः उपयोग किया जाता है और क्या कुछ फर्मों को गैर-औषध वस्तुओं के उत्पादन के लिये आयात की अनुमति दी गई, ; और

(घ) यदि हां, तो लगाई गई शर्तों को पूरा न करने के लिये कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी): (क) और (ख) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) कई समान प्रयोग में लाये जाने वाले पदार्थ हैं और ऐसे पदार्थों का आयात सरकार की आयात व्यापार नियंत्रण नीति द्वारा नियमित किया जाता है।

(घ) रोक लगाये गये पदार्थों के सम्बन्ध में प्रत्येक विषय का सरकार की उपरोक्त आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार, विशेषताओं के आधार पर विचार किया जाता है।

बिना लाइसेंस कार्य कर रही विदेशी औषध निर्माता कम्पनियाँ

159. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किये बिना कार्य करना और औषध फार्मुलेशन्ज तैयार करना, इस बारे में नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करना आदि विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये एक अन्तः मंत्रालय ग्रुप की नियुक्ति की गई है ;

(ख) उनके अनधिकृत उत्पादन के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी है ; और

(घ) क्या ऐसी फर्मों को, जिनकी विदेशी साम्यपूंजी नहीं है और जो आयातित प्रौद्योगिकी का भी उपयोग नहीं करते, उक्त सुविधाएं दी जा सकती हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और उस विषय पर सरकार की औद्योगिक नीति के भी सन्दर्भ में उनके कार्यों के प्रकार का निरीक्षण करने की दृष्टि से एक अन्तर-मंत्रालय ग्रुप की स्थापना की गई थी कि कतिपय अधिकांश विदेशी साम्य पूंजी वाली औषध निर्माण करने वाली कम्पनियां, जिनमें गैर-संगठित क्षेत्र में काम करने वाली वे फर्में शामिल हैं, के कार्यों पर विचार करें।

(ख) और (ग). अन्तर-मंत्रालीय ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर सम्बन्धित विभाग के परामर्श से उचित कार्रवाई करने की दृष्टि से जांच की जा रही है।

(घ) इस प्रकार की सुविधाएं जो आवश्यक होती हैं, की गुणावगुण और समय-समय पर सरकार की नीति के आधार पर व्यवस्था की जायेगी।

बम्बई की फर्मों द्वारा "फोरम आफ फ्री एन्टरप्राइस" को दिया गया चन्दा

160 **श्री वसन्त साठे:** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की कुछ फर्मों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन में मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान "फोरम आफ फ्री एन्टरप्राइज" को कथित रूप में अवैध चन्दे दिये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान जी। कम्पनी रजिस्ट्रार बम्बई द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के ध्यान में लाये गये, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293क के उपबन्धों के उल्लंघनों के लिये आरोपित कम्पनियों के द्वारा फोरम आफ फ्री इन्टरप्राइज को दिये गये चन्दे की राशि व इनके नाम युक्त एक सूची संलग्न है।

(ग) अनुलग्नक की क्रम संख्या 1 से 3 पर सूचीबद्ध कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमें दायर कर दिये गये हैं, तथा दो अन्य मामलों में भी मुकदमें दायर किये जा रहे हैं। तथापि, क्रम संख्या 1 से 3 पर सूचीबद्ध कम्पनियों तथा फोरम आफ फ्री इन्टरप्राइज के चार अधिकारियों ने, बम्बई उच्च न्यायालय में मुकदमों पर आपत्ति करते हुये, लिखित याचिकायें दायर कर दी हैं एवं माननीय न्यायालय ने इन मामलों के मुकदमों को रोक दिया है।

विवरण

कम्पनी रजिस्ट्रार बम्बई द्वारा समय-समय पर सूचित किये गये कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 क के उपबन्धों के उल्लंघन में, फोरम आफ फ्री इन्टरप्राइज के दिये गये चन्दों वाली कम्पनियों के नाम प्रदर्शित करते हुये सूची।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष	राशि दी गई/ चंदा दिया गया।
1	मैं० प्रीमियर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०	31-12-1970	1,000 रु०
		31-12-1971	1,000 रु०
		31-12-1972	1,000 रु०
		31-12-1973	1,000 रु०
2	मैं० हिन्दुस्तान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	31-12-1972	5,000 रु०
3	मैं० वालचन्द नागर इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	30-9-1973	1,500 रु०
4	मैं० हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०	31-7-1972	1,500 रु०
5	मैं० वालचन्द एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि०	31-3-1971	1,500 रु०
		31-3-1972	1,500 रु०

गुजरात से देश के अन्य भागों को नमक की ढुलाई

161. श्री वसन्त साठे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों को अत्यधिक कमी के कारण विशेषतया गुजरात से देश के अन्य भागों को नमक की ढुलाई, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोदरा क्षेत्र में तेल की खुदाई

162. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चौबीस परगना के बोदरा क्षेत्र में तेल की खुदाई के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कोई नए प्रयास किये हैं ; और

(ख) क्या वहां तेल की उपलब्धता के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों के बीच उनके प्रतिवेदन तथा निर्धारण में मतैक्य नहीं था ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) बोदरा में खोदे गए कुंए से कोई अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हुए थे। इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 24 परगना जिले में वकुलतला में कुंए की खुदाई कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

सैन्डौज इण्डिया लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस

163. श्री भालजी भाई परमार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैन्डौज इण्डिया लिमिटेड को दिये गये लाइसेंसों का वह विवरण क्या है जिसके आधीन उन्हें विदेशी सहयोग/तकनीकी जानकारी की अनुमति दी गई थी, लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्तर्गत कौन सी वस्तुएं आती हैं और गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन हुआ और प्रत्येक उत्पाद का मूल्य क्या है ;

(ख) क्या इस सहयोग की शर्तें उपयुक्त अधिकारी द्वारा मंजूर की गई थीं यदि हां तो ऐसी अतिरिक्त मदें कौन सी हैं; और

(ग) क्या अतिरिक्त मदों के लिये करार का विस्तार किया जाना मंजूर किया गया था और यदि नहीं तो इस त्रुटि के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

हाथी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

164. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथी समिति के प्रतिवेदन के पांचवें अध्याय में सम्मिलित विभिन्न सिफारिशों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : सरकार हाथी समिति की इस सिफारिश से सहमत है कि भारतीय कम्पनियों को प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के उत्पादन में अपना योगदान देने के लिये अधिक उदार नीति आवश्यक है। इस संदर्भ में सरकार ने 1-4-75 से 40% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाले फर्मों के जारी किये गये 15 लाइसेंस/आशय पत्रों की तुलना में 40% और कम विदेशी साम्य पूंजी वाले फर्मों को 50 से अधिक औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये हैं। औषधों के उत्पादन में वृद्धि और उनको उचित मूल्य पर सप्लाई करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार हाथी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी ।

Opening of Divisional Superintendent's Office at Sonepur

165. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to open an office of the Divisional Superintendent in Sonepur on the North Eastern Railway ; and

(b) if so, when will it be opended?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) No.

(b) Does not arise.

Forcible entry by Students into Toofan Express at Agra Fort

166. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the students returning to Tundla Station force themselves into the first class compartments of Toofan Express at Agra Fort Station and harass the passengers and misbehave with them ; and

(b) if so, the action taken by Government to check their hooliganism ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

आयातित टेट्रासाइक्लीन तथा डोक्सीसाइक्लिन का मूल्य

167. श्री भाल जी भाई परमार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आयातित टेट्रासाइक्लिन तथा डोक्सीसाइक्लिन का सी० आई० एफ० मूल्य इस समय क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स फिजर्स द्वारा भारी मात्रा में निर्मित इन औषधियों में से प्रत्येक में काम आने वाला आयोतित कच्चा माल (मात्रा तथा मूल्य) क्या था ;

(ग) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ओक्सीटेट्रासाईक्लिन और डोक्सी साइक्लिन में आयातित अंश कितना होता है ;

(घ) क्या हाथी समिति ने डोक्सीसाइक्लिन को आवश्यक औषधी प्रमाणित नहीं किया है और यदि हां, तो इस मामले को पुनः आरम्भ करने और मैसर्स के फिजर्स प्रस्ताव पर विचार करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) देश में डाक्सीसाइक्लिन की अनुमानित कितनी मांग है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 19-2-1976 को टेट्रासाइक्लीन एच सी एल का सी आई एफ मूल्य 185 रुपये प्रति किलोग्राम बताया गया है। 1974-75 के दौरान आयात के आधार पर डोक्सीसाइक्लीन का औसत सी आई एफ मूल्य 3732 रुपये प्रति किलो ग्राम था। तथापि आई डी पी एल द्वारा हाल ही में किये गये आयात के आधार पर सी आई एफ मूल्य प्रति किलो ग्राम 1890 रुपये है ।

(ख) और (ग) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

(घ) औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति की रिपोर्ट के अध्याय 111 पैराग्राफ 4.7 को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

> "एरिथ्रोमाइसीन, अर्ध संश्लिष्ठ पैंसिलिन और डेक्सी-ओक्सी टैट्रासाइक्लीन की बढ़ती हुई महत्ता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी क्षेत्र के एकक पहले से ही पैंसिलिन और औक्सी टैट्रासाइक्लीन के उत्पादन में लगे हुए हैं आयोग पश्चातवर्ती दो प्रतिजीवियों के लिये आरम्भिक सामग्री के बारे में यह महसूस करता है कि यद्यपि ये औषध अनिवार्य औषध की सूची में नहीं आते हैं फिर भी सरकारी क्षेत्र को इन औषधों और अन्य उपयोगी प्रतिजीवियों, जो समय-समय पर भेषज विज्ञान की सूची में शामिल हों, के उत्पादन में प्रमुख जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी"।

डाक्सी साइक्लीन के निर्माण के लिये मैसर्स फाइजर का आवेदन पत्र अभी विचाराधीन है और अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) डोगरी साइज़ीर की कोई विस्तृत मांग नहीं है लेकिन यह आशा की जाती है कि भविष्य में इसकी पर्याप्त मांग होगी।

विदेशी औषध फर्मों की गतिविधियां

168. **श्री भाल जी भाई परमार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना कार्य करने वाली विदेशी औषध कम्पनियों की गतिविधियां क्या हैं ; और

(ख) इन प्रत्येक कम्पनी के सम्बन्ध में अनुमति पत्र व्यापार जारी रखने के लिये (सी० ओ० बी०) लाइसेंस और औद्योगिक लाइसेंसों के अन्तर्गत मूल्य और प्रतिशतता के अनुसार कितना उत्पादन हो रहा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) विदेशी साम्य पूंजी वाले महत्वपूर्ण एककों के विकास से सम्बन्धित सामग्री, जिसमें मूल साम्य पूंजी, अनुवर्ती साम्यपूंजी को लगाने की पद्धति, वर्तमान साम्यपूंजी को लगाने की पद्धति, वर्तमान साम्यपूंजी और भण्डारों को शामिल किया है, को औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट के अध्याय V के अनुबन्ध I में शामिल किया है। राशि बाहर भेजने के उसी प्रकार विवरण उसी रिपोर्ट के अध्याय V के अनुबन्ध V में दिया है। सदन के सभा पटल पर दिनांक 8–5–75 को उस रिपोर्ट की एक प्रति पेश की गई थी।

(ख) विदेशी औषध कम्पनियों को अपने कार्य-कलापों के बारे में आई डी आर अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त करने की प्रायः आवश्यकता होती है जब तक कि वह अधिनियम और नियमों से उसके अन्तर्गत ऐसा करने से उनको छूट नहीं दी जाती है। सरकार के सामने कुछ ऐसी घटनाएं आई थीं जहां अधिकांश विदेशी साम्य पूंजी वाली औषध कम्पनी इस तर्क पर अपने कार्यकलापों के बारे में सी ओ बी लाइसेंस प्राप्त किए बिना कार्य कर रही थी कि वे नियोजित कामगारों आदि का कम संख्या के आई डी आर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं आते हैं। अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन करने की समस्या की जांच की जा रही है।

(ग) विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा धारित प्रपुंज औषधों के लिए विभिन्न अनुमति पत्रों सी ओ बी लाइसेंसों और औद्योगिक लाइसेंसों द्वारा सम्मिलित की गई क्षमताओं आदि का ब्यौरा और उनकी कुल बिक्री औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट जिसकी एक प्रति दिनांक 8–5–75 को लोक सभा पटल पर रखी गई थी, के अनुबन्ध II, III, IV और VII में दिए हैं।

कलकत्ता में अनधिकृत आरक्षण कार्यालय

169 **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में किसी अनधिकृत रेलवे आरक्षण कार्यालय का पता चला है ;

(ख) क्या इस में किसी रेलवे कर्मचारी का हाथ है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) आरक्षण कार्यालय के ऐसे अनधिकृत कार्यकरण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। लेकिन, राज्य पुलिस के सहयोग से पूर्व और दक्षिणपूर्व रेलवे के धोखा-धड़ी विरोधी दस्ते द्वारा हाल ही में मारे गये अचानक छापों के दौरान, आरक्षित टिकटों की गुप्त बिक्री के काम में लगे कुछ अनधिकृत ट्रैवल ऐजेंटों का पता चला है।

(ख) और (ग). इस काम में किसी भी रेल कर्मचारी का हाथ नहीं पाया गया है। जो व्यक्ति इस काम में लगे पाये गये, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

(घ) सतर्कता संगठनों, रेलों के धोखा-धड़ी विरोधी दस्ते और राज्य पुलिस द्वारा अक्सर संयुक्त छापे मारे जाते हैं ताकि अनधिकृत एजेंसियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

गैस सिलेण्डरों में प्रेशर गेज लगाना

170. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या पैट्रोलियम मंत्री गैस सिलेन्डरों के भरे जाने की शिकायतों के बारे में 6 जनवरी 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को यह पता है कि घरेलू, अस्पताल तथा औद्योगिक प्रयोग के लिये अन्य गैसों के सिलेन्डरों में प्रेशर गेज लगाये जाते हैं और यदि हां, तो क्या कुकिंग गैस सिलैंडरों में प्रेशर गेज लगाने की संभावना की जांच की गई है : और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं।

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). आक्सीजन, एसिटिलीन आदि गैसों के सिलेन्डरों पर लगे प्रैशर गेज एलपीजी (खाना पकाने की गैस) के सिलेन्डरों के लिये उपयोगी नहीं हैं क्योंकि उपरिलिखित गैसों के विपरीत एलपीजी सिलेंडर की अन्दर तरल रूप में होती है। अतः जब तक थोड़ी सी भी तरल गैस सिलेन्डर के भीतर रहती है, गैस का दबाव लगभग वैसा ही रहेगा। अतः यह गेज सिलिन्डर के भीतर विद्यमान एलपीजी की मात्रा में अन्तर का संकेत नहीं दे सकता।

Re-instatement of Railway employees involved in Railway Strike

171. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of the Central Railway employees who have not been reinstated so far, although the cases registered against them by the pollice for taking part in the last railway strike have been decided in their favour ; and

(b) the action proposed to be taken to rein state them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b). Out of the two employees not yet taken back one has filed a writ petition in the Court and the case, of the other person is under consideration.

Supply of Liveries to ticket checking staff of Central Railway

172. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minster of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the ticket checking staff of the Central Railway are being supplied with liveries in accordance with the recommendations made by the Committee on Liveries ;

(b) whether a further cut has been effected in the facility about liveries being provided to these employees ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

Trains Dieselised on Central Railway

173. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of trains dieselised on the Central Railway ;

(b) whether these trains have been completely dieselised ; and

(c) if not, the time by which this process will be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 15 pairs of trains have been dieselised on Central Railway.

(b) Excepting 5/6 Punjab Mail which has been dieselised only on Bhusaval-Jhansi section. all the other trains are completely dieselised on Central Railway portion where electrification has not been done.

(c) It is proposed to dieselise 5/6 Punjab Mail on Jhansi-Ferozepur section in the new time-table to come into force from 1-5-76.

1980 तक अशोधित तेल का उत्पादन

174. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान ज्ञात श्रोतों से 1980 तक अशोधित तेल के उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी ;

(ख) क्या इस बारे में क्षेत्रवार और वर्षवार योजनायें तैयार की गई हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस अवधि के दौरान मांग में वृद्धि को देखते हुए वर्ष 1980 में कितना आयात कम होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) वर्ष 1980 में कच्चे तेल के उत्पादन मात्रा के सम्बन्ध में अब तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । तथापि 1978–79 में उसका देश में 14.1 मिलियन मी० टन उत्पादन होने की सम्भावना है जबकि इस समय लगभग 8.5 मिलियन मी टन उत्पादन होता है।

(ख) जी हां। आयल इंडिया लि०, ने असम के नाहरकटिया और मोरन में अपने दो महत्वपूर्ण. तेल क्षेत्रों के संश्रोतों का विकास करने और तेल प्राप्त करने को छोड़कर, असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र के अन्दर तेल का गहन अन्वेषण करना आरम्भ कर दिया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग असम, गुजरात, पंजाब बेसिन, गंगा वैली, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा आदि में अपने भूअन्वेषण कार्यों को तीव्र कर रहा है। इस वर्ष अप्रैल से बम्बई हाई के तेल क्षेत्रों से उत्पादन आरम्भ किये जाने और 1976 के अन्त तक 1.5 से 2.0 मिलियन मी टन तक उत्तरोत्तर वृद्धि करने का प्रस्ताव है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 70 से 100 मिलियन मी टन तेल के अतिरिक्त वसूली योग्य भण्डारों की स्थापना करने की योजना है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 1.402 मिलियन मीटर की खुदाई करेगा । भूवैज्ञानिक के 91 पार्टी वर्ष लगभग और कई तलछटी थालाओं में भूवैज्ञानिक क्षेत्र कार्य के 162 पार्टी वर्ष लायेगा ।

(ग) वर्ष 1980 के लिए कोई अनुदान उपलब्ध नहीं है । तथापि 1978–79 में 29 मिलियन मी टन की कुल वश्यकता के विरुद्ध देशीय उत्पादन 14.0 मिलियन मी टन होगा अत: 14.90 मिलियन मी० टन का आयात करने की आवश्यकता है । आयात का चालू स्तर लगभग 14 मिलियन मी टन है। इसलिए वर्तमान स्तर से अधिक आयात करने में वृद्धि नहीं करनी होगी ।

Fertilizer Agencies allotted to Harijans and Adivasis in Indore Division

175. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the number of Harijans and Adivasis who have been given fertilizer agencies in Indore division at present;

(b) names of the persons to whom these agencies have been given and the dates on which given and the locations of these agencies ;

(c) whether agencies given to the Harijans and Adivasis are being run by non-Harijans and non-Adivasis in Indore division ; and

(d) the number of applications under consideration at present for giving agencies to the Harijans and Adivasis and the time by which decisions will be taken thereon and the terms and conditions for giving an agency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Shri C. P. Majhi): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बम्बई में एक पैट्रोरसायन कम्प्लैक्स बनाने का प्रस्ताव

***176. श्री सी० जनार्दनन :**

श्री पी० गंगादेव : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बाम्बे हाई" में तेल की खोज की पृष्ठभूमि में बम्बई में एक पैट्रोसियन कम्प्लैक्स बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उपयुक्त समय पर इस मामले पर विचार किया जायेगा।

केरल में रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण

177. श्री सी० जानार्दनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसी कौन-कौन सी रेलवे लाइनें हैं जिनका अभी सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) प्रत्येक रेलवे लाइन के सर्वेक्षण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) (1) गुरुवायूर के रास्ते कुटिटप्पुरम से तिरुच्चूर तक--इंजीनियी एवम् यातायात सर्वेक्षण पूरी हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

(2) एर्णाकुलम से अलेप्पी--राज्य सरकार के खर्च पर इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। वर्ष के मध्य तक सर्वेक्षण पूरे हो जाने की आशा है। अब तक 50 प्रतिशत काम हो चुका है।

Self Sufficiency in Petroleum

178. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state :

(a) the progress achieved in regard to making the country self-sufficient in petroleum ; and

(b) whether Government are satisfied with this progress and if not, whether Government have contemplated any other measures in this behalf ?

The Minister of Petroleum (Shri K. D. Malaviya) : (a) and (b) : The indigenous production of crude oil has increased to 8.3 million tonnes in 1975-76 as compared to 7.2 million tonnes in 1973-74 and 7.66 million tonnes in 1974-75. The estimates production of crude by the end of the V plan period from the present known resources i expected to be of the order of 14 million tonnes against a projected demand of the order of about 32 million tonnes. All efforts are being made to discover more oil and the exploratory activities have been stepped up for this purpose.

उर्वरक कारखानों द्वारा की गई प्रगति

179. **श्री हरी सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार देश के उर्वरक कारखानों द्वारा की गई प्रगति से संतुष्ट है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए देशीय क्षमता को आगे बढ़ाने के वास्ते सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारिता क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम कार्य-वयनाधीन है । विभिन्न एककों के कार्य-निष्पादन का निरन्तर निरीक्षण किया जाता है और इस प्रकार के उपायों, जो कि आवश्यक होते हैं, को उन विभिन्न कठिनाईयों पर काबू पाने जो कि उत्पादन में रुकावट डालती है के लिए अपनाया जाता है और उनके सन्तोषजनक और कुशल कार्य-निष्पादन को सुनिश्चित किया जाता है । उसके फलस्वरूप क्षमता उपयोग के अनुसार, उस उद्योग की कुल कार्य-निष्पादनता में पर्याप्त रूप से अत्यधिक सुधार हुआ है ।

इस के अलावा, इस समय नाइट्रोजन की 25.09 लाख मी टन और पी 2 और 5 की 6.9 लाख मी टन की जो क्षमता हैं उस क्षमता को अमल में लाने के साथ 65 लाख मी टन और 17 लाख मी टन क्रमशः बढ़ जाने की आशा की जाती है । यथा उक्त परिकल्पति क्षमता में पर्याप्त अतिरिक्त वृद्धि से होने वाले अधिक उत्पादन से उर्वरकों की मांग और उपलब्धता के बीच के अन्तर पर्याप्त रूप से कम करने में मदद मिलनी चाहिए ।

तेलीचेरी और मैसूर को रेल द्वारा जोड़ा जाना

181. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेलीचेरी और मसूर को रेल द्वारा जोड़े जाने के संबंध में हुई प्रगति की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : 235 कि० मी० लम्बी प्रस्तावित मीटर लाइन के निर्माण के लिए 1956–57 में किये गये यातायात एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण से यह पता चला था कि इस परियोजना पर उस समय के मूल्यों के अनुसार 12.45 करोड़ रुपये लागत आयेगी और यह अलाभप्रद रहेगी । पहले से अनुमोदित कार्यों के लिए भी धन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, इस लाइन के सम्बन्ध में आगे किसी प्रकार की जांच-पड़ताल नहीं की गयी है ।

दक्षिण रेलवे के 'ओलवक्कोट डिवीजन' में बर्खास्त किये गये कर्मचारी

182. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में 'ओलवक्कोट डिवीजन में गत रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण कुल कितने कर्मचारी अब तक काम पर वापस नहीं लिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार बिना आगे विलम्ब किये इन रेल कर्मचारियों को बहाल करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दो।

(ख) और (ग) इन दोनों कर्मचारियों ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है और उनके मामले न्यायाधीन हैं।

उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की सप्लाई

183. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में कच्चे तेल के मिलने के बावजूद देश में भविष्य में उप भोक्ताओं को कुकिंग गैस की सप्लाई में निकट भविष्य में सुधार होने की सम्भावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सप्लाई स्थिति में कब तक सुधार होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) तरल पैट्रोलियम गैस (ईंधन गैस) की वर्तमान मांग शोधनशालाओं से इसके उत्पादन से बहुत अधिक है। शोधनशालाओं से एल पी जी की उपलब्धता साफ किये गये कच्चे तेल की मात्रा, कच्चे तेल की विशिष्टता और शोधनशालाओं में कच्चे तेल के साफ करने के लिये उपलब्ध अन्य सुविधाओं पर निर्भर करती है। बम्बई हाई क्रूड से प्राप्त एल पी जी कुछ अंशों में अच्छा होगा, लेकिन यह कच्चा तेल मुख्य रूप से आयातित कच्चे तेल का प्रतिस्थापन होगा, अतः बम्बई हाई क्रूड को साफ करने से सम्पूर्ण एल पी जी सप्लाई में कोई पर्याप्त सुधार होने की आशा नहीं की जा सकती है। बम्बई हाई क्रूड से प्राप्त सम्बद्ध गैस के निर्माण की योजना है। यदि 1980–81 तक ये योजनाएं पूरी हो जाती हैं तो देश में एल पी जी सप्लाई में पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी। तथापि नई हल्दिया शोधनशाला के चालू होने के परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में सप्लाई में सुधार हुआ है। 1980–81 में मथुरा शोधनशाला द्वारा उत्पादन आरम्भ करने और 1980 तक आयल इंडिया लि० के असम क्षेत्र में प्राकृतिक गैस से एल पी जी का उत्पादन आरम्भ होने से अन्य क्षेत्रों में भी सप्लाई में सुधार होने की आशा है।

जन सुलभ रेलवे सेवा आरम्भ करना

184. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में, विशेषकर बहुसंख्यक कम भाग्यशाली यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, जन सुलभ रेल सेवा चालू करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नागपुर के रास्ते बम्बई-कलकत्ता को छोड़ कर सभी मुख्य ट्रंक मार्गों पर जनता/जयंती एक्सप्रैस गाड़ियां चलायी जा चुकी हैं। 1975-76 के दौरान दो जयंती जनता एक्सप्रैस गाड़ियां, अर्थात् 159/160 निजामुद्दीन-सिकन्दराबाद जयन्ती जनता एक्सप्रेस और 81/82 बम्बई-कोच्चिन जयंती जनता एक्सप्रेस गाड़ियां, तथा एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी, अर्थात् न्यू बोगाईगांव-हवड़ा जनता एक्सप्रेस, चलायी गयी थीं जिससे जयंती जनता/जनता गाड़ियों की कुल संख्या 23 हो गयी। 131/132 निजामुद्दीन-मेंगलूर/कोच्चिन जयंती जनता एक्सप्रेस गाड़ी की आवृत्ति सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर सप्ताह में पांच दिन कर दी गयी है और 115/116 बम्बई-लखनऊ जनता एक्सप्रैस गाड़ी की आवृत्ति सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन कर दी गयी है। इसके अलावा 17/18 मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस गाड़ियों का चालन-क्षेत्र जम्मू तवी तक और 153/154 नयी दिल्ली-समस्तीपुर जयंती जनता एक्सप्रेस गाड़ियों का चालन-क्षेत्र मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जनता गाड़ियों का जाल बिछा दिया जाये और जहां कहीं संभव हो उन स्थानों पर इनकी आवृत्ति बढ़ायी जाये जहां इस समय ये गाड़ियां प्रतिदिन नहीं चलती हैं।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे की अनुरक्षण व्यवस्था में सुधार करना

185. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी :**
श्री वसन्त साठे :
श्री मोहम्मद इस्माइल :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 12 फरवरी 1976 को बम्बई में मांटुगा के निकट हुई दुर्घटना जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे में अनुरक्षण व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : उपनगरीय बिजली गाड़ियों के सवारी डिब्बों के उचित अनुरक्षण पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है।

रेल संरक्षा के अपर आयुक्त अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, 12-2-1975 को थाना-बम्बई वी० टी० स्थानीय गाड़ी के डिब्बे में आग लगने का कारण एक डिब्बे के पिछले सिरे के दायीं ओर कोने वाली सीट के नीचे ले जायी जा रही किसी ज्वलन शील पदार्थ का प्रज्वलित होना था। उन्होंने 'रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की लापरवाही', को इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया है।

निर्धन किसानों को निःशुल्क कानूनी सलाह

186. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बार कौंसिल ने किसानों को न्यायालय के बाहर मामले निपटाने में सहायता देने के लिये निःशल्क कानूनी सलाह देने सम्बन्धी 'बेयरफूट' वकीलों की परियोजना आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त सुविधाएं उन अन्य केन्द्र प्रशासति क्षेत्रों में प्रदान करने का है जिनमें ऐच्छिक संगठनों ने इस परियोजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) दिल्ली की विधिज्ञ परिषद् ने तारीख 31–1–1976 के अपने संकल्प सं० 1 द्वारा यह संकल्प किया है कि दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्र में चार कानूनी सहायता सेल स्थापित किए जाएं, जिनमें से एक-एक सेल दिल्ली के उत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में हो और ग्राम विशेष के अधिवक्ताओं को संबंधित पंचायत में सप्ताह में एक बार जाकर आवश्यक सहायता या कानूनी सलाह देने के लिए कहा जाए । विधिज्ञ परिषद ने सूचित किया है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) इस विषय की जांच की जा रही है ।

रेलवे में बचत अभियान

187. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में बचत अभियान चलाया है ;

(ख) क्या इस बचत अभियान से विदेशी मुद्रा की बचत हुई; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) रेलों द्वारा हाल में कोई विशिष्ट बचत अभियान नहीं चलाया गया है । तथापि, 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में सम्मिलित आत्म-निर्भरता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए, अगस्त, 1975 से स्वदेशीकरण के अभियान में विशेष रूप से तेजी लायी गयी है । इस विशेष अभियान के परिणामस्वरूप रेलें अपनी आपात सूची में बहुत सी मदों में कमी करने और इस तरह 1976–77 के प्रत्याशित उत्पादन कार्यक्रम में विदेशी मुद्रा की लगभग 2.12 करोड़ पये की वार्षिक बचत करने में समर्थ हो सकी है ।.

कुलगडुआ में पुरी-हावड़ा यात्री गाड़ी के यात्रियों को लूटा जाना

188. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 फरवरी, 1976 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा–खड़गपुर सेक्शन पर कुलगडुओ; डाकुओं ने 315 डाउन पुरी–हावड़ा यात्री गाड़ी के यात्रियों को लूटा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों को दंड देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 13–2–1976 को कुलगाचिया रेलवे स्टेशन पर (कुलगदुग्रा स्टेशन पर नहीं) पुरी–हावड़ा यात्री गाड़ी में डकैती हुई थी।

(ख) 13–2–1976 को प्रातः 3 बजकर 45 मिनट पर छुरे लिये हुए तीन गुण्डों ने कुलगाचिया रेलवे स्टेशन पर 3/8 डाउन पुरी–हावड़ा यात्री गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में डाका डाला और यात्रियों से नकदी और 550/– रुपये मूल्य की हाथ की घड़ी छीन ली। पीड़ित व्यक्तियों ने उन डाकुओं में से एक डाकू को पकड़ लिया। अन्य दो डाकू लूट के माल सहित गाड़ी से उतर गये। सरकारी रेलवे पुलिस शालीमार ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अन्तर्गत मामले को दर्ज कर लिया है। अन्य दो अभियुक्तों को बाद में 14–2–76 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी में हथियारबन्द रक्षकों की व्यवस्था थी। अपराधियों को पकड़ने में विफल होने के कारण हथियारबन्द रक्षकों के विरुद्ध पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ग) (i) यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए गाड़ियों में हथियारबन्द रक्षकों की व्यवस्था की जा रही है।

(ii) प्रभावित खण्डों पर सादे लिबास में सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है

(iii) आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों में अनुरक्षी ड्यूटी के लिए सरकारी रेलवे पुलिस को रेलवे सुरक्षा दल की सहायता दी जाती है

(iv) सरकारी रेलवे पुलिस पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा यदा-कदा अचानक जांच की जाती है

(v) जहां कहीं आवश्यक हो सवारी डिब्बों में संरक्षा उपकरणों को सुदृढ़ किया जाता है

(Vi) सरकारी रेलवे पुलिस राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के बीच समन्वय बैठकों का आयोजन किया जाता है।

पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में डकैतियाँ

189. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में डकैतियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1975 और 15 फरवरी, 1976 के बीच कितनी डकैतियां डाली गई; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 1–1–1975 से 15–2–1976 तक की अवधि में पूर्व रेलवे पर डकैती की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई जबकि

इसी अवधि के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे पर इनमें थोड़ी वृद्धि हुई थी जैसा कि निम्नलिखित तालिका मे स्पष्ट है :—

रेलवे	डकैती के मामलों की संख्या	
	1-1-74 से 15-2-75 तक	1-1-75 से 15-2-76 तक
पूर्व	55	37
दक्षिण-पूर्व . .	10	12

(ग) (1) सभी महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियां रात के समय पुलिस द्वारा मार्ग रक्षा की व्यवस्था रहती है।

(2) सरकारी रेलवे पुलिस के प्राधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षक को कड़ा कर दिया गया है।

(3) प्रभावित स्टेशनों पर समय-समय पर सशस्त्र पुलिस दस्ते तैनात किये जाते हैं।

(4) राज्य खुफिया विभाग के कर्मचारी जघन्य अपराध के मामलों की छान-बीन करते हैं ताकि ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार गिरोह के सदस्यों को पकड़ा जा सके।

भारतीय रेलवे में दुर्घटनाएं

190. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1975 और 15 फरवरी, 1976 के बीच देश में कुल कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए ;

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने और उनको रोकने के लिए पर्याप्त कार्यवाही के लिए कोई जांच करने के आदेश दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलों में 1-1-1975 से 15-2-1976 तक की अवधि में टक्कर, पटरी से उतरने, समपार पर गाड़ियों के सड़क यातायात से टकरा जाने और गाड़ियों में आग लगने की विभिन्न कोटियों के अन्तर्गत 1097 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 278 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 996 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) कारण सुनिश्चित करने के लिये सभी दुर्घटनाओं की पूरी तरह जांच की जाती है और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयुक्त निवारक उपाय किये जाते हैं।

(घ) इन दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) रेल कर्मचारियों की गलती . .	611
(2) रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती	142
(3) उपस्करों की खराबी	171
(4) तोड़-फोड़ .	4
(5) संयोगवश	95
(6) जिनका कारण निश्चित नहीं हो सका . .	23
(7) जिनका कारण अंतिम रूप से निश्चित नहीं हुआ .	51
जोड़ . .	1097

रसायन उद्योग में पूंजी-निवेश

191. **श्री राम सहाय पाँडे :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से रसायन उद्योग में समुचित पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सरकार को रसायन उद्योग में एकीकृत विकास और संतुलन लाने में अपेक्षित लागत सहित विभिन्न निवेश की व्यवस्था करने की आवश्यकता की पूर्ण जानकारी है। इस संबंध में लिये जाने वाले विशेष उपाय, सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक 'उद्योग के लिए मार्ग दर्शन,' में विस्तृत रूप में दिखाये गये हैं।

पेट्रो-रसायनों के अन्य उपयोगों का अध्ययन करने के लिए पैनल

192. **श्री राम सहाय पाँडे :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रो-रसायनों के अन्य उपयोगों का अध्ययन करने के लिए एक पैनल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) केवल पैट्रो-रसायनों के उत्पादों के प्रयोग के ही अध्ययन करने के लिए कोई पैनल की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Law to prohibit smoking in Trains

193. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government propose to enact a law so as to strictly prohibit smoking in the trains with a view to avoid the recurrence of accidents like the one that occurred to Thana-Bombay suburban train in Bombay on 12th February, 1976?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : Under Section 110 of the Indian Railways Act, 1890, if a person, without the consent of his fellow passengers, smokes in any compartment except a compartment specially provided for the purpose, he shall be punished with fine which may extend to twenty rupees. If any person persists in so smoking after being warned by any railway servant to desist, he may, in addition to incurring fine, be removed by any railway servant from the carriage in which he is travelling.

At present there is no proposal to completely prohibit smoking in passenger trains.

According to the provisional finding of the Additional Commissioner of Railway Safety, the fire a coach on Thana-Bombay VT local train on 12-2-76 was due to ignition of inflammable material which was being carried below the seat. Carriage of dangerous and inflammable goods in passenger trains is already prohibited under Section 59 of the Indian Railways Act.

Resale of railway tickets on Palwal-Delhi Section

194. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether railway tickets were being resold on Palwal-Delhi section ;

(b) whether some corrupt railway employees were among the people who used to resale these tickets ; and

(c) whether the Palwal-Delhi passengers and General Welfare Association made a complaint about the illegal sale of tickets and if so, the action taken against the persons found guilty?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) No instance of re-sale of ralway tickets on Palwal-Delhi section with or without the connivance of railway employees has comes to notice.

(c) No complaint alleging illegal sale of railway tickets on Palwal-Delhi section has been received from Palwal-Delhi passengers and General Welfare Associations. However, one complaint has been received from the Hon'ble Member of Parliament in which it has been alleged that an employee of Delhi Electric Supply Undertaking collects tickets at Palwal station and then distributes these for re-sale to the booking clerks of intermediate stations. The checks conducted so far have not confirmed the existence of this malpractice. However, some more checks are being organised.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के लिए खुदाई

195. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किन-किन स्थानों पर तेल के लिए खुदाई की जा रही है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने चारगुला में खुदाई आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) वर्ष के दौरान तेल के लिए खुदाई हेतु अन्य कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस समय गुजरात में अंकलेश्वर, अहमदाबाद, मेहसाना, नवागांव और कैम्बे क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल में वकुलतला क्षेत्र, असम में सिबसागर जिला और गारो पहाड़ियां, त्रिपुरा में बारामुरा, राजस्थान में जैसलमेर और कैम्बे खाड़ी के निकट बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र में तेल के वास्ते व्यधन कार्य कर रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) चारगोल संरचना पर व्यधन किए जाने वाले कुएं के स्थान को पहले से ही मुक्त कर दिया है। इस जगह पहुंच मार्ग का निर्माण करना और कार्यस्थल को तैयार करने का कार्य चालू है।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी/रामशहर क्षेत्र, श्रीनगर घाटी में नारबल, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मीकान्तपुर, उत्तर प्रदेश में पूरनपुर, असम में लक्ष्मीजान चराली और कचार क्षेत्र और त्रिपुरा में गोजला में 1976–77 के दौरान व्यधन कार्य शुरू करने की योजना बना रही है।

उर्वरक निर्माताओं को प्रत्यक्ष राज-सहायता

196. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक निर्माताओं में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर में राहत के अलावा प्रत्यक्ष राज सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं कारण क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). 1–12–1975 से ईंधन तेल के मूल्य में 180 रुपये प्रति किलो लिटर की हुई वृद्धि से छुटकारा पाने के लिए कुछ उर्वरक निर्माताओं से अभिवेदन प्राप्त किये गये हैं। कुछ निर्माताओं ने कुछ उत्पादों के निर्माण के समय हुई हानियों के कारण भी उत्पाद शुल्क से छुटकारा पाया है। इन अभिवेदनों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन का विस्तार

197. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से उसके लिए कोई संयुक्त विस्तार कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) ईंधन शोधनशाला पर द्वितीय परिशोधन सुविधा में वृद्धि करने के लिए 4.3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वर्तमान कैटैलेटिक क्रेकिंग यूनिट तथा एक नये वेकूम यूनिट के निर्माण करने में कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में मई, 1975 तक सरकार ने प्रायोजना के बारे में स्वीकृति दी है।

10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वर्तमान क्षमता 2.80 लाख मी० टन से 4.15 लाख मी० टन तक लूब शोधनशाला का विस्तार करने के बारे में सरकार इस समय विचार कर रही है।

15.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर ईंधन शोधनशाला की क्षमता के वर्तमान स्तर को 3.5 मिलियन मी० टन से 6.0 मिलियन मी० टन तक विस्तार करने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन से एक प्रस्ताव भी सरकार को प्राप्त हुआ है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज

198. **श्री डी० डी० देसाई** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तेल की खोज के लिए किये गये प्रयासों के आशाजनक परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के योजना-परिव्यय को दुगुना करके तेल की खोज के काम की गति को तेज किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां । गुजरात एवं असम के भूमि क्षेत्रों के अतिरिक्त अपतटीय बाम्बे हाई क्षेत्र में भी तेल पाया गया जहां अप्रैल 1976 तक उत्पादन किये जाने की आशा है ।

(ख) और (ग) जी हां। 420 करोड़ रुपये के मूल पांचवीं योजना परिव्यय की तुलना में संशोधित योजना परिव्यय 1110 करोड़ रुपये है। योजना अवधि के दौरान 70—100 मिलियन मी० टन के अतिरिक्त प्राप्य भण्डारों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। 1974–75 में कच्चे तेल

के वार्षिक उत्पादन को 4.52 मिलियन मी० टन से 1978–79 में 10.95 मिलियन मी० टन तक बढ़ा दिया जायेगा। पंजाब बेसिन, गंगा घाटी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि तथा अपतटीय क्षेत्रों में भी अन्वेषण कार्य गहन कर दिये जायेंगे।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा आई० जे० एम० ए० तथा हैस्टिंग्ज मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध जाँच

199. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने आई० जे० एम० ए० तथा हेस्टिंग्ज मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध जांच आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस जांच से क्या पता चला है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) आई०जे०एम०ए० तथा हेस्टिंग्ज मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा में ग्रस्त होने के कथन की जूट मिल के भूतपूर्व सदस्य द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित योजना के अनुसरण में, जांच करने के लिए एकाधिकार एवं निर्बधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 37 के साथ पठित धारा 10(क)(4) के अन्तर्गत आयोग द्वारा जांच गठित की गई है। योजना में साथ-साथ ये व्यवस्थाएं हैं :—

(1) विद्यमान कताई ढांचे का 15 प्रतिशत जूट सामग्री के उत्पादन में कटौती; और

(2) योजना में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य रूपों में जूट सामग्री के उत्पादन का परिचालन एवं नियंत्रण करना।

आयोग के सम्मुख जांच तर्क स्तर पर है।

बालक विवाह अवरोध अधिनियम में संशोधन

200. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बालक विवाह अवरोध अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० बी० ए० सईद मुहम्मद) : (क) और (ख) बालक विवाह अवरोध अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से लड़कों और

लड़कियों के मामले में विवाह की न्यूनतम आयु बढाने और अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए शास्तियों में वृद्धि करने जैसे कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पंजीकरण

201. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974–75 और 1975–76 में दिसम्बर, 75 तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पंजीकरण के कितने प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : वित्तीय वर्ष 1974–75 की अवधि में छ: बहुराष्ट्रीय कम्पनियो ने भारत में व्यापारिक संस्थान (अर्थात् शाखाएं) स्थापित करने की सूचनाएं दी थीं। इन शाखाओं में से एक ने भारत में कार्य करना बन्द कर दिया है। वर्ष 1975–76 (अर्थात् 1–4–1975 से 31–12–1975 तक) की अवधि में दो और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में व्यापारिक संस्थान स्थापित किये। कम्पनी अधिनियम की धारा 592 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित, इन कम्पनियों ने पंजीकरण के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार को आवश्यक दस्तावेजों को प्रेषित कर दिया है।

कोका कोला कम्पनी और डनलप लिमिटेड द्वारा कम्पनी नियमों का उल्लंघन

202. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोका-कोला कम्पनी और डनलप इण्डिया लिमिटेड द्वारा कम्पनी नियमों और विनियमों के किये गये उल्लंघन के बारे में इस बीच कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा किस प्रकार के उल्लंघन किये गये ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क). यह प्रकल्पित किया जाता है कि प्रश्न में संदर्भित प्रथम कम्पनी कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन है। कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन और डनलप इण्डिया लिमिटेड के मामलों में कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई जांच नहीं की गई है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित औषधियों के मूल्य

*203. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित औषधियों तथा भेषजों के मूल्य निर्धारित करने तथा व्यापार सम्बन्धी क्रिय कलापों पर चढ़ाने-उतारने के खर्चों सहित साढ़े सत्तरह

प्रतिशत का लाभ की अनुमति दिये जाने के आधार और सिद्धान्त क्या हैं जबकि 'बल्क' औषध निर्माण कार्य पर केवल 10-12 प्रतिशत तक का लाभ निर्धारित है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य व्यापार निगम जिन मूल्यों पर औषधियां खरीदने का सौदा करता है वह प्रतियोगी हों और आयातित औषधियों सर्वोत्तम हो और वे विश्वासनीय स्रोतों से प्राप्त की जाएं ;

(ग) गत तीन वर्षों में मदवार राज्य व्यापार निगम द्वारा औषध तथा भेषज मध्यवर्ती पदार्थों का कितना आयात किया गया, उनका लागत-बीमा मूल्य, सप्लाई मूल्य और इस सप्लाई से कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई ; और

(घ) सप्लाई के बारे में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क). राज्य व्यापार निगम ने सी० सी० आई० एण्ड ई० की मूल्य निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित नियम के आधार पर सारणीबद्ध मदों के सम्बन्ध में गोदाम पर के मूल्यों का हिसाब लगाया है जो कि निम्न प्रकार है :—

1. सी० आई० एफ० मूल्य ।
2. सीमा शुल्क ।
3. सी० आई० एफ० मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर निकासी प्रभार ।
4. उतरे हुये माल की लागत — 1+2+3
5. एल/सी आरम्भिक प्रकार और सी० आई० एफ० के 2 प्रतिशत से समुद्र यात्रा का ब्याज ।
6. उतरे हुये माल की लागत के 6.5 प्रतिशत से वितरण प्रभार ।

7. सी० आई० एफ० लागत पर 5 प्रतिशत से राज्य व्यापार निगम की गुंजाइश 4 से 7 का योग—गोदाम पर के मूल्य । राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रत्येक औषध की मद के लिए लगाये गये गोदाम पर मूल्य बी० आई० सी० पी० को पेश किया जाता है जो उनकी जांच करती है और तब उनकी सिफारिश भेजते हैं। बी० आई० सी० पी० की सिफारिश के आधार पर सरकार राज्य-व्यापार निगम औषध मदों के मूल्यों को नियम करती है । राज्य व्यापार निगम सी० आई० एफ० पर 5 प्रतिशत की अपनी गुंजाइश को पहली अप्रैल, 1976 से सी० आई० एफ० पर 40 प्रतिशत तक कम करने के लिये सहमत है । स्थानीय निर्मित प्रपुंज औषधियों के मूल्यों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के उपबन्धों के अनुसार बी० आई० सी० पी० द्वारा किये गये निरीक्षण और जांच के आधार पर नियम नियत किया जाता है और सामान्य रूप से नियोजित पूंजी पर 15 प्रतिशत प्रति लाभ इस प्रकार के निर्माताओं को दिया जाता है । विश्व बाजार के अच्छे निर्माताओं /सप्लायरों से मांगी गई निविदा

पूछताछ के विरुद्ध आयात वाली औषध मदों/रसायनों द्वारा मुकाबले की कीमतों पर राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदों के लिये ठेका दिया जाता है। राज्य व्यापार निगम को मुख्य गुणागुण के रूप में गुण का ध्यान रखते हुये ऐसी खरीद करने के लिये अपना वाणिज्यिक निर्णय करना होता है। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत यह आदेशात्मक है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित सारी औषधों का परीक्षण पतन पर औषध नियंत्रक (इण्डिया) के कार्यालय द्वारा किया जाता है और उनका वितरण किये जाने से पहले अनुमोदन किया जाता है। इन परीक्षणों से सुनिश्चित किया जाता है कि आयातित और वितरित औषधों को निर्धारित भेष मानकों के अनुसार देखा जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1973–74, 1974–75 और 1975–76 (19-2-76 तक) के दौरान गुण और मूल्य के अनुसार राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई मदवार खरीदों वाला विवरण पत्र अनुबन्ध पर संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10387/76]। समय-समय पर औषध (मूल्य नियंत्रक) आदेश, 1970 के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियत किये गये मूल्यों पर उनके द्वारा राज्य व्यापार निगम को मार्फत सारणीबद्ध औषधों की सप्लाई की जाती है।

(घ) सरकार की निर्णीत नीति के अनुसार हक से अधिक सारणीबद्ध मदों के आवंटनों की मांग के लिये समय-समय पर मंत्रालय में अभ्यावेदन मिलते हैं, उससे सप्लाई आदि में विलम्ब होता है। इस मंत्रालय में इनकी गुणागुण के आधार पर जांच की जाती है और राज्य व्यापार निगम को उचित अनुदेश जारी किये जाते हैं जो उन अनुदेशों का तत्काल पालन करती हैं।

विदेशी फर्मों द्वारा बिना उचित स्वीकृति के औषधियों का निर्माण

*204. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कितने मामलों में विदेशी फर्मों को बिना औद्योगिक लाइसेंस/स्वीकृति 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी से औषध फार्मूलेशनों का निर्माण करने के लिये मूल्य स्वीकृति दी है तथा ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं वे किन मदों को तैयार करती हैं तथा उन मदों से क्या दवायें बनती हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी सब स्वीकृतियों को अब वापिस लेने का है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा मूल्य अनुमोदनों को स्वीकृति दी जाती है। आदेश में व्यवस्था नहीं है कि मूल्यांक अनुमोदन चाहने वाली कम्पनियाँ मूल्य अनुमोदन के लिये पहले ही की भांति शर्त के रूप में औद्योगिक लाइसेंस पेश करें। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबन्धों के अन्तर्गत औषध बेचने वाली कोई कम्पनी मूल्य अनुमोदन की प्रार्थना कर सकती है। ये कम्पनियां निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से भी सम्बन्धित हैं :—

(1) लघु उद्योग निर्माता जिन्हें किसी प्रकार कोई लाईसेंस नहीं चाहिये,

(2) यह न लाइसेंस आधार पर औषध निर्माण वाली कम्पनियां जहां औषध के बेचने वाली फर्मों को फिर औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है ।

(3) संगठित क्षेत्र में औषध एकक,

(4) औषधों के क्रय-विक्रय में व्यस्त व्यापारिक कम्पनियां ।

गत लेखाधीन अवधि में यथा रिकार्ड की गई 50 लाख रुपये से अधिक न होने वाली वार्षिक कुल बिक्री वाले औषध निर्माण एकक औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं ।

उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुये सरकार औद्योगिक लाइसेंसों की अनुमति बिना कम्पनियों को मूल्य अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की गई थी । मूल्य निर्धारण की जांच करने की उक्त कार्यविधि के अलावा आवेदन पत्रों को अब बदल दिया गया है और सरकार मूल्यों को लागू करने के लिये स्वीकृति देने से पहले आवेदकों द्वारा मान्य औद्योगिक अनुमतियों को पेश करने पर बल देगी । इस सम्बन्ध में कुछ कम्पनियों के लिए मूल्य अनुमोदनों को उक्त जांच पड़ताल को प्रभावी बनाने के लिये रोका गया है । औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अधीन पहले से दिये गये किसी मूल्य अनुमोदन को रोकने का प्रश्न नहीं उठेगा तथापि खराब एककों द्वारा अनधिकृत उत्पादन अथवा अधिक उत्पादन को चैक करने की कार्यवाही तब की जावेगी, जब औषध और भेषज उद्योग समिति की सिफारश पर निर्णय हो चुकेगा ।

मे एण्ड बेकर का भारतीय पूंजी सहयोजित करने का प्रस्ताव

205. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी निदेश के परिणामस्वरूप मे एण्ड बेकर के भारतीय पूंजी सहयोजित करने सम्बन्धी वर्ष 1965 के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और यदि हां, तो सरकारी आदेश की संख्या एवं ब्यौरा क्या है और भारतीय पूंजी के सहयोजन के लिये कम्पनी ने किन शर्तों का प्रस्ताव किया था और सरकार ने क्या शर्तें मंजूर की थीं ;

(ख) क्या साम्य पूंजी घटाने और भारतीय पूंजी सहयोजित करने के निर्णय कम्पनी को प्रेषित नहीं किया गया था और यदि हां, तो निर्णय प्रेषित न करने के कारण कम्पनी की विदेशी मुद्रा की स्थिति/आरक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ा और इसके लिये कौन सी उत्तरदायी हैं ;

(ग) क्या विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड का निर्णय कम्पनी को अब प्रेषित नहीं किया जा सकता ; और

(घ) क्या यह मामला अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क). मैसर्स मे एण्ड बेकर लिमिटेड द्वारा 1961–62 के दौरान "निःशुल्क आधार" पर पूंजीगत माल के आयात के

लिये दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करते समय भारतीय पूंजी को शामिल करने का प्रश्न सामने आया था। सम्बन्धित फाइल गुम हो गई है और अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ). ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी करार समिति का निर्णय पार्टी को नहीं बताया गया है। भारतीय पूंजी के समायोजन से सम्बन्धित फाइल गुम हो गई है। जब सभी प्रयास जिसमें मंत्रालय में जांच भी शामिल है, निष्फल हो गये तो सी० बी० आई० को इस मामले की जांच करने को कहा गया था। सी० बी० आई० ने सूचित किया है कि फाइल के गुम होने से किसी अपराध का पता नहीं लगता है, अतः वे इस मामले की जांच करने के लिए सहमत नहीं हुये।

विदेशी करार समिति के निर्णय को न बताने से देश को विदेशी मुद्रा की हानि अथवा कम्पनी की विदेशी मुद्रा की स्थिति आरक्षगों के बारे में कोई आंकड़े निकालना सम्भव नहीं है क्योंकि रायल्टी, तकनीकी में जानकारी शुल्क और शाक का भुगतान जैसी शर्तों को विदेशी करार समिति के निर्णयानुसार बाद में लगाया जाना था और विदेशी साम्यपूंजी को चरणबद्ध रूप 8 वर्षों के अन्तर्गत 60 प्रतिशत तक कम किया जाना था।

विदेशी फर्मों द्वारा अनधिकृत उत्पादन

206. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली वे विदेशी फर्में कौन-कौन सी हैं जिन्होने अनधिकृत उत्पादन किया, और प्रत्येक फर्म द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजी गई ;

(ख) कम्पनी के कुल उत्पादन और उसकी सहायक कम्पनियां यदि कोई हां तो उत्पादन को देखते हुये दोनों मामलों में, औषधियों के कुल, उत्पादन में वास्तविक 'बल्क' औषधि और 'फरम्यूलेशन' का उत्पादन कितने प्रतिशत रहा और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन कम्पनियों की उन सभी परियोजनाओं की क्रियान्विति जिनके लिये उन्हें मंजूरी मिली हुई है के बाद अनुमानतः कितना उत्पादन होगा ; और

(घ) उनके वर्तमान आवेदन पत्र और उनको प्राप्त अन्य आशय-पत्रों/लाइसेंसों के द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा तथा कच्ची सामग्री देश से बाहर चली जाएगी ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ). औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति ने औषध उद्योग की विभिन्न पहलुओं की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्रस्तुत की थी और अब वह सरकार के विचाराधीन है। समिति ने विदेशी कम्पनियों को लेने, विदेशी साम्य पूंजी का 40 प्रतिशत और 26 प्रतिशत तक विभिन्न चरणों में अवमिश्रण, अतिरिक्त क्षमता के नियमन आदि की सिफारिशें की हैं। और अधिक विस्तृत सूचना एकत्र करने के लिये कोई और प्रयास, प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

तेल की खोज के लिये प्राइवेट एजेंसियों को अनुमति देना

*207. **श्री शशि भूषण** : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में तेल की खोज का कार्य सरकारी एजेंसियों के अतिरिक्त प्राइवेट एजेंसियों को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या और इन एजेंसियों को यह कार्य सौंपने की क्या शर्तें हैं ?

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). असम आयल कम्पनी, जो असम में सीमित क्षेत्र में कार्य कर रही है और आयल इण्डिया लिमिटेड (जो सरकार और बर्माशैल आयल कम्पनी का एक संयुक्त 50 : 50 उद्यम हैं) वह भी असम और अरुणाचल प्रदेश के लघु क्षेत्र में कार्य कर रहा है के अलावा हमारे देश में तटवर्ती तेल अन्वेषण के लिये कोई गैर-सरकारी एजेंसी नहीं है। हमारा समुद्री तल 10 बैसिनों में विभाजित हैं जिनमें से बम्बई हाई बेसिन केवल ओ० एन० जी० सी० के लिये तेल अन्वेषण तथा उत्पादन हेतु आरक्षित है। शेष क्षेत्र जो विदेशी ठेकेदारों की बोली के लिये पड़े हैं, उनमें से बंगाल-उड़ीसा बेसिन के लिये कार्लनबर्ग इण्डिया ग्रुप के साथ और अप तटवर्ती तेल अन्वेषण और उत्पादन हेतु कुछ बेसिन के लिये रीडिंग एण्ड बेटिस ग्रुप के साथ ठेकों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। पूर्वोक्त दो ठेकों के मुख्य शर्तें 23 जलाई, 1974 को तारांकित प्रश्न सं० 30 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये एक विवरण में दिये गये थे। उसी प्रकार के ठेके पर हाल ही में कुछ सुधरी शर्तों पर कावेरी अपतटवर्ती बेसिन के लिये असमेरा ग्रुप के साथ, हस्ताक्षर किये गये हैं। ठेके में जो ओ० एन० जी० सी० प्रारम्भिक हिस्सेदारी 35 प्रतिशत है और वाणिज्यिक तेल की खोज पर आयोग की अपनी हिस्सेदारी को और 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का अधिकार है। कच्छ और बंगाल-उड़ीसा बेसिन में अन्वेषण खुदाई प्रगति पर है। कावेरी बेसिन में भौतिकीय सर्वेक्षण प्रगति पर है।

गत छह महीनों के दौरान बिना टिकट यात्रा

208. **श्री वीरभद्र सिंह** :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान, महीने-वार रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने पर कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ख) इस बुराई की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क). अगस्त, 1975 से जनवरी, 1976 तक की अवधि में बिना टिकट अथवा गलत टिकटों पर यात्रा करते हुये जितने व्यक्ति पकड़े गये,

जिन पर मुकदमें चलाये गये और जिन्हें जेल भेजा गया उनके महीने-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

महीना	बिना टिकट अथवा गलत टिकट पर यात्रा करते पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमें चलाये गये	जेल भेजे गये व्यक्तियों की संख्या
अगस्त, 1975	2,37,028	33,075	21,522
सितम्बर, 1975 .	2,22,716	30,018	20,777
अक्तूबर, 1975	2,07,663	25,411	17,266
नवम्बर, 1975	1,86,674	19,413	13,157
दिसम्बर 1975 .	1,87,632	20,885	13,242
जनवरी 1976 .	1,98,732	23,164	14,169
जोड़ . .	12,40,445	1,51,966	1,00,133

(ख) बिना टिकट यात्रा के कारण होने वाली राजस्व की हानि को रोकने के लिए जो विशेष कदम उठाये जा रहे हैं और जिनके उठाये जाने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम में बिना टिकट यात्रा के लिये रखा गया कम से कम जर्माना 10 जून 1969 से 50 पैसे बढ़ा कर 10 रुपये कर दिया गया था ताकि बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए यह एक कारगर निवारक कार्य-वाही सिद्ध हो सके ।

(2) बड़ी संख्या में टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल कर्मचारियों, रेलवे पुलिस कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को लगाकर बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध विशेष रूप से व्यापक जांच की जा रही है ।

(3) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध राज्य सरकारों के साथ मिल कर संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं ।

(4) जनता विशेषकर विद्यार्थियों में बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शिक्षात्मक प्रचार किया जाता है ।

(5) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध चलाये जाने वाले अभियानों में रेल मंत्रालय में काम कर रही गैर-सरकारी स्थायी स्वयं सेवी सहायता समिति का भी सहयोग प्राप्त किया जाता है ।

(6) आपात स्थिति की घोषणा के समय से बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध चलाये जाने वाले अभियान तेज कर दिये गये हैं । पहली जुलाई 1975 से 31 जनवरी,

1976 तक की अवधि में सभी रेलों पर टिकट जांच करने की सामान्य कार्यवाहियों के अलावा लगभग 54,442 विशेष छापे मारे गये थे। टिकट जांच करने वाले दलों के साथ जहां तक हो सका मजिस्ट्रेट भी गये थे ताकि बिना टिकट पकड़े गये यात्रियों पर अभियोग चलाया जा सके और उन्हें जुर्माने या जेल का दण्ड दिया जा सके। अनेक छापे रेलवे राज्य मंत्री, रेल उपमंत्री, रेलवे बोर्ड के यातायात सदस्य, अपर यातायात सदस्य और क्षेत्रीय रेलों के वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में मारे गये थे।

बम्बई हाई में भू-कम्पीय सर्वेक्षण

209. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में तथा उसके पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में किये गये भू-कम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामों की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). बम्बई हाई में किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों के सन्तोषजनक परिणामों के कारण उस क्षेत्र में अन्वेषी/विकसित कूओं की प्रारम्भ की गई खुदाई जारी है। बम्बई-हाई के पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम के क्षेत्रों में एकत्रित आंकड़ों पर इस समय कार्यवाही की जा रही है। आंकड़ों को तैयार करने तथा जांच करने के बाद ही परिणामों का पता लगेगा।

झंझरपुर आन्धाथरी सैक्शन का यातायात के लिए खोला जाना

210. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल** मन्त्री ब्राड-गेज लाइन की समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा-रक्सौल तक बढ़ाने के बारे में 13 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 555 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झंझरपुर-लोकहा बाजार लाइन के झंझरपुर आन्धाथरी सैक्शन को खोलने के लिये किसी निश्चित तिथि अथवा समय अनुसूची को इस बीच अन्तिम रूप दिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) लाइन के शेष सेक्शन को पूरा करने के लिये ठीक-ठीक निर्धारित समय क्या है ; और

(ग) क्या भूमि तथा मिट्टी के काम के बारे में बिहार सरकार से इस बीच कोई अन्तिम उत्तर मिला है और क्या सकरी-हसनपुर लाइन तथा झंझरपुर और थलवाड़ा में बड़े पुलों के लिये अनुमानों पर मंजूरी दे दी गई है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) कोई समय अनुसूची निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग) हसनपुर-सकरी परियोजना के लिये भूमि और मिट्टी सम्बन्धी काम की लागत वहन करने के बारे में बिहार सरकार की ओर से अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है । लाइन के निर्माण में राज्य सरकार की हिस्सेदारी के बारे में वित्तीय व्यवस्था का अन्तिम निश्चय हो जाने के बाद ही हसनपुर-सकरी लाइन के अनुमान की स्वीकृति दी जा सकती है ।

झंझारपुर और थलवाड़ा में बड़े पुलों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर, बिहार सरकार और अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों से विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण

211. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मन्त्री ब्राड गेज लाइन को समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा रक्सौल तक बढ़ाने के बारे में 13 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 555 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के उद्देश्य से पुनरीक्षित अनुमान तैयार करने के लिये अन्तिम रूप से स्थल इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं, और इसके लिये तथा निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये वस्तुत: कितनी-कितनी अवधि की योजना बनाई गई है ; और

(ग) इसके लिये पुनरीक्षित अनुमान तैयार करने की क्या जरूरत है और कौन से अनु-मानों को पुनरीक्षित किया जाना है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सर्वेक्षण कार्य अभी चल रहा है ।

(ख) और (ग). इस खण्ड को 1974 और 1975 में बाढ़ के कारण भारी क्षति पहुंची थी, जिससे जल-मार्गों और संरचना स्तर की पुनरीक्षा करना जरूरी हो गया था । इसलिये, संशोधित जलमार्गों तथा संरचना स्तर के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है । आशा है कि सर्वेक्षण का काम अप्रैल, 1976 तक पूरा हो जायेगा । संशोधित अनुमानों की मंजूरी मिलने के बाद इस योजना पर निर्माण-कार्य शुरू किया जाएगा ।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक कारखानों की स्थापना

212. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रसायन **और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक उर्वरक कारखाने स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों की संख्या क्या है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में ऐसे कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से कार्य कर रहीं एककों के अतिरिक्त चार नये संयंत्र चालू किये गये हैं अर्थात् एस० पी० आई० सी० (तूतिकोरन) आई० एफ० एफ० सी० को (कालोल और कांदला) एफ० सी० आई० (गोरखपुर विस्तार) तथा कोटा (विस्तार) अन्य 13 परियोजनायें जो पहले कार्यान्वयन के लिये हाथ में ली गई हैं, इनके द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन आरम्भ किये जाने की आशा है ।

इसके अतिरिक्त भटिण्डा, पानीपत तथा ट्राम्बे में सरकारी क्षेत्र में तीन तथा फूलपुर (उ० प्र०) तथा तारापुर (महाराष्ट्र) में सहकारी क्षेत्र में दो बड़े उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

काकीबाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) जी० एस० एफ० सी० विस्तार (बड़ौदा) एन्नौर (तमिलनाडु) तथा कोटा विस्तार (राजस्थान) में गैर-सरकारी क्षेत्र में क्षमताओं के विकास के लिये आशय-पत्र भी जारी किये गये हैं ।

Decision not to re-instate Railway Workers

213. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to reinstate some of the Railway employees who participated in 1974 strike ; and

(b) if so, their names and grounds for not re-instating them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b). Government have already announced the policy that those employees not involved in acts of violence, sabotage or intimidation will be taken back on duty on individual appeals. This policy is being acted upon.

Memorandum by Bihar-Martin Light Railway Mazdoor Congress.

214 **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Bihar-Martin Light Railways Mazdoor Congress, Arrah has submitted a memorandum to him ; and

(b) if so, the action taken by Government to find a solution to those problems ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) The Company was not able to pay the salaries to the staff for December 1975 and January 1976 due to shortage of funds. The staff stopped operation of the services from the mid-night of 6/7-2-1976. On 25-2-1976, the Central Government have paid the Company a subsidy amounting to Rs. 3,61,366·85, and on 27-2-1976 the Company has issued a notice to the staff to resume duty and receive payment. A detailed report has been called for from the Government's nominee on the Board of Directors of the Company, and further action will be taken on receipt of the report.

Erosion Threat to Railway line between Narayanpur and Thana Bihpur

215. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the erosion of the Ganga river is posing a threat to the railway line between Narayanpur and Thana Bihpur on North Eastern Railway;

(b) whether the local people and their representatives have drawn the attention of Government to it; and

(c) If so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) With a view to avoid dislocation to rail traffic proposal for a retired alignment is under investigation.

Conversion of Barauni-Katihar line into Broad Gauge line

216. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(*a*) whether survey work in regard to conversion of Barauni junction-Katihar metre gauge line on the North Eastern Railway into broad gauge line has been completed ; and

(b) if so, whether Government propose to complete this conversion work during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) & (b). Preliminary Engineering-cum-Traffic Surveys have been carried out for the gauge conversion of Barauni Katihar metre gauge section into broad gauge. The question of taking up this project will be considered after the gauge conversion of Barabanki-Samastipur section, which is a sanctioned scheme, makes sufficient progress.

Allotment of Fertilizer sale agencies to Harijans and Adivasis in Jabalpur and Raipur Divisions

217. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the number of Harijans and Adivasis who have been allotted fertilizers sale agencies in Jabalpur and Raipur divisions at present and the dates on which these agencies were allotted;

(b) whether the agencies allotted to Harijans and Adivasis are being run by other persons who do not come in this category; and

(c) the number of applicaions under consideration for allotment of agencies to Adivasis and Harijans and the time by which a final decision is likely to be taken thereon as also the terms and conditions thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Shri C. P. Majhi): (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सल्फ्यूरिक ऐसिड का निर्माण

218. **श्री कुमार मांझी :** क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सल्फ्यूरिक ऐसिड बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय में विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख). अभी 12 प्रस्ताव बकाया हैं। इनमें से कुछ सल्फ्यूरिक ऐसिड के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के विनिर्माण जैसे सिंगिल सुपरफास्फेट, ट्रिपल सुपरफास्फेट और सोडियम सल्फेट आदि शामिल हैं। इन प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।

आसनसोल- हावड़ा- कटवा-हावड़ा के बीच एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में सफर करने के लिए सीजन (मासिक) टिकटधारियों पर रोक

219. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न जोनल रेलवे अधिकारियों ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है कि दैनिक यात्रियों अर्थात् सीजन (मासिक) टिकटधारियों को आसनसोल-हावड़ा-कटवा-हावड़ा-रामपुरहाट-हावड़ा तथा कुछ अन्य मार्गों पर एक्सप्रेस गाड़ियों में चढ़ने की अनुमति नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त प्राधिकरण ने सीजन टिकटधारियों से इन रेलवे स्टेशनों के बीच उतर कर यात्रा विराम न करने के आशय की अधिसूचना भी जारी की है ; और

(ग) क्या इन नये कदमों से सीजन टिकटधारियों को अत्यधिक कठिनाई होगी और यदि हां, तो क्या इन अधिसूचनाओं को वापस लेने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). जी हां। पूर्व रेलवे प्रशासन ने उपनगरीय खण्डों पर डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने पर पाबन्दी लगाकर और साथ ही आवधिक टिकटों पर यात्रा-भंग करने और यात्रा बढ़ाने की सुविधा वापस लेकर आवधिक टिकटों के उपयोग से सम्बन्धित नियमों में 16-2-76 से संशोधन करना अधिसूचित किया है। ये पाबन्दियां न केवल डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले लम्बी दूरी के यात्रियों की सुविधा के हित में ही आवश्यक समझी गयी थीं बल्कि इकतरफा यात्रा वाले साधारण टिकटधारियों की जो कि आवधिक टिकट-धारियों की तुलना में बहुत अधिक किराया देते हैं, आवधिक टिकटधारियों के

समकक्ष लाने के लिये भी आवश्यक थीं। चूंकि जितनी दूरियों के लिये आवधिक टिकट जारी किये जाते हैं उतनी दूरियों पर इकतरफा साधारण टिकटों पर यात्रा-भंग करने की अनुमति नहीं दी जाती और चूंकि दूसरे दर्जे में डाक एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री को साधारण गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री की अपेक्षा अधिक किराया देना पड़ता है, इसलिये यह समझा गया था कि जिन यात्रियों के पास आवधिक टिकट हों, जो कि इकतरफा यात्रा के साधारण टिकटों की तुलना में बड़ी भारी रियायती दर पर जारी किये जाते हैं, उन्हें यात्रा-भंग करने या डाक-एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने, विशेष रूप से ऐसे उपनगरीय खण्डों पर जहां पहले से ही बहुत अधिक संख्या में उपनगरीय गाड़ियां उपलब्ध हों, की सुविधा नहीं दी जानी चाहिये।

किन्तु इन संशोधित नियमों का कार्यान्वयन आस्थगित रखा गया है और इस मामले की समीक्षा की जा रही है।

Progress on drilling of oil wells in Bombay High

220. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state:

(a) the progress made so far in regard to the drilling of oil well in Bombay High and production of crude oil therefrom; and

(b) the quantity of crude likely to be extracted and the extent of progress likely to be achieved in this work as a result of commissioning of the "Sheriadoah" drilling rig imported from USA?

The Minister of Petroleum (Shri K. D. Malaviya): (a) and (b) Twelve exploratory wells and four development wells have been drilled in Bombay High. A few more developmnet wells will be drilled during this year. Production of oil is likely to commence from 1 April, 1976 progressively increasing to a rate of 1.5 to 2.0 million tonne per annum by the end of 1976.

The actual production from Bombay High during 1976-77 is expected to be of the order of one million tonnes.

Shenadoah is a jack-up drilling platform charter hired by the ONGC and it will be deployed along with ONGC's own jack-up drilling rig, "Sagar Samrat", for intensifying development drilling in Bombay High.

धर्मनगर-अगरतला तक रेल लाइन

221. **श्री दशरथ देव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में धर्मनगर से अगरतल्ला तक रेल लाइन बिछाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या निर्माण कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आरम्भ किये जाने की आशा है ; और

(ग) क्या बारामूला (त्रिपुरा) में तेल तथा प्राकृतिक गैस की अच्छी सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार अगरतला का शेष भारत से रेल सम्पर्क स्थापित करने की सर्वोच्च प्राथमिकता देने का है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) धर्मनगर अगरतला तक नयी रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में 1969–70 में किये गये सर्वेक्षण से पता चला था कि प्रस्तावित रेल सम्पर्क पर लगभग 52 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इससे छठे साल में 1.25 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्ति होगी । रेलों की वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए, धर्मनगर-कुमारघाट मीटर लाइन (33. 5 कि० मी०) का निर्माण-कार्य जो कि धर्म नगर अगरतला रेल सम्पर्क का एक भाग है--इस शर्त पर रेलवे बजट (1973–74) में शामिल किया गया था कि उत्तर पूर्वी परिषद् इस के लिये निधि को व्यवस्था करेगी । उत्तर पूर्वी परिषद् द्वारा अभी तक अपेक्षित निधि की व्यवस्था नहीं की गई है इसलिये इस परियोजना पर काम शुरू नहीं किया जा सका है । अत्यन्त सीमित धन उपलब्ध होने के कारण धर्मनगर से अगरतल्ला तक के प्रस्तावित रेल सम्पर्क को रेलवे की लागत पर बनाना सम्भव नहीं है । लेकिन बंगला देश में आजमपुर और भारत में अगरतल्ला के बीच तथा बंगलादेश में बेलोनिया रेलवे स्टेशन से भारत में बेलोनिया शहर तक रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इससे बंगलादेश के रास्ते त्रिपुरा का शेष देश के साथ रेल सम्पर्क स्थापित हो जाएगा ।

गुजरात को सप्लाई किये गये डीजल तेल तथा मिट्टी के तेल की मात्रा

222. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 तथा 1975 में गुजरात को कुल कितनी मात्रा में डीज़ल, भट्टी का तेल तथा ईंधन तेल की सप्लाई की गई ; और

(ख) क्या वर्ष 1975 में इनकी सप्लाई में कटौती की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) मिट्टी के तेल को छोड़कर पैट्रोलियम उत्पादों का कोई कोटा राज्यवार आधार पर आवंटित नहीं किया जाता है । 1974–75 के दौरान गुजरात में इन तीन उत्पादों की वास्तविक बिक्री के पुनरीक्षण से मालूम पड़ता है कि हाई स्पीड डीज़ल आयल की खपत 1974 की तुलना में 1975 में अधिक हुई । तथापि, लाइट डीजल आयल और भट्टी के तेल की खपत कम हुई । अन्य कारणों को छोड़- कर 1975 के अच्छे मौनसून में एल० डी० ओ० की बिक्री पर असर पड़ा । अधिक खपत करने वालों द्वारा भट्टी के तेल की खपत में गिरावट आने का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने उसके स्थान पर अन्य ईंधनों जैसे कोयला और लो सल्फर हैवी स्टाक (एल० एस० एच० एस०) को इस्तेमाल किया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि, न्याय और और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-

सूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा०आ० 64(ङ) जो दिनांक 27 जनवरी 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 31 मई, 1973 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 2 में कतिपय शुद्धियां की गयी हैं।

(दो) सा०आ० 71 (ङ) जो दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 1 जनवरी, 1975 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 31 में कतिपय शुद्धियां की गयी हैं।

(तीन) सा०आ० 109 (ङ) जो दिनांक 13 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 40 में कतिपय शुद्धियां की गयी हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी०–10383/76]

रेल रेड टैरिफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1976

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये रेल रैड टैरिफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 148 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी०–10384/76]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनर्हता तथा सेवा की शर्तें) नियम तथा भारतीय संग्रहालय अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा-निवृत्ति तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा सां०नि० 115 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल०टी० 10385/76]

(2) भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 की धारा 15क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 14 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 218 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में प्रदर्शित वस्तुओं की अभिरक्षा तथा रखरखाव (संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 14 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 219 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–10386/76]

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक, 1976

(2) नागालैंड विनियोग विधेयक, 1976

(3) पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1976

(4) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक, 1976

(5) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976

(6) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक, 1976

(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1976

महासचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित बीस विधेयकों की, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित, प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बरमा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1976

(2) दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1976

(3) निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तार) विधेयक, 1976

(4) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1976

(5) आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1976

(6) तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) विधेयक, 1976

(7) आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1976

(8) दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1976

(9) बधित श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक, 1976

(10) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक, 1976

(11) आसाम सिलिमनाइट लिमिटेड (रिफ्रेक्टरी संयंत्र का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1976

(12) प्रैस परिषद् (निरसन) विधेयक, 1976

(13) समान पारिश्रमिक विधेयक, 1976

(14) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1976

(15) आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक, 1976

(16) संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन-संरक्षण) निरसन विधेयक, 1976

(17) मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976

(18) लोक सभा (कालावधि विस्तारण) विधेयक, 1976

(19) उद्ग्रहण चीनी समान कीमत निधि विधेयक, 1976

(20) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1976

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गंगा के पानी के बटवारे के बारे में बंगला देश सरकार द्वारा वार्ता के लिये रखी गई शर्त

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"गंगा के पानी के बटवारे के बारे में बंगलादेश सरकार द्वारा वार्ता के लिये रखी गई शर्त और उससे उत्पन्न गतिरोध के समाचार"

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): जैसा कि सदन को मालूम है, 18 अप्रैल, 1975 को ढाका में भारत तथा बंगलादेश की सरकारों के बीच एक करार सम्पन्न हुआ था जिसमें भारत और बंगलादेश के प्रधानमंत्रियों के 18 मई, 1974 की सम्मिलित घोषणा के अनुसार दोनों देशों के बीच पानी की कमी के मौसम में गंगाजल के आबटन के बारे में आगे विचार-विमर्श होने तक यह व्यवस्था की गई थी कि पिछले साल पानी की कमी के मौसम के दौरान फरक्का बांध तथा पोषक नहर को चालू रखा जाय।

2. अपनी घोषणा में दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह बात कही थी कि 1974 के समाप्त होने से पहले फरक्का बांध प्रायोजना आरम्भ कर दी जायेगी। उन्होंने यह माना था कि गंगा में कम से

कम पानी के बहाव की अवधि के दौरान, हो सकता है कि, कलकत्ता बंदरगाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी काफी न हो और बंगलादेश की आवश्यकताएं पूरी न की जा सकें और इसलिए, पानी की कमी के महीनों में गंगा के स्वच्छ मौसम के पानी के बहाव को बढ़ाना होगा ताकि दोनों देशों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस बात पर सहमति हुई थी कि समस्याओं पर समझ-बूझ के साथ विचार किया जाना चाहिए ताकि दोनों देशों के हितों में मेल बिठाया जा सके और मैत्री तथा सहयोग की भावना से कठिनाइयों को दूर किया जा सके। तदनुसार यह फैसला किया गया था कि दोनों देशों को सुलभ इस क्षेत्र के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके इस प्रकार की वृद्धि के सर्वोत्तम उपायों का अध्ययन संयुक्त नदी आयोग द्वारा किया जाना चाहिए जोकि दोनों देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित सिफारिशें करे।

3. भारत सरकार ने पानी की कमी के मौसम में फरक्का पर गंगाजल के उपयोग के लिए बातचीत करने की दृष्टि से बंगलादेश की सरकार को आमंत्रित किया है ताकि दोनों देशों के हितों और उनकी न्यायोचित आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या का समाधान मित्रता, समझबूझ और सहयोग की भावना से पाया जा सके, जिसका आधार मई 1974 की सम्मिलित घोषणा होगा।

4. भारत सरकार ने बंगलादेश की सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि गंगाजल के वितरण के बारे में विचार-विमर्श सदैव से मार्च मध्य से लेकर मई मध्य तक के पानी की कमी के मौसम तक इस स्पष्ट कारण से सीमित है कि वर्ष के शेष महीनों में जल का बहाव बहुत मात्रा मे होता है।

5. भारत सरकार के पास सुलभ उत्तम सूचना और विशेषज्ञ आकलन के अनुसार बंगलादेश अथवा भारत में गंगाजल के ले लेने से किसी भी देश पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मार्च मध्य से मई मध्य तक के पानी की कमी के मौसम को छोड़कर साल भर तक जल प्रचुर मात्रा में होता है। सच तो यह है कि विशेषज्ञों के सम्मिलित दलों के भारतीय सदस्यों ने पिछले वर्ष पानी की कमी के मौसम में बंगलादेश के अन्दर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा; ये दल 18 अप्रैल, 1975 के करार के अधीन स्थापित किये गये थे।

6. हमारा पक्का विश्वास है कि यह भारत और बंगलादेश, दोनों के हित में होगा कि गंगाजल की समस्या पर कोई पूर्व शर्त लगाये बगैर और आपसी समझबूझ तथा रचनात्मक सहयोग की भावना से विचार-विमर्श किया जाय और उसे तय किया जाय, यह समस्या पानी की कमी के मौसम में तो अभाव की है और साल के शेष अधिकांश महीनों में बाढ़ की है। पानी की कमी के महीनों में गंगा में जल की कमी और समूचे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का आदर्श दीर्घकालिक समाधान एक ऐसी परियोजना अथवा परियोजनाएं बनाने में पूरे दिल से सहयोग करने में है जिससे कि भारत और बंगलादेश, दोनों देशों की जनता के लाभ के लिए इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में सुलभ जल संसाधनों का उपयोग किया जा सके।

श्री समर मुखर्जी : वक्तव्य से प्रतीत होता है कि अभी तक इस मामले सम्बन्धी गतिरोध दूर नहीं हुआ है। बंगलादेश सरकार को बातचीत करने के लिये आमंत्रित किया गया है। यह

बात स्पष्ट की जाये कि इस बातचीत के लिये क्या कोई शर्तें रखी गयी हैं ? इस गतिरोध को दूर करने के लिये क्या कोई अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं ?

खारेपन तथा गाद के हटाने के लिये तथा कलकत्ता पत्तन को नौगम्य बनाने के लिये मंदी के मौसम के दौरान 40,000 कसेक जल की कम से कम आवश्यकता है। गत् करार से यह आशा पैदा हुई थी कि अधिक बातचीत द्वारा यह विवाद हल हो जायेगा।

यदि यह गतिरोध हल न हुआ तो इसका कलकत्ता पत्तन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः पूर्वी क्षेत्र के लिये यह बहुत ही चिन्ता का विषय है।

यह समस्या बहुत गम्भीर है जिसे हल करने के लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। लोगों को कलकत्ता पत्तन के भविष्य के बारे में पूरा आश्वासन दिया जाना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: हमने फरक्का परियोजना में 156 करोड़ रुपये लगाये हैं जिसका उद्देश्य कलकत्ता पत्तन को बनाये रखना ही है। यह बात ठीक है कि बंगलादेश के समाचारपत्रों में फरक्का के बारे में कुछ विपरीत प्रतिक्रियायें छपी हैं। मेरे विचार में फरक्का परियोजना का बंगलादेश के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मेरे विचार में इस मामले में किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है क्योंकि हम उस देश के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते हैं। हम फरक्का को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): क्या बंगलादेश सरकार ने उन्हें दिये गये निमंत्रण का उत्तर दिया है ? क्या वे बातचीत से पहले शर्तें रखने के लिये तो जोर नहीं देंगे ? इसके अतिरिक्त पांच वर्ष तक 40,000 कुसेक जल दिये जाने सम्बन्धी पहले क्या कोई आश्वासन दिया गया था और क्या सरकार इस आश्वासन के अनुसार चल रही है ? इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

इस क्षेत्र में कटाव बढ़ रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि वहां भूमि-कटाव का खतरा पैदा न हो।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: बंगलादेश सरकार ने अपने 28 फरवरी, 1976 के उत्तर में निमंत्रण को न तो स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार। इस बारे में हमारी नीति स्पष्ट है।

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS AVDISORY COMMITTEE

59वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 59वें प्रतिवेदन से, जो 8 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

पटना उच्च न्यायालय (रांची में स्थाई न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

HIGH COURT AT PATNA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT RANCHI) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) : मैं [स्ताव करता हूं :

"कि पटना उच्च न्यायालय की रांची में एक स्थाई न्यायपीठ स्थापित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

पटना उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना 6 मार्च, 1972 को रांची में की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये। सर्किट न्यायपीठ पर भारी व्यय होने के अतिरिक्त इससे और बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो गईं। बिहार सरकार यह चाहती है कि रांची न्यायपीठ को स्थाई बना दिया जाये। अतः यह प्रस्ताव है कि पटना उच्च न्यायालय में स्थाई न्यायपीठ बना दी जाये तथा इसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन तथा दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन तक बढ़ा दिया जाये। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि इन जिलों के किसी भी मामले को पटना में सुन सकें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पटना उच्च न्यायालय की रांची में एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : हम मंत्री महोदय के आभारी हैं कि उन्होंने विधेयक के उद्देश्य और कारणों को स्पष्ट किया। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। हमारा देश ऐसा है जहां कुछ स्थानों पर संचार व्यवस्था में अभी काफी कठिनाइयां हैं। अतः दूर दराज के क्षेत्रों के लिए स्थाई न्यायपीठ या फिर कम से कम सर्किट न्यायपीठ बनाना आवश्यक ही है।

मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां कहीं इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, वहां के लोगों के प्रति सरकार अपने कर्त्तव्य

का पालन नहीं कर रही है। उदाहरणार्थ हमारे राज्य में जलपाईगुड़ी, कूच बिहार तथा उत्तरी बंगाल में रहने वाले लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए विवश होकर कलकत्ता आना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस सम्बन्ध में एक समेकित योजना बनानी चाहिए। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उच्च न्यायालय की सीटों को छोड़कर अन्य स्थानों पर सरकार का विचार सर्किट न्यायपीठों या स्थाई न्यायपीठों की स्थापना करने का है। यदि सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो उससे समाज के कमजोर वर्ग को काफी लाभ होगा। इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि सरकार को ऐसा तुरन्त ही कर देना चाहिए।

श्री एन० ई० होरो (खुण्टी) : मैं विधेयक का स्वागत करते हुए श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं। कुछ स्पष्ट कारणों से हम रांची में पटना उच्च न्यायालय की एक पृथक स्थाई न्यायपीठ की मांग करते आ रहे हैं। सरकार ने हमारी मांग को दृष्टिगत रखते हुए एक सर्किट न्यायपीठ की स्थापना की थी परन्तु अब वस्तुस्थिति यह है कि यह सर्किट न्यायपीठ भी सही ढंग से कार्य नहीं कर रही थी। यह प्रसन्नता की बात है कि अब सरकार ने स्थाई न्यायपीठ की स्थापना करने के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया है। परन्तु इसके साथ ही जो मुख्य न्यायाधीश को यह स्वविवेक शक्तियां प्रदान की गई हैं कोई मामला पटना में सुना जायेगा या रांची में, इससे तो विधेयक का उद्देश्य ही विफल हो गया है। यदि सरकार का इरादा वास्तव में आदिवासी लोगों की सहायता करना है तो इस उपबन्ध का विधेयक में से लोप कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा सरकार को यह विधेयक नये रूप से प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें कि वहां के लोगों की सहायता सम्बन्धी व्यापक व्यवस्था हो।

Shri M. C. Daga (Pali) I can welcome this Bill for the fact that this provision should be retained for some special circumstances but I do not recommend that the High Court Benches should continue. That way we will be simply providing some additional opportunities for the lawyers.

It is suggested that for tackling this problem the number of judges of High Courts should be increased. If that is done justice will not be delayed. Secondly, the working hours should be increased. Thirdly, if honest and efficient judges are appointed that will also help in quick disposal of cases.

It has been reported in the report of the law Commission that we should firmly set our face against the Constitution or creation of Benches. But we are making Legislation for the creation of Benches. May I know the reasons for delay in disposal of cases. In the fourth report of Law Commission it has been clearly stated that in order to maintain the highest standard of administration of justice and to preserve the character and quality of the work at present being done by High Courts, it is essential that the High Court should function as a whole and only at one place in the State.

What was the necessity to add a 'Proviso' to it ? When Benches are set up of a High Court different sets of judgements are delivered. You may enhance the number of judges but the High Court should function at one place only.

The population of Rajasthan is not 2 Crores. A High Court was established at Jodhpur. People demanded separate Benches at Jaipur and Ajmer. If justice is to be done it can be done at one court also. There is no use in increasing the number of High Courts or their Benches.

श्री वायलार रवि (चिरयिंकील) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों विशेषतः आदिवासियों की मांग पूरी की है।

[श्री वायलार रवि]

श्री डागा ने विधि आयोग का हवाला देते हुए इस विधेयक का विरोध किया है । परन्तु विधि आयोग की बात अंतिम नहीं है । उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश एक ही भवन में बैठें इस बात में कुछ औचित्य नहीं। यदि उच्च न्यायालय की पृथक-पृथक स्थानों पर न्यायपीठें स्थापित की जाती हैं तो इससे जनता का व्यय बचता है । उत्तर प्रदेश आदि कुछ राज्य बहुत बड़े हैं। केरल के लोग उच्च न्यायालय की कोचीन में एक न्यायपीठ स्थापित करने की मांग करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री अरविंद बाल पंजनौर (पांडेचेरी): रांची में पटना उच्च न्यायालय की नई न्यायपीठ की स्थापना करने वाले विधेयक का मैं स्वागत करता हूं ।

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कोई उच्च न्यायालय भी नहीं है । इस मांग के दो कारण हैं। पांडिचेरी के लोगों की फ्रान्स की परम्परा से 300 वर्ष का संबंध रहा है । लोगों को न्याय के लिये बहुत दूर जाना पड़ता है तथा बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है । इसलिए गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिये विभिन्न स्थानों पर न्यायपीठों की स्थापना की जाये। कन्या कुमारी से मद्रास आने के लिये एक व्यक्ति को 200 रुपए का व्यय करना पड़ता है जबकि कोर्ट फीस 10 रुपए होती है । मंत्री महोदय इस बात का व्यापक रूप से अध्ययन कर के देश को ऐसे भागों में विभाजित करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन करें ताकि न्याय के लिये लोगों को अधिक दूर न जाना पड़े। आज की समस्या का समाधान न्यायिक पद्धति के पूर्ण रूपेण पुनरीक्षण से किया जा सकता है ।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से पांडिचेरी में न्यायपीठ स्थापित करने की मांग दुहराता हूं ताकि मैं अपने क्षेत्र की जनता को बता सकूं कि उनके लिये कार्य हो रहा है ।

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur): Sir, I welcome this Bill. Ranchi is in a backward area of India inhabited by the poor. Adivasis had to come to Patna which is a far off place. You have done well by establishing Bench at Ranchi.

I think there is a need to establish such type of Benches in other parts of the country also particularly in Uttar Pradesh because people have to travel a lot to reach Meerut or Allahabad. The poor, if they want to knock the doors of courts, find it hard to afford rail fare.

These Benches should be established in other areas like Pondicherry also so that the people are able to obtain justice from courts. Court procedure should also be simplified to help the poor.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : रांची में न्यायपीठ स्थापित किये जाने के विधेयक का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। यह एक अत्यधिक युक्तिगत विधेयक है ।

पांडिचेरी में न्यायपीठ की स्थापना की मांग का भी मैं समर्थन करता हूं । मैं यह मानता हूं कि न्याय में बिलम्ब न्याय न दिये जाने के बराबर है। उसके साथ न्यायालयों की प्रक्रिया बहुत जटिल है । मुकदमों के निपटान में काफी विलम्ब हो जाता है । 10 वर्षों के बाद एक मुकदमा सुनवाई के लिए पेश होता है । फिर उच्च न्यायालय से मामला उच्चतम न्यायालय को जाता है । इसका अर्थ है और समय लग जाना। कोई अपराध 54 वर्ष पूर्व किया गया था तो आज उसका

फैसला होता है । कराधान के मामलों को निपटाने के लिये विशेष बैंच क्यों नहीं बनाये जाते ? यदि विधि मंत्रालय वास्तव में चाहता है कि मामलों को शीघ्र निपटाया जाये तो अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाये । ये न्यायाधीश ऐसे हों जो मामलों को शीघ्र निपटाने में सक्षम हों ।

श्री वसन्त साठे (अकोला): मैं भी इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं । इससे यह प्रकट होता है कि सरकार जनता को आसानी तथा तत्परता से न्याय दिलाने के लिए उत्सुक है । लेकिन उच्च न्यायालय को जनता के निकट लाने का यह अर्थ नहीं कि उन्हें स्वतः न्याय आसानी से मिल जायेगा । अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है ।

राज्यों के पुनर्गठन के बाद महाराष्ट्र पहला राज्य था जहां स्वतंत्र और स्थायी न्यायपीठ की स्थापना की गई । हम जानते हैं कि इससे महाराष्ट्र के पूर्वी जिलों को कितना लाभ है । मेरा विचार है कि सभी राज्यों में ऐसी बेंचेज स्थापित की जायें । 300 या 200 किलोमीटर की दूरी के लिए एक न्यायालय हो ऐसा कुछ सिद्धान्त बनाया जाना चाहिये । इससे न्यायधीश भी अधिक संख्या में नियुक्त करने होंगे । स्थायी बैंच में केवल 2 या 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति से काम नहीं चल सकता । उनके पास काम अधिक होगा और मामले लम्बित रहेंगे । रिक्त पद भी शीघ्रता से भरे जायें ।

इसी समय हमें दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायापीठ की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये । दिल्ली में ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना में क्या पुनीतता है । भारत जैसे विशाल देश में न्याय देने वाले संस्थानों का तो विकेन्द्रीकरण होना चाहिये । एक मामला दादा के समय आरम्भ हुआ हो और पोते के समय निपटाया जाये ऐसा तो नहीं होना चाहिये ।

हमें इस सम्पूर्ण मामले पर नये सिरे से विचार करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : डा० सईद मुहम्मद आप मध्याह्न भोजन काल के बाद अपना भाषण करेंगे ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

[The Lok Sabha then Adjourned for lunch till fourteen of the Clock]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

[The Lok Sabha Reassembled after lunch at Fourteen of the Clock]

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

पटना उच्च न्यायालय (रांची में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक—जारी

डा० बी० ए० सईद मुहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है ।

इस मामले में सरकार विधि आयोग के प्रतिवेदन और न्यायाधीश शाह के प्रतिवेदन पर निर्भर करती है । उन प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार मूलतः एक राज्य में एक से अधिक न्यायपीठों की स्थापना के विरुद्ध थी । लेकिन इस सिद्धान्त का कठोरता से पालन नहीं किया जा सकता। परिस्थितियों के अनुसार हमें उदार बनना पड़ा है । लेकिन यदि हम अधिक उदार बन जायेंगे तो अन्य राज्यों, यहां तक कि जिलों में भी, न्यायपीठ स्थापित किये जाने की मांग जोर पकड़ने लगेगी। जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, यदि वहां परिस्थितियों की मांग होगी तो हम न्यायपीठ की स्थापना में झिझकेंगे नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सरकार को वहां की परिस्थितियों की जानकारी नहीं है । एक न्यायपीठ 5 राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है और उसमें केवल 5 न्यायाधीश है।

डा० बी० ए० सईद मुहम्मद : सरकार को इन तथ्यों की भली-भांति जानकारी है । हम परिस्थितियों को देखकर वहां न्यायपीठ की स्थापना करेंगे ।

ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि सरकार अधीनस्थ न्यायालयों की अवहेलना कर रही है । ये आरोप ठीक नहीं है। एक समिति इस मामले पर विचार कर रही है । उसने अपनी सिफारिशें भी दे दी हैं ।

यह भी कहा गया है कि न्यायाधीश के पदों के रिक्त स्थान भरे नहीं जा रहे हैं इसलिए मामलों का निपटान नहीं हो पाता । सरकार बेकार नहीं बैठी है । पिछले तीन वर्षों के दौरान हमने 100 न्यायाधीशों की नियुक्तियां की हैं। इन पदों पर उपयुक्त व्यक्ति ही नियुक्त किये जा सकते हैं। हर एक को तो रखा नहीं जा सकता । हम इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री वसन्त साठे : उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में वकीलों की संख्या कुल कितनी है ?

डा० बी० ए० सईद मुहम्मद : 1973 में यह संख्या 80,000 थी। अब पता नहीं हैं आंकड़े सही हैं या नहीं ।

श्री वसन्त साठे : बड़े दुःख की बात है कि 80,000 वकीलों में से 100 पदों के लिए न्यायाधीश नियुक्त नहीं किये जा सकते ।

डा० बी० ए० सईद मुहम्मद : मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमें 100 पदों के लिए उपयुक्त आदमी नहीं मिल रहे। जैसा कि मेरे सहयोगी जानते हैं कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं। श्री एन० ई० होरो ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं ।. यह कहा गया है कि खंड 2 के परन्तुक ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को काफी स्वविवेक शक्तियां प्रदान की हैं। वह नए न्यायपीठ से सभी मामले अथवा अधिकांश मामले वापस ले सकता है। यह बात सही नहीं है।

तीन या चार न्यायाधीशों के न्यायपीठ में हो सकता है ऐसे न्यायाधीश न हों जो विशेष कानून या प्राविधिकता की पूरी जानकारी रखते हों। ऐसे मामले में मुख्य न्यायाधीश उस मामले की सुनवाई

[डा० बी० ए० सईद मुहम्मद]

पटना में करना अधिक संगत समझ सकता हैं ताकि न्याय दिया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संशोधन के पेश किये जाने तक प्रतीक्षा कीजिये।

डा० बी० ए० सईद मुहम्मद : मेरा विचार था कि संशोधन पेश किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तभी पेश किया जा सकता है जब खण्डवार विचार किया जायेगा।

डा० बी० ए० सईद मुहम्मद : आपकी आज्ञानुसार ही सारा काम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पटना उच्च न्यायालय की रांची में एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे।

खण्ड 2

श्री एन० ई० होरो : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 1 में पंक्ति 12 से 14 का लोप किया जाये। यह मेरा संशोधन संख्या 1 है।

मैं फिर वही बात दोहराता हूं कि इस परन्तुक के कारण विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। आजकल दक्षिण बिहार से बहुत सारे मामले पटना उच्च न्यायालय में आ रहे हैं। कई वकील और बार के सदस्य चाहते हैं कि दक्षिण बिहार में पैदा होने वाले मामले पटना में ही सुने जायें। उसका परिणाम यह होता है कि दोनों पक्षों के धन और समय तथा अन्य चीजों की बर्बादी होती है।

श्री बी० ए० सईद मुहम्मद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि 3 या 4 न्यायाधीशों की पीठ में हो सकता है कि न्यायाधीश किसी विशेष कानून या पेचीदगियों से वाकिफ न हो। उस हालत में मुख्य न्यायाधीश सोचेंगे कि मामले की सुनवाई पटना में ही हो ताकि न्याय मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया।

सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 7 : विपक्ष में : 87

Ayes 7 : Noes 87

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

डा० बी० ए० सईद मुहम्मद : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 1, पंक्ति 13,— 'Any case' '(किसी मामले)' के पश्चात् 'or classes of cases' ('या मामलों की श्रेणी') अन्तः स्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आज 12.08 बजे इस संशोधन की सूचना दी थी और अध्यक्ष महोदय ने उसे पेश करने की स्वीकृति दे दी है। चूंकि इस संशोधन को सदस्यों में परिचालित नहीं किया जा सका : अतः मैंने पढ़ कर सुना दिया है और इसके पेश किये जाने की अनुमति दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय को श्री एन० ई० होरो के संशोधन से पहले संशोधन पेश करना चाहिये था। अब सारी बात सिद्धान्त के विरुद्ध है। बगैर पूर्व सूचना के इसे पेश किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका विरोध कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 13,—'Any case' ('किसी मामले') के पश्चात् 'or classes of cases' ('या मामलों की श्रेणी') अन्तःस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, यथा संशोधित विधेयक से जोड़ा गया।

Clause 2 as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० बी० ए० सईद मुहम्मद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित कया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

बाट और माप मानक विधेयक

STANDARDS OF WEIGHTS AND MEASURES BILL

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि बाटों और मापों के मानक नियत करने के लिए बाटों, मापों या अन्य मालों में, जिनका विक्रय या वितरण, तोल, माप या संख्या से किया जाता है, अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक बातों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

भारत में बाट और माप मीटरिक प्रणाली पहली बार 1956 में शुरू की गई थी जब बाट और माप मानक अधिनियम पास किया गया था। ये मानक अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली पर आधारित थे जिनको अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक माप-पद्धति संगठन से मान्यता प्राप्त थी और भारत इस संगठन का सदस्य रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति से तालमेल रखने के लिए संशोधित बाट और माप मानक अपनाने के लिए इस संगठन ने कानून का प्रारूप तैयार किया। इस नई प्रणाली का संक्षिप्त नाम 'एस० आई०' रखा गया। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संशोधित मानकों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसमें राज्य सरकारों के तकनीकी तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल किये गये। इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया और जुलाई, 1975 में राज्य सभा में पेश किया गया। राज्य सभा ने इस विधेयक को 15 जनवरी, 1976 को पास किया।

विधेयक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) 'एस०आई०' एककों पर आधारित और अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक माप-पद्धति संगठन द्वारा मान्यता-प्राप्त बाट और माप मानक तैयार करना;

(2) बाट और माप में अन्तर्राज्यीय वाणिज्य का विनियमन;

(3) बाट और माप के निर्यात और आयात का नियंत्रण और विनियमन; और

(4) निर्माण से पूर्व बाट और माप मानकों को स्वीकृति देना है।

इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि योजना बनाने तथा प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए सर्वेक्षण करने तथा आंकड़े एकत्र करने हेतु इस संगठन को मान्यता दी जायेगी।

विधेयक में पैक हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में उपभोक्ता संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस देश में कम तोलकर वर्षों से उपभोक्ता को ठगा जाता रहा है। इन सब कदाचारों के विरुद्ध हमारे पास कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। अतः इस विधान को लागू करने से पैक हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में उपभोक्ता संरक्षण के उपबन्ध की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हैं।

विधेयक में पैकेज पर वजन, माप, आदि द्वारा शुद्ध मात्रा का सही संकेत देने का उपबन्ध किया गया है। पैकेज पर निर्माता का नाम और पैकेज का मूल्य भी देना होगा। हम यह उपबन्ध इसलिये ला रहे हैं कि उपभोक्ता को धोखा न दिया जा सके और बाट और माप के मानक का कठोरता से पालन किया जा सके। इस विधेयक से हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि समूचे देश में सभी वैधानिक तरीकों से उचित उपाय किये जायें और उपभोक्ता-संरक्षण के मामले में यह अत्यधिक कारगर उपाय बने।

इस सम्बन्ध में 2 अक्तूबर, 1975 से पैक हुई वस्तुएं विनियमन आदेश लागू किया गया है। इस आदेश को भारत रक्षा नियम और आन्तरिक सुरक्षा नियमों से प्राधिकार प्राप्त हुआ है। इस विधेयक के पास होने से उपभोक्ता को सांविधिक आधार प्राप्त हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि बाटों और मापों के मानक नियत करने के लिए, बाटों, मापों या अन्य मालों में, जिनका विक्रय या वितरण, तोल, नाप या संख्या से किया जाता है, अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : सिद्धान्ततः कोई भी व्यक्ति इस तरह के विधेयक के पुरःस्थापन पर आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बाट और माप सम्बन्धी उपबन्धों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित किया गया है। परन्तु आपत्ति केवल उस ढंग पर है जिससे यह विधेयक

क्रियान्वित किया जायेगा। 1956 में बाट और माप मानक अधिनियम बनाया गया था परन्तु इसे कैसे लागू किया गया यह बात सर्वविदित है। विशेषज्ञों की एक समिति ने इस पर विचार किया और 1956 के अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये उपबन्धों के निरसन की सिफारिश की थी। शायद कार्यान्वयन के सम्बन्ध में इस विधेयक की भी यही हालत होगी। प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त उपेक्षा और भ्रष्टाचार सामान्य उपभोक्ताओं के लिए दिये जा रहे लाभ को समाप्त कर देंगे।

विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि दिल्ली में 60 प्रतिशत टैक्सी मीटर सही नहीं हैं और यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ता है। शहर में पेट्रोल पम्पों की मशीनें भी ठीक नहीं हैं और पेट्रोल खरीदने वालों को अधिक पैसे देने पड़ते हैं। यह और भी चिन्ताजनक बात है कि अनुसन्धान कार्य करने वाले छात्रों को दिये जाने वाले बाट और माप सही नहीं हैं। इससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अनुसन्धान का क्या परिणाम निकलेगा?

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन विधानों को समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जायेगा और ये केवल कागज़ी कार्यवाही बनकर रह जायेंगे। विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि जो निरीक्षक इस विधान को कार्यान्वित करेंगे उन्हें पर्याप्त रूप से योग्य होना चाहिए और उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए ताकि वे आसानी से भ्रष्टाचारी न बन सकें।

कई पैकटों पर लिखा होता है कि स्थानीय कर के अतिरिक्त मूल्य इतना है किन्तु उपभोक्ता को यह मालूम नहीं होता कि वास्तविक कर क्या है और इसी कारण उपभोक्ताओं और खुदरा व्यापारियों के बीच झगड़ा-फिसाद होता रहता है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन बातों से उपभोक्ताओं और व्यापारियों को भारी कष्ट हो रहा है। ये बेईमान निर्माता यह दिखाते हैं कि वे कम मूल्य पर बेच रहे हैं परन्तु उपभोक्ता को वास्तव में अधिक मूल्य देना पड़ता है।

पैकटों के कागज को भी वजन में तोला जाता है और इस तरह उपभोक्ताओं को धोखा दिया जाता है। इस सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध किये जाने चाहियें ताकि लोगों को धोखा न दिया जा सके।]

मुख्य बात बाट और माप तथा वजन तोलने की मशीनों की उपलब्धता की है। हमारे देश में वजन तोलने की मशीनों की सप्लाई के लिए एवरी इण्डिया लिमिटेड का एकाधिकार है। यह एक विदेशी कम्पनी है जो लोगों को धोखा देकर अंधाधुंध धन कमा रही है किन्तु सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बहु-राष्ट्रीय विदेशी कम्पनी का बिना मुआवजा दिये राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। हमारे देश में तकनीकी पर्याप्त ज्ञान है। हम स्वयं मशीनरी बना सकते हैं और विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं। यदि हम अपने देश में मशीनरी नहीं बना सकते तो उपभोक्ताओं और आम जनता के हितों में इस विधेयक के उपबन्धों को उचित रूप से कैसे लागू कर सकते हैं?

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur) : Sir, indeed it is a very interesting and comprehensive Bill but it is a cause of much harassment to the petty shopkeepers and small traders. The people in the rural areas are poor, innocent and illiterate. The Inspectors and other authorities harass them unnecessarily. This leads to the spreading of corruption. So Government have to keep a strict check and vigilance on these officials. With these words, I support the Bill.

Shri M. C. Daga (Pali) Sir, I welcome this Bill. But certain defects in it are glaring. It has been said in the report that it shall come into force on such date as the Central Government may, by notification, appoint, and different dates may be appointed,. We do not know if this Bill will be applicable to the undertakings or not.

It is a good bill but the procedure in regard to its implementation should be simplified. Moreover very stringent punishment has been provided for its violation. This is on the high side keeping in view the fact that the country is inhabited by sixty crores of people. Secondly, there are many markets in India where Commodities are sold by heaps or in truck loads or Cart loads without any weighment of measurement of the commodities contained in each heap, truck or cart. How this Bill will be applicable to that?

Then in the list of officers you have included 'any person'. Who is that 'any person' to whom you want to authorise ? You have created a means of income for the lawyers. They will be very thankful to you.

If anything has increased in the country it is bureaucracy. So we should be more practical. By framing laws we should try to check this evil.

First we should try to educate the public by giving it adequate publicity. Directors and Joint Directors should be made to understand all the technalities. We should not do anything in haste.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : यद्यपि यह विधेयक सिद्धान्त रूप में अच्छा है लेकिन इसकी उपयोगिता के बारे में कुछ सन्देह हैं ।

बाट और माप विधि प्रभाग समिति, कलकत्ता के अध्यक्ष ने हाल ही में बताया है कि कम तोलने के कारण प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपये का काला धन बढ़ जाता है । यद्यपि 1956 में बाट और माप का मानकीकरण किया गया था तो सरकार ने इस विधेयक को लाने में इतना बिलम्ब क्यों किया है । आज 20 वर्ष बाद इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है । इस व्यापक बुराई ने उपभोक्ता और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को एक समान रूप से प्रभावित किया है । किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस विधान द्वारा सरकार इस रोग पर काबू पा लेगी ?

यद्यपि विधेयक के उद्देश्य निरपवाद हैं लेकिन यह भ्रम होता है कि क्या उनका क्रियान्वयन भी किया जाएगा । मैं यह महसूस करता हूं कि इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार ने अभी तक यह निर्णय नहीं किया है कि इन्हें किस तिथि से लागू किया जाएगा ?

इन सब बातों से पता चलता है कि सरकार उपभोक्ता को बचाने के बारे में गम्भीरता से नहीं सोच रही । इस विधेयक के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने निदेशकों तथा अधिक वेतन पाने वाले पदों का उपबन्ध किया है । लेकिन वास्तव में निम्न श्रेणी के कर्मचारी कानून लागू करने का काम करते हैं । इस विधेयक में निम्न श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त करने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है । न ही उनके लिये आवश्यक अर्हताओं का कोई उल्लेख है । मुझे डर है कि कुछ दसवीं पास या दसवीं से भी कम योग्यता वाले व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल के बेरोजगार नवयुवकों को इस कार्य के लिये या 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु लगाया जाएगा ।

इस विधेयक से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी जिसके लिये उसे बनाया गया है । यह एक धोखा मात्र है

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मंत्री महोदय ने कहा है कि विधेयक का उद्देश्य बहुत सराहनीय है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इन उद्देश्यों को सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके। उनकी परेशानियां कम की जा सकें। क्या सरकार ने वास्तव में जनता की कठिनाइयों पर विचार किया है ?

विभिन्न दुकानों पर हमें विभिन्न प्रकार से लूटा जाता है। मंत्री महोदय हमें उनसे कैसे बचाने जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि कुछ किया ही न जाये। लेकिन यह विधेयक बहुत शीघ्रता में लाया गया है ? थोड़ी सी चीज से बहुत अधिक आशा की जा रही है।

इस विधेयक में एक प्रशिक्षण स्कूल खोलने का उपबन्ध है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सरकार की योजना क्या है ?

विधेयक के सराहनीय उद्देश्यों की प्राप्ति आंशिक रूप से होना भी बहुत कठिन है। यह कानून बहुत जटिल है और उसे भली-भांति समझना आवश्यक है। कानून को क्रियान्वित करने वालों तथा विधि अनुसार पालन करने वालों द्वारा इस कानून का समझना और अध्ययन करना जरूरी है। इन दोनों के बीच लाखों उपभोक्ता हैं। वे पिसेंगे।

इसलिये मैं कहता हूं कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये। सभा के पास इसे समझने के लिये न तो पूरा समय है और न ही उसे समझने की योग्यता है। इस कानून पर व्यापक रूप से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

केवल कानून बनाने से कुछ नहीं हो सकता। अच्छे उद्देश्यों वाला कानून भी निष्फल हो जाता है। आजकल अच्छे उद्देश्यों वाले कानूनों को पास करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें यह देखना है कि उसके परिणाम क्या निकलते हैं।

कानून का पालन जनता को शिक्षित करके, उसे अपने विचारानुसार ढाल कर ही किया जा सकता है।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj): Sir, I had no intention to speak on this Bill because only one hour was fixed for this piece of legislation. But from the speeches of various Members I have gathered this impression that they have not understood the provisions of this Bill. Any measure, however good it may be, takes some time to prove its effectiveness.

The position will improve gradually. Although every Member has admitted that the objects of the Bill are laudable yet there are certain misgivings. I agree that certain defects may be there because there are millions of businessmen having different types of weights and measures. But we can bring new measures later on keeping in view the fresh difficulties we encounter. So far as the enforcement of this Bill is concerned, there is provision to provide training to the staff.

But Government should ensure maximum benefit from this measure.

श्री ए० सी० जार्ज : सबसे पहले मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया।

मुख्य आलोचना इस विधेयक के कार्यान्वियन के बारे में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक के कार्यान्वियन कर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात पर विचार करना होगा। हमने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रबन्ध किया है कि पहले इस कार्य में प्रशिक्षण दिया जाये और फ़िर क्रमानुसार इस कानून का क्रियान्वयन किया जाये। यदि सदस्य ध्यानपूर्वक विधेयक को देखें तो पायेंगे कि विधेयक के कई खण्ड अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित हैं। कुछ सदस्यों ने उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों के बारे में कहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत से खण्डों का सम्बन्ध स्थानीय व्यापार से न होकर अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से ही है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा): यह प्रश्न भारत में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह विधेयक मुख्यतः अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित है।

श्री ए० सी० जार्ज० : ऐसा श्री डागा ने कहा है। (व्यवधान)।

श्री ए० सी० जार्ज : यह विधेयक बहुत बड़ा है। इसमें 86 खण्ड हैं। परन्तु इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सुझाये गये मान दण्डों के अनुरूप बनाया गया है। विधेयक के अन्य उपबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सिफ़ारिशों के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

इस कार्य को पर्याप्त सोच विचार के पश्चात् किया गया है। मैं माननीय सदस्यों के मन से इस सन्देह को दूर कर देना चाहता हूं कि इसे शीघ्रता से लाया जा रहा है तथा इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया गया। सभी माननीय सदस्यों ने इसकी सराहना की है।

श्री एच० एम० पटेल (ढंडुका) : वाणिज्यिक मण्डलों तथा अन्य व्यापारिक संगठनों से परामर्श नहीं किया गया जबकि यह इससे बहुत प्रभावित हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : हमने महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मण्डलों से परामर्श किया है कि पहले कम तोलने वालों को भगवान् की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दिया जाता था। अब उसे समाज और सरकार की न्याय व्यवस्था के अधीन लाया जा रहा है। विज्ञान स्नातकों को व्यापक प्रशिक्षण के बाद यह कार्य सौंपा जायेगा। पैकेटों के बारे में यह सतर्कता बरती जा रही है कि उनके तोल के लिये खुदरा व्यापारियों को उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।

मैं माननीय सदस्यों को इस विधेयक के सिद्धान्तों के प्रति सहमत होने के लिये धन्यवाद देता हूं। जो भी आलोचना की गई है वह सतर्कता एवं क्रियान्विति के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाटों और मापों के मानक नियत करने के लिये, बाटों, मापों, या अन्य मालों में, जिनका विक्रय या वितरण, तोल, माप या संख्या से किया जाता है, अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा। श्री रामावतार शास्त्री के 20 संशोधन प्रस्ताव हैं। परन्तु वह यहां दिखाई नहीं दे रहे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 85 तक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 85 विधेयक में जोड़ दिये गये।

clauses 2 to 85 were added to the Bill.

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

The schedule was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

श्री ए० सी० जार्ज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1,— "Twenty-sixth" (26वां) के स्थान पर "Twenty-seventh" (27 वां) प्रतिस्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—"Twenty-Sixth" (26 वां) के स्थान पर "Twenty-seventh" (27 वां) प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री ए० सी० जार्ज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तामिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF TAMIL NADU.

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

तमिलनाडु के राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट 2 फ़रवरी, 1976 को सभा पटल पर रखी गयी थी। राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में विस्तार से इस बात का उल्लेख किया है कि किन कारणों से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जबकि राज्य सरकार को संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने द्रमुक सरकार के कुप्रशासन, भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग का भी उल्लेख किया है। पक्षपातपूर्ण उद्देश्य तथा दल के लिये चन्दे के

लिये पुलिस बल सहित सरकारी तन्त्र का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। द्रमुक सरकार ने सरकारी संसाधनों को बेकार तथा अलाभकर परियोजनाओं के लिये प्रयोग किया।

गम्भीर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितताएं भी सामने आई हैं। राज्यपाल के अनुसार द्रमुक सरकार के विरुद्ध लगाये गये अधिकांश आरोप बहुत गम्भीर हैं तथा निराधार नहीं हैं। मद्रास के लिये पेय जल सप्लाई करने सम्बन्धी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की वीरनम परियोजना को पक्षपातपूर्ण ढंग से लागू किया गया है तथा वे जनहितों की उपेक्षा करते हुए कदाचार करते चले गये।

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री करुणानिधि तथा तमिलनाडु के अन्य मन्त्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को कई बार दोहराया गया है जिनमें नवीनतम आरोप संसद् सदस्य श्री के० मनोहरन तथा श्री विश्वनाथन के 1 दिसम्बर, 1975 के ज्ञापन में दिया गया है। राज्यपाल ने मांग की है कि भूतपूर्व द्रमुक सरकार के विरुद्ध लगाये गये कई गम्भीर आरोपों की जांच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की जाये। प्रशासन में जनता के विश्वास को पुनः बनाने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की गई है जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश करेंगे।

आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा के बाद जहां एक ओर समूचे देश में अनुशासन तथा प्रगति का वातावरण बनाया जा रहा है वहां द्रमुक सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों पर बहुत कम ध्यान दिया है। राज्य में आपातस्थिति का विरोध करने का वातावरण पैदा किया गया है तथा ऐसे उपाय किये गये जिससे असामाजिक तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों को शरण मिले। सेंसरशिप विनियमों का उल्लंघन किया गया तथा प्रतिबन्धित संगठनों के सक्रिय सदस्यों को पकड़ा नहीं गया।

इतना ही नहीं जनता को प्रसन्न करने में असफल होने पर स्वायत्तता की मांग की गई। विभिन्न मंचों पर उकसाने वाले भाषण दिये गये तथा अशान्ति तथा अहिंसा का वातावरण पैदा किया गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जब उस सरकार का बना रहना जनहित विरोधी तथा देश विरोधी हो गया।

राष्ट्रपति की उद्घोषणा का तमिलनाडु के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। भारत के सभी समाचार पत्रों ने तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को प्रकाशित किया है।

अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य तमिलनाडु में स्वच्छ तथा कुशल, आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन स्थापित करना है जो सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति की तीव्रता को सुनिश्चित करे ताकि देश में तमिलनाडु को सही स्थान मिल सके। मुझे आशा है कि राज्य की जनता हमें अपना पूरा सहयोग देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

श्री सेझियान (कुम्बाकोणम्) : तमिलनाडु सरकार को हटा कर सरकार ने संविधान तथा देश के प्रजातान्त्रिक ढांचे के साथ हल किया है।

अनुच्छेद 356 के अधीन विधान सभा भंग कर दी गई है तथा मन्त्रिमण्डल बरखास्त कर दिया गया है। दूसरी कार्यवाही जांच आयोग की नियुक्ति है।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए।]

[Shri C. M. Stephen *in the chair*]

मैं जांच आयोग की नियुक्ति का स्वागत कर सकता हूं बशर्ते कि इससे देश का वातावरण सुधारने का अवसर मिले। जिस सरकार अथवा मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं मैं उन पर कार्यवाही न करने को नहीं कह सकता। लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि सरकार विधिवत् स्थापित राज्य सरकार को इसीलिए न हटा दे कि वह प्रतिपक्षी दल की सरकार है।

मैं पार्टी को व्यक्ति से अधिक महत्व देता हूं तथा जन कल्याण को पार्टी से अधिक महत्व देता हूं।

मैं किसी सरकार की भ्रष्टाचार की गतिविधियों का समर्थक नहीं हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार तथा विधान सभा को भंग करने का निर्णय करने का तरीका इतने शीघ्रता से कैसे ढूंढ़ लिया गया। इसके लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये? केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को हटाने के लिये क्या प्रणाली बनाई है क्योंकि यह आखिरी सरकार नहीं है जिसे हटाया गया है बल्कि आने वाले समय में और भी राज्य सरकारें हटाई जानी हैं।

पंजाब सरकार के मामले में 1968 में जांच की मांग की गई थी। बाद में न्याय मूर्ति एस० आर० दास द्वारा जांच की गई। परन्तु जब वे आरोप केन्द्रीय सरकार तथा प्रधान मंत्री के पास भेजे गये तो, उन्हें ताक में रख दिया गया। जांच के दौरान पंजाब सरकार कार्य करती रही। श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधान मंत्री बनने के तीन दिन बाद जांच आयोग की रिपोर्ट आई तब प्रधान मंत्री के विशेष प्रयत्न से मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दिया।

आयोग द्वारा आरोपों के प्रमाणित किये जाने पर भी विधान सभा को भंग नहीं किया गया। केवल मुख्य मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा।

कई राज्यों में ऐसे आरोप लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार तथा कई अन्य राज्यों में ऐसे आरोप लगाये जाते रहे हैं। बिहार के मामले में तो भ्रष्टाचार के आरोप निरन्तर लगते रहे हैं। परन्तु वहां अनुच्छेद 356 का उपयोग कहीं पर भी नहीं किया गया।

हरियाणा के मामले में विपक्ष के सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। 121 संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा था जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गये थे। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कर्नाटक सरकार के विरुद्ध भी याचिका दायर की गई थी। कर्नाटक विधान सभा की लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन में इन घटनाओं की अत्यधिक गम्भीर तस्वीर दी गई है। लेकिन वहां पर संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन कार्यवाही नहीं की गई है। लगभग 99 आरोप लगाए गये थे। आरोप लगाने वालों में कई कांग्रेस सदस्य थे।

एक बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम केन्द्र द्वारा जांच आयोग का गठन किये जाने के विरुद्ध हैं, क्योंकि यह संघीय पद्धति के विरुद्ध है। राज्यों के मामलों में केन्द्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। राज्य सरकार वहां की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

जब तक सभी प्रकार के आरोपों की जांच करने के लिए हमारे पास कोई निष्पक्ष स्थाई तंत्र नहीं होगा तब तक केन्द्र सरकार अपनी स्वैच्छिक शक्तियों का प्रयोग करती रहेगी। हम यह चाहते हैं कि केन्द्र राज्यों के मामले में हस्ताक्षेप न करें। यही कारण हैं कि हम केन्द्र द्वारा जांच आयोग का गठन किये जाने के विरुद्ध हैं। हरियाणा और कर्नाटक के बारे में जब याचिकायें रखी गई थी तो उस समय हमें उन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया या परन्तु अपने इसी सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये हमने उन पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। हम अभी भी इसी सिद्धान्त के पक्ष में हैं कि संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार विधान सभा तथा राज्य की जनता के प्रति ही उत्तरदायी है।

केन्द्र सरकार द्वारा काफ़ी अरसे से लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक लाने की बात की जा रही है। इस सम्बन्धी विधयक सम्भवतः 1968 में पुरःस्थापित किया गया था। जिसे बाद में प्रवर समिति को भेजा गया था। परन्तु 1970 में जब सदन भंग किया गया तो उसके बाद उस विधेयक को पुनः लाने के लिए सरकार दवारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। वैसे सरकार आज कल आपात स्थिति के नाम पर लोगों से काम अधिक तथा बातें कम करने के लिए कह रही है।

मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए निष्पक्ष और न्यायिक व्यवस्था की जानी चाहिये। जहां तक तामिलनाडु सरकार का सम्बन्ध है, उसे जांच आयोग के अधीन कर दिया गया है। हमें जांच की परिणामों की प्रतीक्षा तो करनी ही है परन्तु यह बहुत ही विचित्र बात है कि जो आरोप राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये, उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह है कि डी० एम० के० सरकार को भंग किये जाने की तिथि तक सरकार ने आरोप सम्बन्धी दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवाने के लिए कुछ नहीं किया। राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप में कहा है कि पहले उसने राज्य में द्रविड़ मुन्नेत्र कणगम सरकार के बारे में इसलिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि सम्भवतः सरकार अपने कार्यकरण में सुधार कर ले। परन्तु अचानक एकाएक इस प्रकार की रिपोर्ट भला क्यों और कैसे?

मैं इस बात से इतना अधिक चिंतित नहीं हूं द्रविड़ मुन्नेत्र कणगम की सरकार समाप्त कर दी गई है। चुनाव के समय हम फ़िर जनता के दरबार में हाज़िर होंगे। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों की तरह यह नहीं कहता कि चनाव में हम सभी स्थानों पर विजयी होंगे। परन्तु हां इतना अवश्य है कि जनता के पास पुनः जाने में हमें प्रसन्नता होगी। जनता सर्वोच्च है तथा उसका फ़ैसला हमें मान्य होगा।

अब मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में तो संविधान सभा के कार्यकाल में ही अनेक शंकायें व्यक्त की गई थी। अब हमारी वर्तमान सरकार भारतीय संवैधानिक प्रक्रियाओं का एक ऐसा नया मानदण्ड बनाने का प्रयत्न कर रही है जिसके अनुसार विधान सभा को वहां की जनता की संतुष्ट करने की अपेक्षा

केन्द्रीय सरकार और सत्ताधारी दल की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगता है तमिलनाडु में जांच का ढोंग रचाया जा रहा है। यदि किसी निष्पक्ष स्थाई तंत्र से वहां जांच करवाई जाये तो हम उसका स्वागत करेंगे।

लोगों का यह लोकतांत्रिक अधिकार है कि मतदान से सरकार बदल दे और किसी मंत्रि-मण्डल को बनाये रखने या गिराने का विशेषाधिकार विधान सभा को होता है। डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस आशय की आशंका के साथ सहमति व्यक्त करते हुये कहा था कि हमें आशा है कि 356 जैसे अनुच्छेदों का उपयोग बहुत कम किया जायेगा। परन्तु अब तक इसका उपयोग 36 बार किया जा चुका है और तीन बार ऐसी राज्य सरकारों को गिराने के लिए इस अनुच्छेद का उपयोग किया गया है जहां विधान सभा में उनका बहुमत था। डा० अम्बेडकर जिन्होंने वर्तमान संविधान का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाई, ने कहा था कि यदि कोई राज्य कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति को उसे चेतावनी देनी चाहिये। यदि उस चेतावनी से भी कुछ नहीं होता तो वहां के लोगों को वह भूल सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिये और यदि दोनों अवसरों से कुछ नही होता तो फ़िर सरकार को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिये। डा० अम्बेडकर ने वर्ष 1949 में जो बात कही थी, उसे हमारी सरकार भूल गई है। 1959 में केरल में साम्यवादी दल की सरकार इसलिये गिराई गई कि वह गैर-कांग्रेसी दल की सरकार थी। इसी इतिहास को वर्ष 1968 में पुनः पश्चिम बंगाल में दोहराया गया।

आजकल तमिलनाडु के राज्यपाल श्री के० के० शाह द्वारा आपातस्थिति का बड़ा समर्थन किया जा रहा है। 27 फ़रवरी, 1976 को उन्होंने मद्रास के किसी सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति के शासन से राज्य का प्रशासन निष्पक्ष तथा कुशल हो जायेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि द्रमुक सरकार के पतन पर सम्पूर्ण तमिलनाडु में खुशियां मनाई गई।

श्री शाह को 1971 में तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तब से लेकर अब तक वह अनेक स्थानों पर भाषण देते आये हैं तथा लगभग सभी स्थानों पर उन्होंने राज्य सरकार के कार्यकरण की सराहना की। क्लेक्टरों के सम्मेलन में 27 जुलाई, 1974 को उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने समाज के पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए अनेक योजनायें आरम्भ की है।

26 जून, 1975 की आपातस्थिति की घोषणा की गई थी। इसके बाद अचानक यह आरोप लगाया जाने लगा कि राज्य सरकार का कार्यकरण ठीक न्हीं है। आपातकालीन स्थिति लागू होने के बाद 5 जुलाई, 1975 को क्लेकटरों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि तमिलनाडू सरकार ने समाज के पिछड़े वर्गों की सहायता के लिये कई योजनाओं आरम्भ की हैं।

23 अक्तूबर, 1975 के "हिन्दू" में कहा गया था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा गरीबों, अनाथों समाज द्वारा उपेक्षित लोगों की सहायतार्थ आरम्भ की गयी अनेक योजनायें प्रशंसनीय हैं और अन्य राज्यों को भी ऐसी योजनाएं आरम्भ करनी चाहिये।

29 जनलरी को राज्यपाल ने केन्द्र को अपना प्रतिवेदन भेजा। 31 जनवरी की सुबह गांधी मंडप में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चल रही है।

तमिलनाड् सरकार पर कुछ आरोप लगाये गये और विधान सभा भंग कर दी गयी। इन आरोपों की एक आयोग जांच कर रहा है। यदि इस आयोग ने इन आरोपों को निराधार सिद्ध कर दिया तो यह स्थिति कैसे ठीक हो जायेगी? यदि सरकार हटा भी दी गई थी तो विधान सभा क्यों भंग की गई है? इसे स्थिति के स्पष्ट होने तक निलम्बित क्यो नहीं रखा गया **(व्यवधान)** ......

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्योंकि यह उत्तर प्रदेश नहीं है।

श्री सेझियान : उत्तर प्रदेश के माम्ले में वहां के राज्यपाल ने सिफारिश की कि विधान सभा को भंग न करके निलम्बित रखा जाये। जो बात उत्तर प्रदेश के लिये ठीक हो सकती है वही बात प्रतीत होता है, तमिलनाडु के लिये ठीक नहीं हो सकती।

द्रमुक दल पर पृथकतावादी तथा हिन्दी विरोधी होने के आरोप लगाये गये हैं। इस प्रकार के आरोपों का अविष्कार नित्यप्रति किया जा रहा है।

यह बात सच है कि द्रमुक ने पृथकतावादी आन्दोलन आरम्भ किया था। लेकिन यह बात तो बीत चुकी है। यदि आप इसके इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस दल का जन्म 1926 में शुरू हुये "आत्म सम्मान" आन्दोलन से हुआ है। यह आन्दोलन सामाजिक अन्याय के विरुद्ध था।

बाद के वर्षों में हुई घटनाओं से अलगाव का रवैया छोड़ दिया गया था। हमारा दल अलगाव की प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है तो मंत्री महोदय उसके विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही कर सकते हैं। जब हमारे दल में कुछ लोगों ने इस प्रगति को पंसन्द किया तो हमने उन्हें दल से निकाल दिया है। हमारी अपनी ही सरकार ने ऐसी विचार धारा व्यक्त करने वाले समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। अभी हाल में इस प्रकार की बात करने वाले एक सदस्य को अपने दल से बाहर निकाल दिया है। कभी-कभी कुछ लोग इस प्रकार की बातें कर ही लिया करते हों। कुछ समय पहले श्री शशि भूषण ने भी समिति तानाशाही की बात की थी। क्या वे समुचे कांग्रेस दल की ओर से बोलते हैं अथवा यह कांग्रेस सरकार को नीति है?

श्री दिनेन भट्टाचार्य : क्यो नहीं?

श्री सेझियान : 1970 में प्रधान मंत्री ने हमारे बारे में कहा था कि द्रमुक ने दक्षिण को देश से पृथक करने की मांग की थी, इसने अब उस मांग को छोड़ कर अपने को राष्ट्रीय

धारा में मिला दिया है। यह बात उन्होंने 1970 में कही थी। उस समय हम सदन से बाहर और अन्दर अच्छे थे। 1971 में हमने मिलजुल कर चुनाव लड़े थे।

गृह मंत्री कहते हैं कि तमिलनाडु की जनता और वहां के सभी समाचारपत्रों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्वागत किया है। क्या तमिलनाडु में कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कुछ कर सकता है अथवा लिख सकता है? क्या कोई व्यक्ति आपातकालीन स्थिति के रहते हुये किसी उपाय की आलोचना करने के लिये सभा का आयोजन कर सकता है ?

अमरीकी किसानों का एक दल पिछले महीने की 20 तारीख को प्रधान मंत्री से उनके निवास स्थान पर मिला था। प्रधान मंत्री ने उन्हें बताया कि समाचारपत्रों पर पूर्व सेंसर नहीं लगा है। प्रधान मंत्री को वहां की घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। देश में पूर्ण सेंसर लगा हुआ है। 11 अगस्त, 1975 को प्रेस सेंसर ने मद्रास में हमारे दल के समाचार पत्र 'मारासोली' को एक आदेश जारी किया कि 11 अगस्त, 1975 से पत्र में कुछ भी प्रकाशित करने से पूर्व अपनी सभी प्रकाशन सामग्री जैसे साम्पादकीय लेख, समाचार, विज्ञापन, चित्र, व्यंग्यचित्र आदि सेंसर के लिये प्रस्तुत करे। पूर्व सेंसर 'मुरासोली' पर ही नहीं बल्कि 'तुगलक' और अन्य समाचारपत्रों पर भी लगा हुआ है। आशा है प्रधान मंत्री इस मामले की जांच करेंगी।

हम यह चाहते हैं कि इस देश में संसदीय लोकतन्त्र संघीय व्यवस्था के आधार पर कार्य करे और इसमें किसी प्रकार का विकार न आये। अभियुक्त लोगों और अभियुक्त सरकार को न्याय मिलना चाहिये। उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिये कि उन्होंने अपने 9 वर्षों के इस अल्प काल में क्या कार्य किया है।

मैं जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु की द्रमुक सरकार को हटाकर भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप को जो हानि आपने पहुंचायी है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जायगी ?

श्री के० गोपाल (करूर) : श्री सेझियान ने कहा कि सरकार ने तमिलनाडु में द्रमुक सरकार को हटाकर लोकतन्त्र की उपेक्षा की है तथा किसी भी सिद्धान्त का पालन नहीं किया है। 1967 तक तमिलनाडु में कांग्रेस का शासन था। उसके बाद उसकी हार हो गयी। इस सम्बन्ध में स्वयं श्री अन्ना दुरैई ने कहा था कि यदि कांग्रेस ने जनता को बताया होता कि उनके दल ने जनता के लिये क्या क्या किया है तो दल की पराजय न होती।

श्री सेझियान तथा द्रमुक के नेताओं ने आयोग की नियुक्ति का स्वागत किया है। श्री सेझियान दिल से खुश है कि द्रमुक हार गई है। यदि उनकी पार्टी में सभी लोग उनके विचारों के होते तो तमिलनाडु में ऐसी स्थिति पैदा न होती। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य

में न तो संवैधानिक अव्यवस्था थी और न ही कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हुई थी। मैं उन्हें बताना चाहता कि कानून और व्यवस्था के भंग होने का इतना ही अर्थ नहीं है कि सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट की जाये। यदि सत्ताधारी लोग कानून और व्यवस्था को अपने अधिकार में ले लेते हैं तो क्या इससे कानून और व्यवस्था भंग नहीं होती? चुनावों की मांग की गई और तमिलनाडु के लोगों को केन्द्र के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया गया। द्रमुक दल ने 5 जुलाई 1975 को एक संकल्प पारित कर के आपात स्थिति का विरोध किया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "सरकार के रूप में हम केन्द्र के निर्देशों का निष्ठा से पालन करेंगे।" संसद की अवधि आपात स्थिति के कारण, बढ़ाई गई है। जब ये लोग आपात स्थिति का विरोध करते हैं तब विधान सभा की अवधि क्यों बढ़ाना चाहते हैं। अन्तिम समय तक उन्होंने अवधि बढ़ाने का प्रयत्न किया। इस उद्देश्य के लिये उन्होंने मंत्रियों को दिल्ली भेजा।

10 फ़रवरी को जब विधान सभा की बैठक बुलाई गई थी तब क्या आप राज्य की स्वायत्तता की संकल्प नहीं पारित करना चाहते थे?

इन्होंने वर्तमान शक्तियों से ही काफ़ी गड़बड़ी मचायी तथा और अधिक शक्तियां देने से तो ये न जाने क्या करते। श्री रामस्वामी पेरियार सामाजिक सुधार करना चाहते थे। वे चाहते थे कि दो रुपये में विवाह हो जाये तथा अन्तर्जातीय विवाह हों क्या किसी द्रमुक नेता ने ऐसा विवाह किया है? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : बार-बार व्यवधान न डालें।

श्री के० गोपाल : तमिल संस्कृति का भी उल्लेख किया गया। यह बात नहीं कि केवल द्रमुक के सदस्य ही तमिल संस्कृति के ठेकेदार हैं और अन्य लोगों का तमिलनाडु राज्य से संम्बन्ध ही नहीं है। इस रवैये को बदला जाना चाहिए।

द्रमुक द्वारा कई बार शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। इन्होंने अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु रखे गये धन का अन्य कार्यों के लिये उपयोग किया। उस राशि का व्यय कुछ नेताओं की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। मद्य निषेध हटा कर इन्होंने 50–60 करोड़ रुपये कमाया और बाद में इसे पुनः लागू कर दिया। एक ओर तो द्रमुक ने यह प्रचार किया कि वे जनता के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर कर्मचारियों का दमन किया। उन्होंने मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की और प्रबन्धकों ने जबरी छुट्टी करनी शुरू कर दी। उन्होंने सड़कों के लिये 50,000 रुपये नियत किये तो व्यय 5,000 रुपये ही किये। 1974 में तमिलनाडु में भारी अन्न संकट था। 45 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ था। चावल 6–7 रुपये किलो बिक रहा था। यह कमी सत्तारूढ दल द्वारा पैदा की गई थी। मेडिकल कालेज में दाखिले के लिये 40,000 रुपये तथा इंजीनियरिंग कालेज के लिये 10,000 रु० देने पड़ते थे। अनुसूचित जातियों के आरक्षणों में केवल धनी लोगों को लाभ मिलता था।

द्रमुक नेताओं ने एक सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा था कि जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में तमिलनाडु की स्थिति 16वीं है। इसका अर्थ शायद यही था कि तमिलनाडु को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाये। मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में एक द्रमुक नेता ने कहा कि यदि तमिलनाडु विधान सभा की कार्यावधि नहीं बड़ाई जाती तो हिंसक क्रान्ति हो जायेगी। द्रमुक नेता शायद यह भूल गये कि एक केन्द्रीय सरकार भी है तथा संविधान में अनुच्छेद 356 भी है।

तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का सभी ने स्वागत किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि वह प्रशासन को सुधारेंगे। उन्होंने द्रमुक सरकार के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिये आयोग नियुक्त कर दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

तमिलनाडु के स्थानीय निकायों की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये निकाय भ्रष्टचार के अड्डे बने हुए हैं।

मैं राज्यपाल की इस घोषणा का कि व्यवसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जायेगा, स्वागत करता हूं।

जो अधिकारी द्रमुक सरकार के साथ मिलकर षड़यंत्र रच रहे थे उन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। कुछ ऐसे जिला कलेक्टर हैं जो दल के जिला सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे।

राज्य के प्रशासन में इतनी गड़बड़ी थी कि लोगों का प्रशासन से विश्वास ही उठ गया था। गृह मंत्री को आदेश जारी करने चाहिए कि अधिकारीगण व्यक्तिगत लोगों के स्मरणपत्रों पर विचार न करें। अब तक राज्य में शासन के कार्यों में बहुत दखल होता रहा है यदि इसे रोक दिया गया तो तमिलनाडु की जनता का प्रशासन में पुनः विश्वास हो जायेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सिरमपुर) : तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि केन्द्र में सत्ताधारी दल कैसे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

जराज्यपाल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार गम्भीर कुप्रशासन, भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग की दोषी थी। क्या गृह मंत्री कह सकते हैं कि कोई भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल भ्रष्ट नहीं है? कोई भी संविधान का आदर नहीं करता। एक भी नियुक्ति गुणों के आधार पर नहीं की जाती। क्या केन्द्रीय सरकार अपने हितों के लिये सत्ता का उपयोग नहीं करती? आपकी पार्टी बैठकें कर सकती है। आपातस्थिति पर अपना दृष्टिकोण बता सकती है। परन्तु विपक्ष के लोग चार दीवारी के भीतर भी अपनी बैठक नहीं कर सकते। विपक्षी शोक सभा भी नहीं कर सकते। अच्छा होता कि श्री रेड्डी द्रमुक द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की बात न कहते। तमिलनाडु में 235 सदस्यों के सदन में दल बदल के बाद द्रमुक के 165 सदस्य थे। आप संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर रहे है। वहां शान्ति और व्यवस्था को किसी प्रकार भी खतरा नहीं था।

राज्यपाल का वक्तव्य दिल्ली में तैयार किया गया तथा राज्यपाल से उस पर हस्ताक्षर कराये गये। अन्यथा उसे अपने पद से वंचित होना पड़ता। यदि सत्ताधारी दल का प्रजातंत्र में विश्वास होता तो उन्हें चुनाव कराने के लिये वहां द्रमुक सरकार को बने रहना देना चाहिए था। जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने लोक सभा की अवधि बढ़ाई है, उसी तरह राज्य विधान सभा की भी अवधि बढाई जानी चाहिए थी। वहां की सरकार बनाये रखना अथवा गिराना जनता पर छोड़ देना चाहिए था।

1971 में ये आपके साथी थे। अब वे आपके साथ नहीं हैं। इसलिये आप ने उन्हें हटा दिया है। आप अपनी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी की सरकार को सहन नहीं करेंगे।

श्री राम धन का, श्री मोहन धारिया का क्या हुआ ? श्री धारिया आपके मंत्री थे और आज जेल में पड़े हैं। वे लोग रचनात्मक आलोचना कर रहे थे। आपके नेता को उनसे असुविधा पहुंची इसीलिए वे जेलों में सड़ रहे हैं।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के पहले ही दिन श्री रामानी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे नेता श्री गोपालन द्वारा अभ्यावेदन किये जाने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। उन्हें स्वास्थ्य के लिये घर का भोजन भी नहीं लेनें दिया जाता।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात राज्य में वास्तविक रूप से पुलिस राज आरम्भ हो गया है। कई राजनीतिक नेताओ तथा कार्मिक संघों के नेताओं को जेल में भेज दिया गया है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अत्याचार की कहानियों की कोई सीमा नहीं है। इस बारे में श्री भूपथि ने, जो हमारे जिला स्तर के नेता हैं, एक अभ्यावेदन राज्यपाल को भेजा है। उसमें कहा गया है :

> "हमारे एक कार्मिक श्री रामास्वामी को पुलिस अधिकारी द्वारा सड़क पर ही पीटा गया। . . . . .

सभापति महोदय : यदि आपको किसी बक्तव्य से पढ़ना है तो आपको अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : क्या यह मामला पूर्व-सेंसरशिप का है ?

सभापति महोदय : नहीं, यह मामला नियमानुसार सभा की कार्यवाही संचालन का है।

क्या आप इसे सभा में अथवा सभा पटल पर रखना चाहते हैं ? **(व्यवधान)**

इसकी अध्यक्ष महोदय को दो दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह मेरे भाषण का अंग है। इसलिए यह रिकार्ड में रहना चाहिए। 1950 में आप ने पश्चिम बंगाल सरकार को असंवैधानिक ढंग से भंग कर दिया। श्रीमती इन्दिरा

गांधी जानती हैं कि पुलिस ने वहां पर किस तरह से व्यवहार किया । आज वही कार्यवाही तमिलनाडु में चल रही है । तमिलनाडु के मुख्य मंत्री यह वक्तव्य देने जा रहे थे कि यदि मैंने कोई अनुचित कार्य किया है तो मुझे जनता का सामना करने दिया जाये । परन्तु कांग्रेस में इतना हौसला नहीं था कि जनता का सामना कर पाती । प्रधान मंत्री कहती हैं कि विपक्ष विधिवत् स्थापित सरकार को भंग करने के लिए षड़यंत्र कर रहा था । तमिलनाडु सरकार को किसने गिराया है ?

आन्ध्र प्रदेश में जब तेलंगाना आन्दोलन चला था जिसमें भारी हिंसा हुई थी तब तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को भंग नहीं किया । यहां तककि वहां के मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया और सरकार नाम की कोई चीज़ वहां थी ही नहीं । फिर भी कांग्रेस को बचाने के लिए राज्य सरकार भंग नहीं की गयी । तमिलनाडु में जो कुछ किया गया है यदि वही सरकार की नीति है तो एक दिन यह स्वयं आपको ले बैठेगी ।

संविधान में व्यवस्था है कि पांच वर्षों के पश्चात् चुनाव होने चाहिएं । पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने ही वाली थी कि विधान सभा भंग कर दी गई । तमिलनाडु की जनता को मतदान का अवसर दिया जाना चाहिए था । परन्तु ऐसा निर्णय लिया गया जो तमिलनाडु ही नहीं किन्तु समूचे देश के इतिहास में काला कारनामा समझा जायेगा ।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई विरोध नहीं हुआ । हमें अंग्रेजी राज के कारनामे स्मरण हैं । परन्तु हम ने ऐसा समय नहीं देखा जब बंद दरवाजे में भी सभाएं न की जा सकें, अपनी पत्रिकाओं में ही अपने भाषण न प्रकाशित कर पायें ।

मैं पूरे बल से इस अलोकतंत्रीय कार्यवाही की निन्दा करता हूं । कांग्रेसी सदस्य भी इसका विरोध करते हैं सभा में ही नहीं उससे बाहर ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : (कोयम्बटूर) : मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से राज्य का मंत्रिमंडल भंग किये जाने का स्वागत करती हूं । मैं जांच आयोग गठित किये जाने का स्वागत करती हूं । इस बारे में हमारी मांग बहुत पुरानी थी । ऐसी जांच कराने के लिये तमिलनाडु में व्यापक आन्दोलन हुए । जांच की मांग करने वाली महिलाओं और बच्चों को पीटा गया । तमिलनाडु की जनता बहादुर है, वह द्रमुक के शासन के जुल्म सहती आई है । किसी एक भी व्यक्ति ने भी यह अनुभव नहीं किया यह कार्य अलोकतान्त्रिक है ।

मैं श्री सेझियान के साथ सहमत हूं कि राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । कोयम्बतूर में राज्य के प्रान्तीय सम्मेलन में खुले भाषणों में कहा कि द्रमुक कोई छोटा दल नहीं है जो कि राज्य के अन्दर कार्य कर रहा है यह तो समूचे विश्व में तमिल लोगों का एक महा आन्दोलन है और अन्य देशों में रह रहे तमिल लोग द्रमुक दल को अपने अधिकारों का रक्षक मानते हैं । यह बात चीनियों तथा माओ समर्थकों को अच्छी लगी है । द्रमुक के प्रवक्ता ने आगे कहा कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों से विदेशी मिशनों ने बधाई के सन्देश भेजे तथा सम्मेलन की सफलता की कामना की ।

मद्रास में ताज कोरोमन्डल में एक गुप्त बैठक हुई जहां पर इन मिशनों में से एक मिशन के राजदूत ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि से बातचीत की ।

हम साम्यवादी दल के सदस्य बता देना चाहते हैं कि यही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आपातस्थिति की घोषणा के पश्चात् बड़ी-बड़ी रैलियां की गईं और उनमें प्रधान मंत्री पर तानाशाह होने का आरोप लगाया गया । जो लोग फासिस्टवाद की बात करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि हाल ही में 18 जनवरी को तंजौर गांव में क्या हुआ । किराये पर लाये गये गुन्डों के साथ जमींदार तथा पुलिस दल गांव में घुसे और उन्होंने वहां खेतिहर मजदूरों पर आक्रमण किया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया तथा बच्चों को पीटा । ये खेतिहर मजदूर 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन की मांग कर रहे थे जिनमें खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी की व्यवस्था की गई है ।

आज भी तमिलनाडु में दीवारों पर केन्द्र विरोधी, आपातस्थिति विरोधी तथा प्रधान मंत्री विरोधी नारे देखे जा सकते हैं । क्या तमिलनाडु की संस्कृति का प्रचार और विकास करने का यही तरीका है ? यह तो वहां की संस्कृति को नष्ट करना है । इसके पीछे पृथकतावाद का सिद्धांत है । मौखिक रूप से भले ही आज ये इसका विरोध करें, परन्तु अपनी बैठकों में, भाषणों में इसका समर्थन करते हैं । मलयाली भाषियों के साथ तमिलनाडु में दुर्व्यवहार होता है ।

आज लोग हमारी नीतियों से असहमत हो सकते हैं । हमारी राजनीति से असहमत हो सकते हैं, परन्तु हमारी देशभक्ति, देश की स्वतंत्रता के प्रति निठा के बारे में असहमत नहीं हो सकते ।

जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो साम्यवादी दल पहला दल था जिसने चीन की कार्यवाही की निन्दा की थी ।

सभापति महोदय: आप आपना भाषण कल जारी रख सकती हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 मार्च, 1976/20 फाल्गुन, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, March 10, 1976/ Phalguna 20, 1897 (Saka).

म०प्र०भा०स०मु० मिन्टो रोड, नई दिल्ली—एल० एस-II—656 एल० एस०—9-7-76—200